(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] षष्टम् विधान सभा के बारहवें सत्र का तेइसवां दिवस [संख्या 17

बुधवार,

दिनांक 28 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11:00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई :

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पेदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्री गोपालसिंह ।

पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय की गई राशि

460. श्री गोपाल सिंह (आहोर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पहली, दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजना और उसके बाद सालाना योजनाएं तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अब तक राजस्थान में प्रति व्यक्ति कितना खर्च हुआ है ?

(2) जालोर जिले में इसी अनुपात में प्रति-व्यक्ति कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(3) क्या कोई ऐसा जिला भी है जिसमें जालोर जिले से प्रति व्यक्ति कम पैसा खर्च हुआ हो ?

आयोजना मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) पहली, दूसरी व तीसरी पंचवर्षीय योजना और उसके बाद सालाना योजना में तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1971 की जनगणना के आधार पर कुल प्रति व्यक्ति राज्य योजनान्तर्गत व्यय 321) रुपये हुआ ।

(2) पहली पंचवर्षीय योजना के व्यय को जिलावार वितरित नहीं किया गया है । दूसरी से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में राज्य योजनान्तर्गत कुल व्यय में से जिलों में वितरित व्यय की राशि के आधार पर जालोर जिले में 1971 की जनगणना के आधार पर प्रति व्यक्ति 90) रु. व्यय किये गये । राज्य के सब ही जिलों का औसत प्रति व्यक्ति संवादीकाल में रु. 210) व्यय रहा । इस जिलेवार व्यय में वृहद सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं पर हुआ व्यय तथा राज्य के विभागों के मुख्यालयों से सम्बन्धित हुआ व्यय एवं उन योजनाओं पर किया गया व्यय सम्मिलित नहीं है जिससे केवल किसी जिले विशेष को ही लाभ पहुंचता हो ।

(श्री आदित्येन्द्र)

(3) जी हां, बाड़मेर।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह 90 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय आपने खर्चे के हिसाब से आंका है इससे लोगों को कितना लाभ मिला ?

श्री गोपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहूंगा। जालौर जिला जिस तरह से उपेक्षित रहा है क्या आइन्दा तो इस तरह का उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं होगा?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न पूछा है उसी प्रकार बाड़मेर जिले के साथ भी उपेक्षापूर्ण व्यवहार हुआ है। बाड़मेर और जालौर जिलों में सबसे कम व्यय हुआ है। क्या उन जिलों को दूसरे जिलों के मुकाबले पर लाने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में उचित प्रावधान करने की व्यवस्था करेंगे?

कृषि मन्त्री (श्री सम्पतराम) : बाड़-मेर और जालौर आदि जितने भी डेजर्ट और सेमी डेजर्ट जिले हैं, अगली पंचवर्षीय योजना में इन जिलों में एग्रीकल्चर योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा। कितना व्यय होगा, यह बताने में असमर्थ हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या इसकी पूर्ति आवश्यक नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आश्वासन दे दिया है मन्त्री महोदय ने।

श्री सम्पतराम : मैंने निवेदन किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया में एग्रीकल्चर पर ध्यान देना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जालौर जिले में न तो सड़कें हैं और न सिंचाई के साधन। दूसरे जिलों की अपेक्षा इनकी बहुत कम व्यवस्था की है। क्या सरकार जालौर जिले को प्राथमिकता देगी ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, पांचवी पंचवर्षीय योजना में बहुत थोड़ा समय मिला, उसके अन्तर्गत जो कुछ कर सकते थे किया है। छठी पंचवर्षीय योजना के लिये मैंने सदन से निवेदन किया है कि जो डेजर्ट और सेमी डेजर्ट जिले हैं उनके लिए बहुत से एग्रीकल्चर प्रोग्राम लिये हैं और बहुत से प्रोग्राम लेने पड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गोपाल सिंह : एक प्रश्न और करना चाहूंगा। जालौर डिस्ट्रिक्ट को मद्देनजर रखते हुए खास तौर से यह अनुरोध करूंगा कि पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीमों को ध्यान में रखा जावे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गिरधारी लाल भार्गव !

जयपुर में नगर निगम की स्थापना

461. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशन-पोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
कि जयपुर नगर परिषद् के स्थान पर जयपुर नगर निगम की स्थापना की जायेगी? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : जी हां, जयपुर नगर परिषद् को नगर निगम बनाने सम्बन्धी मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : क्या दूसरे नगरों के लिए ऐसी व्यवस्था की जायेगी ?

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : आपकी क्या राय है जयपुर में निगम होना चाहिये ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर को कॉर्पोरेशन बनाने का प्रस्ताव पिछली सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यह मामला अब फिर सामने लाया गया है, हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : निगम बनाने का आधार क्या है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : पिछली सरकार ने स्थगित कर दिया, लेकिन उसके बाद आपकी सरकार बने तीन महीने हो गये, यह बहुत बड़ा समय है। क्या इस प्रश्न के आने पर सरकार ने इस पर विचार किया ? माननीय मुख्य मन्त्री कृपया बतावें, एक महीना, दो महीना कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। विचाराधीन का मतलब विचाराधीन है ।

श्री मूलचन्द डागा : निगम बनाने का आधार क्या है ?

एक माननीय सदस्य : जयपुर की जनसंख्या काफी है ।

श्री उपाध्यक्ष : मसला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान, मन्त्री महोदय जवाब देना चाहते हैं। जवाब दिला दें बड़ी कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब उत्तर आता है विचाराधीन है, तो विचाराधीन है ।

श्री ओंकारलाल चौहान : यह विचाराधीन कब तक रहेगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वैसे तो मामूली सा हो सकता है लेकिन बड़ा गम्भीर है। यू. आई. टी. और म्यूनिसिपेलिटी दोनो एजेंसियां शहर में सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करने की दृष्टि से काम कर रही हैं। इस प्रश्न पर पिछली राज्य सरकार ने विचार किया था और विचार करने के बाद राज्य सरकार ने इस कार्यवाही को बन्द कर दिया। यहां निगम बनाने की कोई आवश्यकता है, इस प्रश्न पर हम भी विचार कर रहे हैं। निगम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किस प्रकार बन सकता है यू. आई. टी. और म्युनिसिपेलिटी दोनों को को-आर्डीनेशन करने की आवश्यकता है। क्या अमेनिटीज प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जाये, इन सब बातों को ध्यान में रख कर निगम बनेगा। इस निगम को किस प्रकार के टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे और फिर जयपुर शहर इस प्रकार की स्थिति में है या नहीं, इन सारे प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करना है। बाकी के स्थानों से भी जानकारी ले रहे हैं कि निगम बनाने के पूर्व किस प्रकार के आधार तय किये जायें ताकि निगम की कार्यवाही सुचारु रूप से चले। कितने शहर ऐसे हैं जिनमें निगम बनाया जा सकता है? कितने शहर हैं जिनमें निगम नहीं बनेगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें समय लगेगा। पूर्ण विचार के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रघुवीर सिंह कौशल;

कोटा क्षेत्र की नदियों पर पुलों की व्यवस्था

462. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा क्षेत्र के प्रमुख सड़क यातायात मार्ग कोटा शिवपुरी, बारां-झालावाड़ मार्ग पर काली सिंध नदी पुलिया, पार्वती नदी पुलिया एवं परवन नदी पुलिया पड़ती है?

(2) क्या यह सही है कि इन तीनों नदियों की पुलियाओं पर वर्षा ऋतु में आए दिन वर्षा के पानी के कारण सड़क यातायात चार माह तक अवरुद्ध रहता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त तीनों नदियों की पुलियाओं पर बड़े पुल बनाने के बारे में कोई निर्णय लिया है या विचार कर रही है?

क्या राज्य सरकार ने उक्त तीनों नदियों की पुलियाओं के ऊपर बड़े पुल बनाने के सम्बन्ध में तखमीना बनवाया है? यदि हां, तो तीनों पुलों के निर्माण में कितना रुपया खर्च होने की सम्भावना है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) जी हां। धनाभाव के कारण इन पुलों का निर्माण करवाया जाना अभी सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने पुल न बनाने का कारण धनाभाव बताया है। क्या इसे अगले वर्ष तक बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि 4 महीने से अधिक समय के लिए आधे जिले का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। पहले कहा जा चुका है कि पिछले अधूरे कामों को पहले पूर्ण कराया जा रहा है। आगे क्या वित्तीय स्थिति होगी, उसके बाद ही विचार किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट! श्री हरजी राम बुरड़क!

सरपंच ग्राम पंचायत सारड़ी को दी गई राशि

463. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत सारड़ी, जिला नागौर की पंचायत समिति, लाडनूं से किसी सार्वजनिक कार्य के लिए अनुदान मिला है? यदि हां, तो अब तक किस किस कार्य के लिए कितना कितना अनुदान कब कब मिला और इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र कब कब जारी हुआ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सार्वजनिक कार्यों के सम्बन्ध में अभी तक की ऑडिट रिपोर्ट में कोई एतराज हुआ है? यदि हां, तो उन एतराजों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि वहां की जनता ने भी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को शिकायतें कीं? यदि हां, तो कब कब और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां, पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी-हां। प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) इसके बारे में पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

(विवरण आदि के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (1) में मैंने पूछा है कि इस राशि का उपयोग कब किया? इसका उत्तर नहीं मिला।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है उसको देखा जाय। उपयोगिता प्रमाण-पत्र और कम्पलीशन सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं उनकी विस्तार से सूची दे दी है। किस काम के लिए रुपया मिला है, यह भी दे दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : इसमें यह नहीं है। यह कहीं नहीं लिखा है कि इस राशि का उपयोग कब हुआ।

(व्यवधान)

उपयोग कब हुआ, यह बतायें।

श्री कैलाश मेघवाल : कम्पलीशन सर्टिफिकेट और युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के सामने लिख रखा है। 34328.89 राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सूचना है।

(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कार्यवाही हुई।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड (3) में उत्तर दे चुका हूं। कहां क्या कार्यवाही हुई है वह विकास अधिकारी के स्तर पर इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री हरजीराम बुरडक : इतने लम्बे समय तक न तो उपयोग हुआ और न कार्य-वाही की, इसके क्या कारण हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : ऑडिट आक्षेप जो हुये हैं वह सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। उनकी पूर्ति के लिए आदेश दिये जा रहे हैं। अभी तक कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई !

जालौर जिले में अत्यधिक वर्षा से क्षति

464. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में माह जुलाई, 1977 में जिला जालौर में अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ से सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है ? अगर हां, तो कुल कितना नुकसान हुआ है ? उक्त टूटी हुई मुख्य सड़कों की मरम्मत कब तक करवा कर आवागमन शुरू करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त जिले की मरम्मत हेतु ज्यादा धनराशि आवंटन करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कुल कितनी धनराशि कब तक आवंटित कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील सांचौर में सबसे अधिक वर्षा होने के कारण सड़कें ज्यादा टूटी हैं ? अगर हां, तो उनकी मरम्मत के लिए धनराशि शीघ्र आवंटित की जाकर उनकी मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले में अत्यधिक वर्षा से सरकारी इमारतों की हालत बहुत खराब हो गई है तथा कुछ इमारतें तो ज्यादा वर्षा के कारण गिर भी चुका है ? अगर हां, तो कहां कहां पर कितनी इमारतें गिर चुकी हैं तथा उन इमारतों की विशेष मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि तहसील सांचौर में सबसे ज्यादा वर्षा होने के कारण सरकारी इमारतों की हालत अत्यधिक खराब है ? अगर हां, तो किस किस विभाग की इमारत की क्या क्या स्थिति है ? उनकी विशेष मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां। इस वर्ष जालौर जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण जो सड़कें एवं पुलियायें विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं उनके पुनः निर्माण हेतु 25.05 लाख रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया है। इसके लिए धनराशि उपलब्ध होने पर ही पुनः निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाया जा सकेगा।

(2) आवश्यकतानुसार धनराशि आवंटन हेतु प्रस्ताव सहायता विभाग को भेज दिये हैं।

(3) जी हां, धनराशि उपलब्ध होने पर ही पुनः निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराना सम्भव होगा।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(4) सरकारी भवन के गिरने की कोई सूचना नहीं है। आगे जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(5) सांचौर तहसील मुख्यालय है जहां पर स्थित भवनों का रख रखाव का कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा ही किया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पैसे का तो एस्टीमेट बताया है लेकिन वहां तीन महीने से सारा आवागमन ठप्प है और जिला हैड क्वार्टर से अलग है। ऐसी हालत में आवागमन शुरू करने के जो प्रपोजल भेजे हैं उनके बारे में विभाग क्या कर रहा है?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न है उसके लिए सहायता विभाग से सहायता लेने की दृष्टि से निवेदन कर दिया है। सड़कें चालू कर दी जायं, इसके लिये टेम्प्रेरी प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि धनाभाव के कारण सड़कों की मरम्मत किया जाना सम्भव नहीं है तो मेरा पूछने का मतलब है

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से कि जब तक सेन्ट्रल स्टडी टीम आयेगी नहीं और वह आई भी नहीं है तो क्या राज्य सरकार का यह मानना है कि केन्द्र सरकार से रुपये मिलने तक जो सड़कें डेमेज हो चुकी हैं और आवागमन के साधन बन्द हो चुके हैं उनकी मरम्मत नहीं हो सकेगी? क्या यह स्थिति सही है?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : आज तक तो इसी प्रकार की व्यवस्था थी। इसमें हम परिवर्तन लाने का विचार करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सारा आवागमन ठप्प पड़ा हुआ है। क्या सरकार प्रयत्न करके आवागमन शुरू करने के प्रयत्न करेगी?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने कह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रतनलाल वर्मा!

श्री श्योपतसिंह मकासर : नहीं साहब। पहले श्योपतसिंह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपत सिंह!

ईंटों के भाव

465. **श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में पक्की ईंटें बनाने के कितने भट्टों को लाइसेन्स दिये गये हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसा कानून बना रखा है जिससे भट्टा मालिकों

(श्री रुपेन्द्रसिंह मकासर)
को मनमाने ढंग पर ईंटों के दाम वसूल करने से रोका जा सके ?

(3) क्या यह सही है कि पड़ौस के हरियाणा और पंजाब राज्यों में राज्य सरकार ने भट्टों के द्वारा निकाली जाने वाली पक्की ईंटों के भाव तय कर रखे है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य में ईंटों के भट्टों के मालिक मनमर्जी के भाव से ईंटें बेचते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

(5) ईंटों के भाव की जिलेवार सूची सदन में रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री महबूब अली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करवाने के लिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट। श्री रतनलाल वर्मा !

अजमेर जिले में दुग्ध डेयरी के संचालक मण्डल का चुनाव

466. श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : क्या डेयरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में दुग्ध डेयरी के संचालक मण्डल के चुनाव नियमानुसार पांच वर्ष पूर्ण होने पर भी नहीं करवाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि डेयरी कार्यालय व दुग्ध अवशीतलन केन्द्र विजयनगर, बाघमवाड़ा, अजमेर, ब्यावर पर दुग्ध समिति द्वारा नाप व फेट में अधिक अन्तर होने से समितियां नुकसान में जा रही हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि संचालक मण्डल के चुनाव न होने से ही यह सब गड़बड़ियां हो रही हैं और वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल कार्य कर रहा है जो पूरी रुचि नहीं लेता ?

(4) क्या दुग्ध डेयरी में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा नियम बना दिये गये हैं ? यदि बना दिये गये तो उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है या नहीं ? पुराने कार्य कर रहे कर्मचारियों को ही पदोन्नति दी जा रही है या बाहर से मन पसन्द तरीके से लिए जा रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि अजमेर डेयरी द्वारा सन्तुलित पशु आहार सभी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को विधिवत् वितरण नहीं किया जा रहा है ? सिर्फ दुग्ध संग्रह की ही भावना बनी हुई है ?

(6) क्या यह सही है कि 5 पैसा प्रति लीटर हर किसान से वसूल किया जाता है और संग्रह राशि का उपयोग पशुओं के इलाज और किसानों के सहयोग से खर्च नहीं हो रहा है ? अब तक प्रारम्भ से अगस्त, 77 के अन्त तक 5 पैसे प्रति लीटर से कितनी राशि संग्रह हुई और कितना खर्च हुआ व पोते में कितना पैसा है ?

राज्य मन्त्री, डेयरी विकास (श्री महबूब अली) : (1) यह सही है कि 17 मार्च, 77 को पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है लेकिन चुनाव इसलिये नहीं कराये गये हैं क्योंकि यह अवधि अब 7 साल कर दी गयी है।

(2) यह सही नहीं है कि अजमेर डेयरी एवं उसकी दुग्ध समितियां नाप व फैट में अन्तर के कारण घाटे में जा रही हैं। ऑडिट रिपोर्ट (75-76) के अनुसार 122 समितियों में से केवल आठ समितियां घाटे में हैं जिनके कारण भिन्न हैं।

(3) जी नहीं। संचालक मण्डल रुचि से कार्य कर रहा है।

(4) संघ के श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये स्थायी आदेश एवं सेवा नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल श्रमिकों को मोडल स्थाई आदेश एवं कर्मचारियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित आदेशों के आधार पर सेवाओं को नियंत्रित किया जा रहा है। जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है किसी भी श्रमिक या कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया गया है। हां! कई श्रमिकों एवं कर्मचारियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त अवश्य किया गया है परन्तु वे नियुक्तियां सर्वथा नई नियुक्तियों की तारीफ में आती हैं। इन नियुक्तियों में भी अधिकतर श्रमिक एवं कर्मचारी पुराने ही हैं बहुत कम बाहर से लिए गए हैं।

(5) जी नहीं। सन्तुलित पशु आहार विधिवत् वितरित किया जा रहा है। प्रारम्भिक समय में इस वितरण में कुछ बाधा या कठिनाई अवश्य रही थी।

(6) यह सही नहीं है कि संग्रह राशि का उपयोग पशुओं के इलाज में नहीं हो रहा है। दिनांक 1-1-76 से प्रति लीटर दूध के हिसाब से 5 पैसे धनराशि एक अलग कोष में जमा की जाकर पशुओं के उपचार तथा अन्य दुग्ध उत्पादन वर्द्धन कार्यों के उपयोग में ली जाती है। 1-1-76 से 31-8-77 तक इस कोष में 9,99,843.18 रुपये एकत्रित हुये तथा पशु चिकित्सा एवं दुग्ध उत्पादन वर्द्धन सेवाओं पर रुपये 13,58,827.03 खर्च हुये। संचित कोष से अधिक खर्च राशि राजस्थान दुग्ध विकास निगम से रिडिमेबिल शेयर केपिटल के रूप में प्राप्त हुई।

श्री द्रोपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जो दूध संग्रह करने वाली सहकारी समितियां हैं वे घाटे में जा रही हैं, यह बात सही है और इसके प्रमाण मैं आप लोगों को देने को तैयार हूं।

श्री महबूब अली : वर्ष 1975-76 ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 8 सहकारी समितियों में घाटा हो रहा है, उनका कारण नाप और फैट है यह जो आप बताते हैं, वह नहीं है। अन्य कारण हैं जिससे 8 समितियों में घाटा है।

श्री रतनलाल वर्मा : अन्य कारण क्या हैं, यह बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : कई कारण हो सकते हैं!

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : अन्य कारण क्या हैं, यह बताया जाय। इससे किसानों को घाटा होता है। आप बतायें कि क्या कारण हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, आप कारण तो बतायें ?

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जब गांव में दूध लिया जाता है उस नाप में और डेयरी पर पहुंचने पर नाप में जो फर्क हो जाता है इसका क्या कारण है ?

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कारण तो बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : कारण आपने पूछा ही नहीं है।

श्री महबूब अली : दूध की मात्रा फेट के आधार पर तय की जाती है और फैट की कीमत 27) रु. प्रति किलो के हिसाब से तय को जाती है या कि जो निर्धारित होती है वह तय होती है। दूध की कीमत का फैसला इसी आधार पर किया जाता है। क्वान्टिटी पर नहीं बल्कि फैट कितनी निकलती है उस पर कीमत निर्धारित की जाती है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह समस्या इसी अजमेर की दूध डेयरी की नहीं है बल्कि सारे राजस्थान के अन्दर जितनी भी डेयरियां हैं, उनकी भी है ? उनका नाप, फैट और तोल गांव में किसान के सामने लिया जाता है उसको सही नहीं मान कर जब आपके यहां पर दूध पहुंचता है उस समय लिये गये नाप और तोल को सही मानते हैं, ऐसा क्यों है ?

श्री महबूब अली : नाप तोल करके फैट कितना है यह उस ग्राम सोसायटी का सेक्रेटरी वहीं निकाल कर उसके साथ जो एक बिल होता है उस पर लिख देता है कि इतना इसके अन्दर फेट है। उसके बाद डेयरी पर दूध पहुंचने पर उसके फेट को एग्जामिन किया जाता है उसके आधार पर…

श्री श्योपतसिंह मकासर : फाइनल कौनसा माना जाएगा ? गांव में जो तोल लिया गया वह या आपके यहां पर जो माप-तोल हुआ वह सही माना जाएगा ? कौनसा सही माना जाएगा ?

श्री महबूब अली : दोनों के अन्दर अन्तर होने की स्थिति में इन्क्वायरी की जाती है। इन्क्वायरी करने से जो सही स्थिति सामने आती है उसके अनुसार कीमत तय की जाती है। यदि दोनों में अन्तर हो…

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर दूध कम पहुंचता है तो किसकी जिम्मेदारी रहती है ? जब किसान ने दूध तोल कर दे दिया, फैट के अनुसार दूध माप कर दे दिया उसके बाद में ट्रक के साथ में आपका मैकेनिक, ड्राईवर, कण्डक्टर कौन होते हैं ?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): मैं समझता हूं कि आपके कर्मचारी दूध में पानी डालते हुए पकड़े जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : दूध जिस ट्रक में जाता है, उस ट्रक में ड्राइवर और कण्डक्टर ही होते हैं ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। आपने जानकारी दे दी है।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दूध गांव में पैदा होता है और शहर वाले दूध ले जा कर जमा कराने में XXX कर रहे हैं ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण मत दीजिए। अब आप विराजिए।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं इस सम्बन्ध में सबूत दे सकता हूं। जो पांच पैसा प्रति लीटर काटा जाता है, जिसको आपने भी मन्जूर किया है, यह भार किसानों पर क्यों डाला जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह XXX शब्द अन पार्लियामेंट्री है। इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शब्द XXX का प्रयोग किया है वह उपयुक्त नहीं है। इसको एक्सपञ्ज किया जाय।

श्री ओंकारलाल चौहान : भाषा भी ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्सपञ्ज किया जाय।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इनका सात साल का कार्यकाल किया गया है, वह अवधि कब की गई और क्यों की गई ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि डेयरी के सामने जो रोड है उस रोड पर डेयरी के डायरेक्टर मिस्टर पटेल ने दीवार खड़ी करके तीन गांवों का रास्ता रोक दिया है, किसी को उधर से जाने नहीं देता है। क्या सरकार उस रास्ते को खुलवायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी एक सप्लीमेंट्री करना चाहता हूं ......

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह बात सही है कि उस डेयरी के अन्दर जो कर्मचारी लिए गए हैं वे अजमेर जिले के ही नहीं बल्कि राजस्थान तक के नहीं हैं। राजस्थान के बाहर के लोगों को लिया गया है और अभी ताजा ही लिया है। यह बिल्कुल गलत कार्य है ....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे ......

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No 12

(12)

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जब एक माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं तो दूसरे बोलने लग जाते हैं। आप इनको रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष : जब एक माननीय सदस्य पूछ लें तब ही दूसरे बोलें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : किसी भी सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं आ रहा है। मिनिस्टर महोदय को जवाब देने दें। किसी भी सदस्य का जवाब नहीं आ रहा है। आप इस बात को रोकिये। एक बार एक सप्लीमेंट्री का जवाब तो आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह बात सही है कि जो दूध सहकारी समिति भेजती है वह भीलवाड़ा से रवाना हो जाय और दिल्ली में जाकर यह कहा जाय कि दूध फट गया है ? इस तरह से हजारों रुपयों के दूध का नुकसान होता है। उसकी जिम्मेदारी सहकारी समिति पर डाल दी जाती है जब कि गलती उन लोगों की नहीं होती है। जब आप दूध लेते हैं गांव में तब वह सही हालत में होता है और दिल्ली में जाकर कहते हैं कि दूध फट गया और नुकसान सहकारी समिति पर डाल दिया जाता है। इस मामले के अन्दर कोई व्यवस्था करने को तैयार हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न उठाए गए हैं, एक प्रश्न दूध के फटने का है और दूसरा तादाद का है ...

श्री श्योपत सिंह मकासर : तोल का, फैट का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इन दोनों प्रश्नों पर सरकार जानकारी करेगी कि ये कमियां किस प्रकार से दूर की जा सकती हैं। इन कमियों के सम्बन्ध में जानकारी करके विचार करेगी और कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न करेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गांवों से जो दूध जाता है ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप बिराजिये। और भी बहुत से प्रश्न हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : माननाय उपाध्यक्ष महोदय, अभी 4-9-77 को ही साढ़े नौ हजार लीटर का टैंकर इन कर्मचारियों की लापरवाही से फट गया ..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजिये। इस प्रश्न पर बहुत अनुपूरक हो गये।

श्री चिरंजीलाल गर्ग: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रतनलाल वर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े नौ हजार लीटर दूध फट गया है...

श्री उपाध्यक्ष: मननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजिये।

(व्यवधान)

श्री चिरंजीलाल गर्ग: मेरा प्रश्न था कि पांच साल की अवधि को सात साल की अवधि कब से किया और क्यों बढ़ाया ? इसका क्या कारण है ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि

Page No 13

(13)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जब गांव में सोसायटी से दूध लिया जाता है उस समय फेट होता है पांच प्रतिशत और जब डेयरी पर पहुंचता है उस समय चार प्रतिशत हो जाता है। इसके साथ ही जो दूध फट जाता है उसकी सूचना गांव में बहुत देर से पहुंचती है जिससे वह समय पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो फेट कम हो जाता है उसके कारण एक दिन में सौ सौ, पचास पचास रुपये का एक एक व्यक्ति को घाटा होता है। क्या इन दोनों प्रश्नों पर विचार कर समुचित व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री रतनलाल वर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बिराजिये। अब मैं आपको और समय नहीं दूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : आखिर इसका उत्तर तो आना चाहिए। मंत्री महोदय कुछ जवाब तो दें कि पांच साल से सात साल क्यों किया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : कब चुनाव करवा देंगे ? कुछ तो बतायें।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : यह अवधि पांच साल से सात साल क्यों कर दी और कब कर दी ? मेरा यह प्रश्न था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय क्या उत्तर दे सकेंगे कि यह अवधि बढ़ाने का क्या कारण विशेष था और कब बढ़ाई ?

श्री महबूब अली : इसके लिए मेरा निवेदन है कि अभी डेयरी की व्यवस्था शिशु अवस्था में है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि कुछ अर्से तक इसको इसी प्रकार से और चलने दिया जावे ताकि इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सके। अन्त में जाकर एक इलेक्टेड बॉडी बनाने का सवाल है। पब्लिक रिप्रेजेण्टेटिव को इन्वोल्व करने की स्थिति आए उससे पहले यह पूरी तरह से ऑर्गेनाइजड हो जाय। इसलिए जो वर्तमान बोर्ड काम कर रहा है उसकी अवधि सात साल तक बढ़ाई है। इसके लिए प्रोविजन है। ऐसा भी प्रोविजन है कि पब्लिक इन्वाल्वमेंट किया जा सकता है तो उससे पहले ही चुनाव करवा दिए जायेंगे। यह इसके अन्दर प्रोविजन हैं।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : आप यह तो बतायें कि कब तक चुनाव करवा दिए जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : महीने में, दो महीने, चार महीने में, कोई अवधि तो बतायें कि कितने समय में करवा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : किसान बहुत दुखी हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर लूंगा लेकिन किसान बहुत दुखी है। अभी पिछली चार तारीख को हा नौ हजार लीटर दूध फट गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये और शांत भी हो जाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : साढ़े नौ हजार लीटर दूध फट गया है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार विचार करेगी। अब बहुत हो गया, और भी बहुत से प्रश्न हैं।

माननीय ओमप्रकाश।

पंचायत नियमों में संशोधन

467. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायतों को आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने हेतु पंचायत नियमों में संशोधन करने की क्या राज्य सरकार की कोई योजना थी ? यदि हां, तो योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिला परिषद, पंचायत समितियों और पंचायतों के गठन और अधिकार-क्षेत्र के नियमों में राज्य सरकार संशोधन करना चाहती है ? यदि हां, तो संशोधनों का बिवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार समाप्ति और ग्रामीण समस्याओं के निराकरण के लिए ग्राम सभाओं को कोई अधिकार दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे क्या क्या अधिकारों का प्रावधान पंचायती कानून में किया जा रहा है ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। अतः प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) जी हां। अभी यह मामला विचाराधीन होने से प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) राज्य सरकार ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अतः प्रश्न नही उठता।

इस प्रश्न पर राज्य सरकार की जो नीति है, जो वर्तमान में स्थिति है उस पर पहले भी यहां सदन में काफी निवेदन किया जा चुका है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : यह प्रश्न विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर कितनी ही बार यहां पर दिया जा चुका है। काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : जो प्रश्न रखते हैं, उसका उत्तर 'विचाराधीन है' 'विचाराधीन है', यह मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती उज्जला अरोड़ा।

नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा आवंटित भूमि

468. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर, मोती डूंगरी रोड योजना, आनन्दपुरी, में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
वहां के निवासियों को नगर विकास न्यास द्वारा भूमि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति को कब कब, कितनी कितनी भूमि किसने नजराने की राशि लेकर आवंटित की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां के निवासियों ने नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा मांगी गई नजराने की राशि निर्धारित अवधि में जमा करा दी ? यदि नहीं, तो किस किस निवासी ने जमा नहीं करवाई ?

(3) क्या यह भी सही है कि वहां के निवासियों की नजराने की राशि 10-11 वर्ष पूर्व जमा करा दिये जाने के उपरान्त भी आज तक साइट प्लान नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को क्यों नहीं दिए गये और अब कब तक दे दिये जावेंगे ?

(4) क्या यह भी सही है कि वहां के निवासियों को आज तक साइट प्लान के मुताबिक कब्जे नहीं कराये गये ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कब तक उन्हें प्लान के अनुसार कब्जे करा दिये जावेंगे ?

(5) क्या यह भी सही है कि श्री कजोड़मल पुत्र श्री नेमीचन्द ने भू-खण्ड सं. बी. 107 आनन्दपुरा योजना नगर विकास न्यास, जयपुर के पत्र क्रमांक 3483, दिनांक 6-7-65 के जरिये 266.66 वर्ग गज भूमि आवंटन के रुपये 674.15 पैसे नजराने के जरिये चालान संख्या 319, दिनांक 8-7-65 को बैंक में जमा करा दी है ? यदि हां, तो इसे अब तक साइट प्लान व कब्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है ? और अब कब तक दे दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या राज्य सरकार श्री कजोड़मल पुत्र श्री नेमीचन्द को भू-खण्ड संख्या बी-107 नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा आवंटित का साइट प्लान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी): (1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) अनेक आवंटियों द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात् भी नजराने की राशि जमा कराई गई । विस्तृत विवरण—सूची 'अ' के कॉलम 8 में स्पष्ट है । आवंटियों को नजराना राशि जमा कराने हेतु वर्ष 1961 में व 1965 में 15 दिवस तथा उसके बाद एक माह की अवधि दी जाती थी ।

(3) जी हां । विभिन्न आवंटियों द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने तथा योजना के अनुरूप मकान को नहीं हटाने के कारण साइट प्लान कुछ आवंटियों को नहीं दिये जा सके । न्यायालयों में वाद समाप्त होने एवं बस्ती वासियों से सहयोग मिलने पर विवादग्रस्त मामलों के साइट प्लान भी जारी किया जाना संभव होगा । विवादग्रस्त मामलों का उल्लेख सूची में है ।

(4) प्रश्न (3) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट दर्शाई गई है । उसमें वर्णित स्थिति के अतिरिक्त आवंटियों को कब्जा दे दिया

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गया है। कब्जा देने की तिथि सूची के कॉलम नं. 9 में अंकित है। उन मामलों में, जहां मौके पर एक से अधिक व्यक्ति भू-खण्ड पर कब्जा जमा कर रह रहे हैं, साइट प्लान के अनुसार आवंटी को कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो सकता है। न्यायालय से वाद समाप्त होने तथा कब्जाधारी के निर्माण को हटाने के पश्चात् ही साइट प्लान के अनुरूप भूमि संभलाया जाना संभव होगा।

(5) जी हां। आवंटित भू-खंड संख्या बी-107 पर श्री कजोड़मल पुत्र श्री नेमीचन्द का कब्जा है तथा वह उसी में निवास कर रहा है लेकिन उसके व उसके पड़ोसी भू-खंड संख्या बी-107 ए के आवंटी श्री कन्हैयालाल के बीच न्यायालय में वाद के कारण श्री कजोड़मल पुत्र श्री नेमाचन्द को साइट प्लान जारी नहीं किया जा सका तथा मौके पर श्री कजोड़ ने भू-खंड के अतिरिक्त सड़क की भूमि पर भी कच्चे मकान बना कर कब्जा कर रखा था अत: साइट प्लान जारी करने से पूर्व उसे हटाना आवश्यक था। यह कब्जा हटाया जाकर अब साइट प्लान तैयार करा लिया गया है जिसके अनुसार भू-खंड का क्षेत्रफल 311 वर्ग गज होता है जब कि श्री कजोड़ द्वारा 266.65 वर्ग गज की राशि ही जमा कराई गई है। अत: साइट प्लान जारी करने से पूर्व बढ़े हुये क्षेत्रफल को अतिरिक्त नजराने की राशि वसूल किया जाना आवश्यक है। बढ़े हुये क्षेत्रफल की राशि किस दर से वसूल की जावे, सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त मौके पर अभी भी श्री कजोड ने 21 फीट × 9 फुट 9 इंच भूमि के हिस्से पर कब्जा दीवार खींच कर कर रखा है जब कि यह भाग श्री कन्हैयालाल के हिस्से में आता है और श्री कजोड़ अपनी यह दीवार नहीं हटाकर मौके पर विवाद खड़ा कर रहे हैं।

(6) जी हां। भू-खण्ड संख्या बी-107 आवंटित किया गया था। साइट प्लान दिये जाने के सम्बन्ध में जो बाधाएं हैं, वे प्रश्न के भाग (5) के उत्तर में स्पष्ट की गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि नगर विकास न्यास द्वारा योजना बना कर सन् 65 में यह आवंटन किया गया और निर्धारित राशि भी जमा करा दी गई फिर भी अभी तक साइट प्लान क्यों नहीं दिए गए? वे अब कब तक दे दिए जाएंगे?

दूसरा प्रश्न यह है मंत्री महोदय कि जिन लोगों को आवंटन कर दिया गया है और जिन्होंने नजराने की राशि जमा करा दी है, उनका कब्जा न होकर दूसरे लोग रह रहे हैं, तो उनको हटाकर कब तक कब्जा दे देंगे? वास्तव में आवंटन तो हो गया किन्तु कब्जा क्यों नहीं दिया गया है? यह बताने का कष्ट करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: प्रश्न सं. (3), (4) व (5) के उत्तर में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है और स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जहां पर किसी का कब्जा नहीं हुआ है वहां पर वाद चल रहे हैं। जब तक उन वादों का निपटारा नहीं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
होता है तब तक राशि जमा करा देने के बाद भी साइट प्लान देना संभव नहीं है। इसकी जो प्रक्रिया है, उसको तेज करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): जो साइट प्लान स्वीकृत है, क्या उसमें कोई परिवर्तन करने का राज्य सरकार विचार रखती है? योजना के अन्तर्गत जिन लोगों ने रकम जमा करा दी है, उन लोगों को आप साइट प्लान कब तक दे देंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: जल्दी ही देने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दिग्विजयसिंह!

श्रीमती उजला अरोड़ा: यह जो विवाद चल रहा है, यह कब तक समाप्त हो जायगा?

श्री उपाध्यक्ष: विवाद का निपटारा वहां करेंगे जहां पर मुकदमा चल रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा: उपाध्यक्ष महोदय, यह 1965 की योजना है और आज 1977 चल रहा है। तो मैं यह जानना चाहूंगी कि इन वादों का निपटारा कब तक हो जाएगा?

श्री उपाध्यक्ष: जहां पर मुकदमे पेन्डिग हैं वहां निपटारा होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री मूल चन्द डागा: उत्तर आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दिग्विजयसिंह।

उनियारा में ओवर हैड टैंक का निर्माण कार्य

469. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जन स्वास्थ्य मंत्री ने विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि उनियारा नगरपालिका की जल प्रदाय योजना में एक ओवर हैड टैंक का निर्माण करवा दिया जाएगा।

(2) क्या यह सही है कि इस आश्वासन के बाद भी वहां पर इसका कार्य चालू नहीं हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या इस कार्य को विभाग द्वारा इसलिए टाला जा रहा है कि वहां खुदाई की गई तो नीचे पत्थर नहीं मिले? यदि हां, तो क्या विभाग उसका दूसरा कोई उपाय नहीं सोचता?

(4) जिस जगह पर पत्थर नहीं आता है वहां पर फिर ओवर हैड टैंक कैसे निर्माण किये गये हैं?

(5) क्या राज्य सरकार अब इस ओर ध्यान देकर विभाग को निर्देश देगी कि इस आश्वासन को पूरा करें ताकि वहां की जनता को पानी की सुचारु व्यवस्था मिल सके?

राज्य मंत्री, जल स्वास्थ्य (श्री महबूब अली): (1) ओवर हैड टैंक बनाने के

(श्री महबूब ग्रली)
लिए उपयुक्त स्थान मिलने पर टैंक बनाने का ग्राश्वासन दिया गया था

(2) उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण टैंक नहीं बनाया जा सका ।

(3) वहां टैंक की नींव के लिए ग्रावश्यक भार वहन क्षमता वाली उपयुक्त जमीन नहीं थी जिसके कारण टैंक निर्माण नहीं किया जा रहा है । वहां भू-तल पर टंकी बना ली गई है जिससे जल वितरण व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं है ।

(4) टंकी के लिए जमीन में पत्थर ग्राना ग्रावश्यक नहीं किन्तु जमीन में भार-वहन क्षमता होना ग्रावश्यक है ।

(5) खंड (2) में उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री दिग्विजय सिंह : जहां पर रेतीली जमीन है, वहां पर भी टैंक बनाये गये हैं, तो यहां पर क्यों नही बन सकता है ? जहां पर पत्थर नहीं है वहां पर भी टैंक बने हुए हैं, वे कैसे बनाये गये हैं ?

श्री महबूब ग्रली: भू-तल की भार वहन की क्षमता निकाली जाती है उसके बाद टैंक का निर्माण किया जाता है । ताकि टैंक बनने के बाद उसके धंसने का डर नहीं हो ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन ! प्रश्न संख्या 470।

गुलाबपुरा सहकारी मिल के अध्यक्ष

470. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी कानून के तहत कोई भी सूदखोर व्यक्ति किसी सहकारी संस्थान का पदाधिकारी जैसे संचालक, बोर्ड का सदस्य या ग्रध्यक्ष नहीं बन सकता ?

(2) क्या यह सही है कि भू पू. विधायक श्री भंवरलाल भदादा प्रमाणित सूदखोर हैं ?

(3) क्या यह सही है कि यह सब होते हुए भी श्री भदादा को भीलवाड़ा जिले की गुलाबपुरा सहकारी मिल का ग्रध्यक्ष बना दिया गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस नियम विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध कारगर कदम उठाने का विचार कर रही है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) जी नहीं। सहकारी संस्था ग्रधिनियम, 1965 की धारा 34 (5-ग्र) के ग्रन्तर्गत कोई भी साहूकार केवल सर्विस सहकारी समिति के संचालक बोर्ड पर पदाधिकारी निर्वाचित/नियुक्त नहीं हो सकता है। ग्रन्य सहकारी संस्थाग्रों के संचालक मंडल पर निर्वाचन/नियुक्ति हेतु पूर्णरूपेण सक्षम होता है ।

(2) श्री भंवरलाल भदादा प्रमाणित साहूकार हैं।

(3) यह सही है कि श्री भंवरलाल भदादा गुलाबपुरा सहकारी मिल के ग्रध्यक्ष पद पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये गये हैं। नियुक्ति में सहकारी कानून के प्रावधानों का कोई उल्लघंन नहीं किया गया है ।

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

(4) राज्य सरकार द्वारा की गई नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत है।

श्री कौशल किशोर जैन: मैंने यह प्रश्न पूछा था, 'क्या यह सही है कि भूतपूर्व विधायक श्री भंवरलाल भदादा प्रमाणित सूदखोर है?' आप उत्तर दे रहे हैं, साहूकार है। आप कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष: करेक्ट वर्ड साहूकार है।

श्री कौशल किशोर जैन : साहूकार और सूदखोर में अन्तर है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री भंवरलाल शर्मा! प्रश्न संख्या 471।

ग्राम मेजपुरा की भूमि

471. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खसरा नं. 471-472 वर्ष, 1970 में ठाकुर सिवाड को रिहायशी तामीर कराने से पूर्व वर्ष, 1956-58 के राजस्व रिकार्ड में ग्राम मेजपुरा में गैर मुमकिन आबादी व गांधीनगर आबादी दर्ज की हुई है?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1970 में राज्य सरकार की आज्ञा से उक्त भूमि पर डोली (बाउन्ड्री-वाल) एवं खास मकानात तामीर कराये, मकानात लीज पर दिये और कोर्ट ऑफ वार्ड ने उनसे किराया वसूल कर सिवाड के नाबालिग ठाकुर श्री प्रताप सिंह को अदा किया?

(3) क्या उस भूमि का कभी लगान वसूल किया गया?

(4) राजस्व मण्डल एवं जागीर कमिश्नर के निर्णय के अनुसार क्या उस भूमि को ठाकुर सिवाड की व्यक्तिगत रिहायशी सम्पति माना है तथा इसके आधार पर नगरपालिका एव तत्कालीन अर्बन बोर्ड तथा तत्पश्चात् नगर विकास न्यास ने ठाकुर सिवाड़ द्वारा विक्रय की गई भूमि के मानचित्रों का अनुमोदन किया?

(5) क्या यह सही है कि उस भूमि को डवलप करने के नक्शे वर्ष 1958 से पूर्व ही नगरपालिका और नगर विकास न्यास द्वारा पास किये गये थे? तदनन्तर नगर विकास न्यास ने शेष भूमि डवलपमेन्ट हेतु योजना बनाई उसमें ठाकुर सिवाड़ द्वारा आवंटित प्लॉट संख्या से आगे के नम्बर आवंटित किये गये थे?

(6) अब जो भूमि इतने वर्षों से आबादी भूमि नाम से दर्ज है उस भूमि के कृषि भूमि रूपान्तरण नियमितीकरण चार्जेज वसूल किये जाने का क्या औचित्य है?

(7) जो भूमि राजस्व रिकार्ड में आबादी में दर्ज है उसे कृषि भूमि बतला कर अब पैसे वसूल करना क्या वहां की जनता के साथ अन्याय नहीं है? राज्य सरकार इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से एक याचिका इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करने का कष्ट करें।

Page No 20

(20)

श्री मूलचन्द डागा : स्थगित कराने के लिए भी आप इतनी हिम्मत दिखाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है।

ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के चीनी वितरक को जांच

472. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डी.एस.ओ. जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा पंचायत समिति, आमेर के चीनी वितरक श्री हनुमान सहाय की जांच तीन साल पूर्व की गई थी और जांच के दौरान चीनी का ब्लेक मार्केट करना पाया गया था ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार श्री महावीर पुत्र श्री मदनलाल, ग्राम जयसिंहपुरा, पंचायत समिति, आमेर के चीनी वितरक की भी उक्त डी.एस.ओ. ने जांच की थी और वहां भी चीनी का ब्लेक मार्केटिंग होना पाया गया ? यदि हां, तो इस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

खाद्य मन्त्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) जी हां, जांच के दौरान ब्लेक मार्केट होना पाया गया है था जिसकी विधिवत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा संख्या 29/75, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डनायक के यहां चल रहा है। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है।

(2) जी हां। जांच के दौरान ब्लेक मार्केट होना पाया गया। जांच के परिणामस्वरूप एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य दण्डनायक के यहां मुकदमा संख्या 29/75 चल रहा है। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है।

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री गोपालसिंह!

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही माननीय सदस्य के दो प्रश्न हैं। एक ही माननीय सदस्य के दो प्रश्न नहीं होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : किसके नाम का है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : यह तो पक्षपात बराबर बढ़ता जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : इससे तो अच्छा है, बैलट करा दिया जाये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : प्रश्न-काल दो घन्टे का होना चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ निवेदन करना है। क्वेश्चन रह जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं। आप कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि सभी के प्रश्न पूरे हो जाया करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके बारे में ध्यान रखा जाता है।

आहोर के गन्दे पोखर की सफाई

473. श्री गोपालसिंह (आहोर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या आहोर कस्बे के दक्षिणी किनारे की तरफ ढाकीनाड़ा गन्दा पोखर है जिसकी सफाई पानी की निकासी की योजना बाबत सरकार का ध्यान आहोर की जनता से आकर्षित किया है ? अगर हां, तो सरकार इस ओर क्या कदम उठाने जा रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : जी हां । आहोर कस्बे के नवयुवक सेवा संघ की ओर से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । इस नगरपालिका का निर्माण गत वर्ष ही हुआ है । ऐसी स्थिति में उक्त ढाकीनाड़ा के पानी की निकासी की योजना बनाकर क्रियान्वित करना नगरपालिका की क्षमता के बाहर हैं । इस जनहित कार्य हेतु नगरपालिका ने '60%' जन सहयोग का आग्रह किया है ।

श्री गोपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हर साल यह बात होती है । इसके बारे में कुछ निश्चित निर्णय सरकार को लेना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्रीमती मदन कौर !

तहसील बाड़मेर के गांवों में चीनी आदि आवश्यक वस्तुओं का वितरण

474. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) तहसील बाड़मेर के पास खोखसर, खारड़ा, भारतसिंह, परेऊ, कुम्पलिया, गिड़ा, खारापार, सिमरणिय, को शक्कर का आवण्टन और उपलब्धि कहां से की जाती है ?

(2) क्या इन गांवों के लिए आवागमन के साधन और दूरी के दृष्टिकोण से शक्कर और दूसरी आवश्यक नियन्त्रित वस्तुओं का आवण्टन और उपलब्धि बालोतरा से किये जाने की व्यवस्था जनहित में नहीं है ? यदि हां, तो इन गांवों के लिये नियंत्रित वस्तुओं का आवंटन और उपलब्धि बालोतरा से कब तक कर दी जायेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) तहसील बाड़मेर के ग्राम खोखसर, खारड़ा, भारतसिंह, परेऊ, कुम्पलिया, गिड़ा, खारापार, सिमरलिया को शक्कर का आवंटन जिलाधीश बाड़मेर द्वारा व उपलब्धि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बायतु से होती है ।

(2) राजस्थान क्रय विक्रय संघ, जयपुर द्वारा बालोतरा सोसाइटी को आवंटित 5 वैगन की 750 बोरी दी जाती हैं । वह बालोतरा उप-खण्ड के ग्रामों को ही पर्याप्त हैं । अतः बाड़मेर उप-खण्ड के इन ग्रामों को बालोतरा उप-खण्ड से चीनी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है । अब समीपस्थ स्थान से चीनी उपलब्ध करवाने हेतु जिला प्रशासन कार्यवाही कर रहा है ।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय बाड़मेर से बालोतरा जाने का कोई रास्ता नहीं है । बाड़मेर क्षेत्र के इन ग्रामों को

(श्रीमती मदन कौर)
समीपस्थ स्थान से चीनी उपलब्ध कराई जाये, इसके लिए कोई रास्ता है या नहीं ? बालोतरा इन गांवों से नजदीक पड़ता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, बालोतरा इन गांवों से नजदीक पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष माननीय सदस्य, एक एक बोलें।

श्रीमती मदन कौर : इन गांवों से बाड़मेर का सीधा रास्ता है नहीं। रास्ता दूर भी पड़ता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सरकार को आपत्ति क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : यह उप-खण्ड के हिसाब से अलॉटमेन्ट होता है। यदि इस प्रश्न पर कोई निर्णय ले लिया तो सारे ही जिलों के लिए समस्या खड़ी हो जायगी। जो गांव जिस तहसील के नजदीक आते हैं सुविधा उसी में रहेगी। अलॉटमेंट उप-खण्ड के आधार पर है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। आपने अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया है। आपने आपूर्ति मन्त्री जी की रक्षा के लिए तो खड़े होकर जवाब दे दिया है। मुख्य मन्त्री जी आपने कहा है कि उप-खण्ड के हिसाब से चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, यह कतई गलत है। राजाखेड़ा क्षेत्र के लोगों को बयाना से चीनी लानी पड़ती है। यह सप्लाई अफसर पर निर्भर करता है कि वह चीनी किस पंचायत से उठवायें। आपने अपने सिविल सप्लाई मंत्री की सहायता करने का सोचा है जो सुझाव दिया है, उसको असली जामा पहनाने की कृपा करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसा करें ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : ऐसा किया है तो वह पूर्व सरकार ने किया है। मेरे सामने तो ऐसा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रशासनिक सुविधा या असुविधा को देखते हुए पूर्व सरकार ने निर्णय लिया होगा।

श्री मूलचन्द डागा : पूर्व सरकार के लिए कब तक कहते रहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्रीमती मदन कौर : क्या राज्य सरकार को आप निर्देश देंगे कि इन गांवों को बालोतरा से चीनी उपलब्ध करायें अन्यथा बहुत दिक्कत होती है......

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रशासनिक सुविधा-असुविधा की बात नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरा कोई विशेष आग्रह नहीं है कि इसी प्रकार चलायें। जनता की सुविधा की दृष्टि से हम विचार कर लेंगे। जो नीयरेस्ट सेन्टर होगा, वहां से चीनी उपलब्ध करायी जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : हम यही चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब स्थगित प्रश्न लिये जायेंगे। दिनांक 7 व 19-9-77।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7 व 19 सितम्बर, 1977)

भीम स्मारक धर्मार्थ ट्रस्ट

14. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में भीम स्मारक धर्मार्थ ट्रस्ट नाम से ट्रस्ट रजिस्टर किया गया है?

(2) यदि हां, तो उसके विधान की प्रति तथा उस ट्रस्ट की सम्पत्ति की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त ट्रस्ट की वार्षिक आमदनी कितनी है तथा उसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं?

(4) क्या उस ट्रस्ट के हिसाब का कभी राज्य सरकार की तरफ से अंकेक्षण कराया गया?

(5) क्या उक्त ट्रस्ट के विधान के अनुसार ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक बराबर होती रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूची आ गई है। मैं इससे सन्तुष्ट हूं। गवर्नमेन्ट को जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : क्यों? क्या बात हो रही है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरे पास सूची आ गई है।

श्री मूलचन्द डागा . यह क्या बात है। प्रश्न सदन में रख दिया गया है। सरकार का जवाब आना चाहिए। आपके पास सूची आने का कोई मतलब नहीं है। यह सदन का सवाल है। व्यक्ति का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

नेक्स्ट! श्री मूलचन्द डागा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-9-1977)

राज्य के खादी भंडार

112. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या खादी व ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खादी और ग्रामीण औद्योगीकरण के अन्तर्गत कितने खादी भण्डार या दुकानें राज्य में कहां कहां चलती हैं और उनसे पिछले तीन वर्षों में कितना कितना लाभ हुआ है? यदि लाभ नहीं हुआ है तो तीनों वर्षों में कितना कितना घाटा हुआ है?

(2) इस घाटे का क्या कारण है?

खादी एवं ग्रामोद्योग मन्त्री, (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) खादी उद्योग के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न स्थानों के लिए प्रमाण-पत्र समिति द्वारा स्वीकृत खादी भण्डारों की सूची संलग्न है। स्वीकृत खादी भण्डारों में गत तीन वर्षों में हानि-लाभ की स्थिति पृथक रूप से तैयार नहीं की जाती है। संस्था की संकलित (कन्सोलीडेटेड) बैलेंस शीट तैयार होती है। खादी भण्डारों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री मूलचन्द डागा : आपने सूची तो सदन को दे दी लेकिन खादी भण्डारों में कितना घाटा हुआ और कितनी हानि हुई, यह आंकड़े नहीं दिये हैं।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : खादी भंडार संस्था के अन्तर्गत चलते हैं और उनका उत्पादन सम्मिलित रूप से होता है। उनकी अलग से बेलेंस शीट नहीं होती।

श्री मूलचन्द डागा : आपके द्वारा जो उद्योग चलाये जा रहे हैं उनमें तीन साल से घाटा हो रहा है या नफा, यह बता दीजिये।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : इसका अलग से प्रश्न पूछें।

श्री मूलचन्द डागा: तीन वर्षों में कितना लाभ या हानि हुई, यह बता दीजिये। यह बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न को स्थगित करने के बाद भी तैयार होकर नहीं आवें, यह एक बड़ी खेदजनक बात है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि खादी भण्डारों की अलग से कोई बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है, इसलिए उनके घाटे की बात अलग से नहीं बताई जा सकती।

श्री मूलचन्द डागा : आपके भण्डारों की जांच होती है, उनका ऑडिट होता है उनका हिसाब रखा जाता है और उनका नफा-नुकसान मालूम होता है। हरएक भण्डार का आपका डिपार्टमेंट इन्सपेक्शन करता है। कृपया यह बतावें कि कौनसे भण्डार में किस साल में कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : स्थगित कर दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, यह प्रश्न एडमिट हो गया, उसके बाद स्थगित हो गया। आज भी इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों में इस तरह का प्रावधान है तो कैसे परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं भी केवल यह पूछ रहा हूं कि जितने भण्डार हैं उनमें तीन वर्ष में कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : भण्डारों का उत्पादन सम्मिलित रूप से होता है, संस्थाओं की क्या आर्थिक स्थिति है, यह तो बताया जा सकता है।

श्री श्रवणलाल : क्या मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भण्डार चलाये जाते हैं उनका स्टॉक, हिसाब-किताब सारा अलग से मेंटेन किया जाता है और वार्षिक हानि-लाभ का ब्योरा भी अलग से होता है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उनका हिसाब नियमित रखा जाता है और उनको हर वर्ष कमीशन मिलता है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि इन भण्डारों का, जो इनके द्वारा चलाये जाते हैं, सरकार की तरफ से प्रति वर्ष कितना धनराशि सहायता के रूप में दी जाती है ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : सारा उत्पादन संस्था का होता है, अलग से कुछ नहीं।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 166

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रेमसिंह सिंघवी!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट ! श्री मूलचन्द सामरिया !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-9-77)

चरागाह अथवा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण

195. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) व श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सरकारी घोषणा हो जाने के पश्चात् भी चरागाह अथवा सिवाय चक भूमियों पर इस बार भी अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रवृत्ति को रोका जाय। यह बहुत गलत है। पहले प्रश्न को स्थगित करा, उसके बाद भी आज उत्तर नहीं।

श्री रतनलाल वर्मा : यह बहुत जरूरी मसला है, चरागाह का और इसका उत्तर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : सरकार की इन-एफिशिएन्सी की पराकाष्ठा हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि जो प्रश्न पूछा है, विस्तार से उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्रश्न स्थगित किया गया।

(व्यवधान)

प्रश्न स्थगित कर दिया गया है।

नेक्स्ट। श्री शंकरलाल !

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 15-9-1977)

सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की गई भूमि

114. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितनी भूमि किन किन जिलों में भू-सीलिंग कानून से तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई थी और अधिग्रहण की गई कितनी भूमि भूमिहीन किसानों में अलॉट कर दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की गई कितनी भूमि के लिए किन किन जिलों में राज्य सरकार द्वारा स्टे-ऑर्डर जारी कर अग्रिम कार्यवाही को रोक दिया गया है और ऐसे मामलों का आखिरी निर्णय राज्य सरकार द्वारा कब तक ले लिया जायेगा ? अधिग्रहण में आई हुई भूमि पर राज्य सरकार द्वारा भूपति के हक में जारी किए गए स्टे आर्डर की जमीनों की एक सूची गांव व आसामीवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि सीलिंग द्वारा प्राप्त भूमि, जो भूमिहीनों में आवंटित की जा चुकी है, पर कई स्थानों पर भूतपूर्व भूपतियों द्वारा पुनः कब्जा कर आवन्टितों को जबरन बेदखल किए जाने की शिकायतें राज्य सरकार को व राजस्व अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ?

(4) ऐसी शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने हेतु व आवन्टियों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

(5) सीलिंग कानून के तहत और कितनी भूमि किन किन जिलों में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की सम्भावना है और ऐसे पेन्डिंग मामलों का निर्णय कब तक हो जायेगा ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी स्थगित किया जाय।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी स्थगित किया गया और अब भी स्थगित करने के लिए कह रहे हैं। कारण है अभी तक उत्तर नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सीलिंग कानून को असफल करना चाहते हैं इसलिए जान बूझकर उत्तर को छिपाया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इस सवाल को अवाइड करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी भलाई का नाजायज लाभ उठा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मन्त्रीजी को डिसमिस कर दीजिये।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : प्रश्न संख्या 195 और 214 ऐसे हैं, माननीय सदस्य देखेंगे कि इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए ....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो आप सेक्रेटेरियट पर लांछन लगा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, खेतसिंहजी, आपसे ज्यादा जानता हूं।

(व्यवधान)

आप, माननीय सदस्य, सुन लीजिये। आप बहुत होशियार है, मैं आपकी होशियारी की दाद देता हूं। आप थोड़ी तसल्ली रखिये।

श्री मथुरादास माथुर : दोनों हीं एक दूसरे को देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरा प्रश्न सीलिंग के बारे में है, उसकी डिटेल पूछी गई हैं। उसके अन्दर कहां कहां से स्टे हुआ, कहां पर वेकेट हुआ, कहां पर मामला पेंडिंग है, इस तरह की सूचना के लिए अगर पुरानी इन्फॉर्मेशन काम में लेंगे तो उचित नहीं होगा। कितने केसेज का निपटारा हो चुका है, कितने मामले पेंडिंग हैं, यह सब बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। सीलिंग कानून में आने वाली जमीन को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, यह आप विश्वास करके चलिये।

श्री शंकरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जवाब इसलिए नहीं दे....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई चिट्ठियां लिखी गई हैं, टेलिफोन भी किये गये, लेकिन अभी हमें संतोष नहीं है। इस दृष्टि से जवाब देना उचित नहीं होगा।

माननीय सदस्य चाहें तो उनको लिखित में उत्तर भेज दिया जायगा।

श्री शंकरलाल : सत्र तो 30 तारीख तक ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 30 तारीख तक उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री माधोसिंह (रेवदर): क्या जो गोचर भूमि में अलॉटमेंट हो गये हैं, सरकार उनको केन्सिल करेगी और भविष्य में वहां अलॉटमेंट नहीं किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में मुख्य मन्त्री ने पहले ही आश्वस्त कर दिया है।

श्री माधोसिंह : गवर्नमेंट की तरफ से गोचर भूमि का अलॉटमेंट कर रखा है। सीलिंग के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री ने जवाब दिया, मैं उनकी बात भी चैलेंज कर रहा हूं। यह प्रश्न जाम कहां हो गया ? राज्य सरकार.... ...

(व्यवधान)

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : जब तक दूसरी व्यवस्था न हो पाये ....

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : राजस्थान में जो सीलिंग की जमीन आवंटित की गई थी,

(श्री शंकरलाल)

वहां पर भी जनता पार्टी का राज होने के बाद जागीरदार वापस कब्जा ले रहे हैं। ऐसा भी मालूम हुआ है कि राज्य सरकार ने जिलाधीशों को आदेश दिये हैं कि ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : सीलिंग के कानून की क्या कीमत हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : यह कब तक जवाब देंगे ? पहले भी स्थगित कर दिया गया और अभी भी स्थगित करवा रहे हैं। आखिर कब तक जवाब देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीस साल तक तो यह लेकर बैठे रहे, और अब कह रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : अब प्रश्न-काल समाप्त हुआ। अब मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में पांच-पांच आदमी एक साथ खड़े होकर बोलने लगते हैं। यह सदन के लिये शोभा की बात नहीं है। एक आदमी कोई भी बोले, उसकी पूरी बात सुनें।

(व्यवधान)

सीलिंग की बात करते हैं, सीलिंग के कानून को बने इतने वर्ष हो गए, उस वक्त तक तो पालना नहीं करवाई, और अब····

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : आप उल्टा काम करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

माननीय श्री रतनलालजी ने जो सुझाव दिया, मैं आशा करता हूं कि वह स्वयं भी इस बात का पालन करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : सुझाव गले पड़ गया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-9-77)

छीपाबड़ौद के आस पास बाड़ियों वालों द्वारा दबाई गई भूमि

166. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद कस्बे के आस पास जो बाड़ियां हैं उन बाड़ियों वालों ने अपने खातों की जमीनों के

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
अलावा रास्तों को दबा रखा है जो कि सालपुरा से इकलेरा सड़क के किनारे व सालपुरा के बनजारी हरनावदा सड़क के किनारे-किनारे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद से राठी घटा की ओर जाने वाले लालबाई वाले गुआ (रास्ते) को भी इस रास्ते में पड़ने वाले खेत मालिकों ने दबा रखा है ? यदि हां, तो किस-किस ने? और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । इस प्रकार के अतिक्रमण हैं ।

(2) यह सही है कि इस प्रकार के अतिक्रमण हैं । सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

देवरिया ग्राम की जल प्रदाय योजना

19. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव देवरिया तहसील जैतारण के लिए जल प्रदाय योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने लागत की और उसकी क्या स्टेज है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस गांव में 'ट्यूब वैल' के जरिये पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना को क्रियान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम देवरिया की पम्प व टैंक योजना वर्ष 1975 में बनाई गई थी जिसकी अनुमानित लागत 1.8 लाख रुपया आंकी गई थी । नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों एवं पत्र की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं ।

(2) प्रस्तावित याजना में मीडियम ड्यूटी नल कूप का प्रावधान किया गया है किन्तु जल प्रदाय योजना जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों एवं जल की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृत की जा सकेगी ।

जालौर एवं सिरोही जिले की जल प्रदाय योजना

20. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर एवं सिरोही जिलों में कितनी जल प्रदाय योजनायें कार्यरत हैं और कितनी पर कार्य चल रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई जल प्रदाय योजनाएं बन्द हैं ? यदि हां, तो वे कौन कौन सी है ?

(3) क्या यह सही है कि भैंव व जोयला पासालिया योजना दो महीने बन्द रहीं ?

(श्रीं रघुनन्दन व्यास)

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त योजना के सभी गांवों में पानी नहीं पहुंचता है ? और लोगों को तीन तीन मील से पानी लाना पड़ता है ?

उत्तर

(1) जालोर जिले में 2 नगरीय जल प्रदाय योजनायें संधारण में हैं एवं 40 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में जल वितरण किया जा रहा है एवं 5 पर निर्माण कार्य चल रहा है। सिरोही जिले में 4 नगरीय जल प्रदाय योजनाओं में जल वितरण किया जा रहा है एवं 19 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में जल वितरण किया जा रहा है।

(2) साधारणतः सभी जल प्रदाय योजनाओं में जल वितरण चालू है। किसी विशेष परिस्थिति वश (विद्युत उपलब्ध न होने, मशीन का खराब होने अथवा बाढ़ की वजह से) जल वितरण अस्थाई रूप से बन्द हो तो वहां तत्काल सुधार कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है।

(3) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सायल आरया में दिनांक 16-5-77, 8-5-77 से 28-5-77 एवं 18-6-77 से 29-6-77, 30-6-77, 3-7-77, 6-7-77 एवं 7-7-77 को विद्युत पूर्ण मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण जल वितरण अनियमित रहा। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में विद्युत उपलब्धि में अव्यवस्था रही एवं मगरियों द्वारा पाइप लाइन की तोड़ फोड़ के कारण जल वितरण व्यवस्था 14 दिवस के लिए अव्यवस्थित रही। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पोसलिया में जल वितरण व्यवस्था सदैव सुचारु रूप से ही चालू है। वर्तमान में सभी जल प्रदाय योजनाओं पर जल वितरण सुचारु रूप से चल रहा है।

(4) जी नहीं। साधारणतया इन योजनाओं पर जल वितरण नियमित रूप से ही हो रहा है। व्यवधान होने पर उसे ठीक करने की व्यवस्था की जाती है।

लुहारवा जल योजना का कार्य

21. श्री गंगाराम चौधरी (गुड़ामालानी):—क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला बाड़मेर में लुहारवा जल योजना कब प्रारम्भ की गई थी और इतने समय के पश्चात् भी उसे अब तक पूरा नहीं किए जाने में क्या कठिनाई है ?

(2) उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना लुहारवा वर्ष 1972-73 में प्रारम्भ की गई थी। योजना का जल स्रोत पहले लुहारवा में रखा गया था किन्तु वहां का जल पीने योग्य नहीं पाया गया। उसके उपरान्त क्षमता ग्राम में नलकूप बनाया गया किन्तु वह भी असफल रहा। अतः अन्यत्र जल स्रोत निर्धारित करने के लिए भू जल विभाग के सहयोग से कार्यवाही की जा रही है।

(2) जल स्रोत निर्धारित होने पर योजना को संशोधित कर स्वीकृत करने का प्रयास किया जायेगा।

जैतारण तहसील के गांवों में पेयजल की व्यवस्था

22. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु विशेष ध्यान देने की घोषणा की गई है ?

(2) इस घोषणा के अन्तर्गत जैतारण तहसील के किन किन गांवों में क्या क्या व्यवस्था की जायेगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जैतारण तहसील के गांव लांबिया में जल प्रदाय योजना की क्रियान्विति का कार्य कब प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों एवं जल की उपलब्धि के अनुसार ही नई योजनाओं की स्वीकृति की जावेगी । अतः यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि किन किन गांवों में क्या क्या व्यवस्था की जावेगी ।

(3) ग्राम लाम्बिया स्वीकृत क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना आनन्दपुर कालू में सम्मिलित है । इस ग्राम में दिनांक 27-11-75 से जल वितरण किया जा रहा है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन

23. श्री मनीराम (तारानगर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य (राजस्थान) में कुल कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन दी जा रही है ?

(2) कितने स्वतन्त्रता सेनानियों की पेन्शन के मामले अभी भी विचाराधीन क्यों हैं ?

(3) माहवार पेन्शन के रूप में कितनी धनराशि दी जा रही है? यह राशि स्टेट से कितनी और केन्द्र से कितनी है ? नाम और जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्तमान में 1,007 स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को केन्द्रीय योजनान्तर्गत तथा 734 स्वतन्त्रता सेनानियों एव उनके आश्रितों को राजकीय राजस्व से पेन्शन दी जा रही हैं।

(2) राज्य स्तर पर राजकीय राजस्व से दी जाने वाली पेन्शन के 16 पूर्ण मामले विचाराधीन हैं । जिलाधीशों से वांछित जानकारी समय पर नहीं आने के कारण तथा राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सहायूय नियमों के प्रावधानान्तर्गत गठित सहायूय समिति की बैठक न हो पाने के कारण विचाराधीन हैं।

(3) केन्द्रीय राजस्व एवं राजकीय राजस्व के पेन्शन प्राप्तकर्ताओं की जिलेवार

(श्री मुख्य मंत्री)
सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं, जिसमें पेन्शन प्राप्त-कर्त्ता का नाम व मासिक पेन्शन की राशियां अंकित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सुमेल के भूतपूर्व जागीरदार की सम्पत्ति

24. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गांव सुमेल तहसील रायपुर जिला पाली के भूतपूर्व जागीरदार श्री छतरसिंह की निजी सम्पत्ति की सूची जागीर पुनर्ग्रहण के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अन्तिम तौर पर घोषित की जा चुकी है? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां, जागीर सुमेल के भूतपूर्व जागीरदार श्री कल्याणसिंह थे, श्री छतरसिंह उनके पाटवी पुत्र हैं। जागीर आयुक्त द्वारा जो सम्पत्ति भूतपूर्व जागीरदार श्री कल्याण सिंह की निजी मानी गई थी उसकी प्रति संलग्न मय आदेश के प्रस्तुत है। श्री छतर सिंह के नाम कोई सम्पत्ति जागीर आयुक्त द्वारा घोषित नहीं की गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

देवस्थान के मन्दिर

25. श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में देवस्थान विभाग के माध्यम से कितने कितने मन्दिर या प्रॉपर्टीज राजाओं द्वारा या और भी किसी प्रकार से सरकार को प्राप्त हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उनकी पूजा विधिपूर्वक नहीं होकर घटिया विधि से हो रही है? अगर हां, तो क्यों?

(3) मन्दिरों में पुजारी या सफाई और पानी आदि लाने वाले या नैवेद्य आदि बनाने वाले कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं और उनका क्या वेतन मिलता है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार इन मन्दिरों की हालत सुधारने के लिए कोई पब्लिक बॉडी बनाने पर भी विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भूतपूर्व रियासतों में स्थापित देवस्थान, धर्मार्थ, सदावृत, पुण्यार्थ इत्यादि नामों के विभागों के अन्याधीन मन्दिर व उनकी सम्पदाएं थीं, उनको राजस्थान निर्माण के साथ एकीकरण से वर्तमान देवस्थान विभाग का गठन सन् 1950 (जनवरी) में हुआ, उस समय 494 मन्दिर, धर्म-

(देवस्थान मंत्री)

शालायें तथा उनके साथ लगी सम्पत्ति चार्ज में प्राप्त हुई थीं उन मन्दिरों का निम्न प्रकार वर्गीकरण किया हुआ है:—

(1)	राजकीय डायरेक्ट चार्ज मन्दिर	336
(2)	आत्म-निर्भर श्रेणी के मन्दिर	158
		494

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, मन्दिरों की सेवा पूजा विधिपूर्वक समुदाय के अनुसार होती है।

(3) राजकीय डाइरेक्ट चार्ज श्रेणी के मन्दिरों में सेवा पूजा, सफाई-कर्त्ता, नैवेद्य बनाने वाले इत्यादि 357 कर्मचारी हैं जिनको वेतन 240-3-270-4-290 की वेतन शृंखला संख्या 1 में मिलता है। दूसरी श्रेणी के मन्दिर आत्मनिर्भर श्रेणी के हैं जिनमें ऐसे कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 809 हैं जिनको वेतन 10) से 150) रु. तक माहवार मिलता है तथा पार्ट टाइम कार्य करने वालों को 2) रु. से 10) तक (जैसा जैसा कार्य है उस अनुसार) मन्दिर की वित्तीय स्थिति के अनुसार दिया जाता है। सूची संलग्न है।

(4) जी नहीं, यह समस्त मन्दिर देवस्थान विभाग के प्रबन्धाधीन है। मन्दिरों की सेवा पूजा सुचारु रूप से चल रही है। आवश्यकतानुसार समय समय पर सुधार किया जाता है। इसलिये ऐसे राज्य सरकार के सीधे नियन्त्रित मन्दिरों के लिए पब्लिक बॉडी बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सर्वे व प्लानिंग का कार्य

26. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डी. पी. ए. पी. व नॉन डी. पी. ए. पी. में क्या फर्क है ?

(2) सर्वे व प्लानिंग का प्रोग्राम क्या केवल चार डिवीजनों में, जो नॉन डी. पी. ए. पी. में नहीं आते हैं, शेष रहता है ?

(3) सर्वे और प्लानिंग सभी जिलों का कर लिया जाय इस पर राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) डी. पी. ए. पी. भारत सरकार की वित्तीय सहायता से चलाया जा रहा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऐसे विकास कार्य करना है जिससे कि सूखे की स्थिति पर नियन्त्रण किया जा सके तथा वहां के निवासियों को सूखे या अकाल की स्थिति का सामना करने में सक्षम किया जा सके।

(2) डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित क्षेत्र आते हैं:—

जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले तथा अजमेर जिले की ब्यावर तहसील, उदयपुर जिले की भीम, देवगढ़ व खेरवाड़ा तथा झुन्झुनू जिले की चिड़ावा और झुन्झुनू तहसीलें। राजस्थान के बाकी बचे हुए क्षेत्र जिनमें डी. पी. ए.

(आयोजना मंत्री)

पी. स्कीम के अन्तर्गत कार्य नहीं होता है, नॉन डी. पी. ए. पी. क्षेत्र कहलाते हैं।

(2) सर्वे व प्लानिंग का प्रोग्राम उपरोक्त क्षेत्रों में डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत चल रहा है। राजस्थान के शेष भाग को चार डिवीजनों में बांटा गया है जिनके मुख्यालय अलवर, उदयपुर, टोंक तथा जयपुर में हैं। इन डिवीजनों के तहत जो जिले आते हैं वे परिशिष्ट 'अ' में दिये गये हैं जिनमें सर्वे व प्लानिंग का कार्य छोटे स्तर पर चल रहा है। मूल प्रश्न स्पष्ट प्रतीत नहीं होने के कारण अधिक सूचना देना कठिन है।

(3) अन्य नॉन डी. पी. ए. पी. जिलों में वित्तीय साधनों को देखते हुए सर्वे एवं प्लॉनिंग का कार्य बड़े स्तर पर करवाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

गांव फीला की राशन की दुकान

27. श्रीमती श्यामा कुमारी संगर (कपासन) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील गांव फीला (ग्राम पंचायत फीला) की राशन की दुकान वहां के सरपंच के पास है और मनमानी कर जिसको चाहे उसको शक्कर वितरित करते हैं और जिसको चाहे उसको शक्कर नहीं देते हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी कि गत वर्ष और इस वर्ष किस किस को शक्कर दी गई, दोषी व्यक्ति को सजा देगी और गांव वालों को शक्कर दिलवाने की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

राज्य सरकार की नीति के अनुसार ग्राम फीला में फीला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड को चीनी वितरण का कार्य दिया हुआ है। इस समिति के व्यवस्थापक श्री कुबेरसिंह हैं और ये ही ग्राम पंचायत के सरपंच भी हैं। ग्रामवासियों को उनके विरुद्ध कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है और प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जांच में भी कोई शिकायत नहीं पाई गई है। शिकायत प्राप्त होने पर अवश्य जांच कराई जावेगी।

जालोर में वनों की अवैध कटाई

29. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वनों के ठेकों के अतिरिक्त जब विभागीय कार्य शुरू हुआ तब से क्या नियमों का पालन हो रहा है?

(2) क्या यह सही है कि कत्था, कोयला, लकड़ी, बांस, कबाड़ा की कटाई नियमानुसार हो रही है? यदि नहीं, तो विभागीय कार्यों में भ्रष्टाचार के कितने मामले पकड़े गए हैं और उनमें पकड़े जाने वाले वनों के बड़े अधिकारियों आई. एफ. के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है?

(3) क्या यह सही है कि जालोर में चेकला-जविमा-वन की कटाई अवैध हुई है तथा अब भी अवैध कटाई हो रही है?

(श्री रघुनन्दन व्यास)

(4) क्या यह सही है कि उस चेकला कटाई की जांच कलेक्टर, जालोर ने की थी और उसमें उस जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी को दण्डित भी किया था? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

(5) वन को संरक्षण देने तथा उन्हें अभिवर्धन करने की राज्य सरकार की कोई नीति है?

(1) जी हां।

(2) जी हां। विभागीय कार्य में अनियमितता के 3 मामलों में जांच चल रही है।

(3) भूतपूर्व चेकला-जविमा जागीरों के सीमा-विवाद के सम्बन्धी मामलों को राहत/वन अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इसके उपरान्त ही प्रबंध कटान सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब प्रबंध कटान की जानकारी विभाग को नहीं है।

(4) चेकला वन कटाई की जांच जिलाधीश जालोर द्वारा नहीं की गई। अतः उसके आधार पर किसी को दण्डित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(5) जी हां। वनों को संरक्षण देने तथा उन्हें अभिवर्धन करने की वन विभाग की नीति है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, हाडेतर मेड़ा में गबन का मामला

30. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति हाडेतर मेड़ा पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र की प्रबन्ध समिति के सदस्य श्री वोभाराम के विरुद्ध गबन के मामले में राज्य सरकार द्वारा निष्पक्ष विस्तृत जांच करवाने का सदन में आश्वासन दिया गया था? अगर हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री वोभाराम ने उक्त समिति के एक सदस्य श्री धनराज के नाम फर्जी दस्तावेजात तैयार कर रु. 2540 की रकम काबिल वसूली निकलवा दी? अगर हां, तो कब एवं किस प्रकार जब कि ऑडिटर श्री परबतसिंह चौहान ने रकम श्री वोभाराम के खुद के नाम निकाली थी?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री धनराज की शिकायत पर जांच के दौरान श्री धनराज के फर्जी हस्ताक्षरों की जांच किसी एक्सपर्ट से नहीं करवाई गई? अगर हां, तो क्यों? क्या राज्य सरकार उन हस्ताक्षरों की जांच अब करवाना उचित समझेगी? अगर हां, तो कब तक? क्या राज्य सरकार उक्त गंभीर मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा करवाना उचित समझेगी? उक्त मामले के बाद क्या जांच सरकार पुलिस को सुपुर्द करना उचित समझेगी? अगर हां, कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 27-7-77 को जांच करवाने का आश्वासन दिया गया था।

(2) श्री वीभाराम के द्वारा दिनांक 13-7-75 को श्री धनराज से रसीद प्राप्त कर एवं भरण का बांड भरवाकर 2540/- की राशि को श्री धनराज को देना रोकड़ बही में अंकित किया गया है जब कि श्री परबत सिंह द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में 2540 रुपये की राशि श्री वीभाराम के द्वारा गबन करने का उल्लेख किया गया है।

(3) जी हां, श्री धनराज के हस्ताक्षरों की जांच किसी एक्सपर्ट से नहीं करवाई गई है क्योंकि सहायक रजिस्ट्रार, जालौर द्वारा की गई जांच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत नहीं थी। आश्वासन के अनुसार मामले की पुनः जांच करवाई जा चुकी है और जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। कुल राशि 2540 रुपया तथा ब्याज 645 रुपया कुल 3185 रुपये रसीद क्रमांक 62 दिनांक 20-3-77 से समिति में जमा हो चुकी है। श्री वीभाराम के विरुद्ध दिनांक 3-9-77 को मामला पुलिस थाना सांचोर में दर्ज भी करवा दिया गया है।

श्री वीभाराम के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 36 के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा सहायक रजिस्ट्रार, जिसने गलत जांच की, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए आदेश दे दिये गये हैं।

रामप्रकाश सिनेमा में सफाई की व्यवस्था

32. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामप्रकाश सिनेमा में एयर कन्डीशन एवं सफाई आदि की सुचारु व्यवस्था नहीं होने के कारण सिनेमा हॉल के दरवाजे खासकर गर्मी एवं बरसात के दिनों में खुले रहते हैं तथा दर्शक सिनेमा के बाहर मल-मूत्र करते हैं जिससे अड़ोस पड़ोस के निवासियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसको यहां से हटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राम प्रकाश सिनेमा में एयर-कन्डीशनर लगा हुआ नहीं है। भवन में ठण्डी हवा के लिये तीन फीट परिधि का एगजास्ट फैन लगा हुआ है। सिनेमा भवन में मल-मूत्र हेतु जनाने 13 व मर्दाने 24 तहारत व पेशाबघर बने हुये हैं।

(2) राम प्रकाश सिनेमा के किराये व कब्जे से खाली कराने का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय द्वारा निर्णय होने पर ही कोई कार्यवाही की जा सकती है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) प्रश्न (2) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

सहायक नगर नियोजक एवं उप नगर नियोजक के पदों की योग्यता

33. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के भूगोलवेत्ता टाउन प्लानर्स द्वारा नगर नियोजन में अधिस्नातक शिक्षा प्राप्त कर लेने एवं इन्सटीट्यूट ऑफ टाउन प्लॉनर्स, इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् भी इनको टाउन प्लानिंग सेवा नियमों में सहायक नगर नियोजक एवं उपनगर नियोजक के पदों की योग्यता से विमुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा आर्चिटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि होने पर भारत के सभी राज्यों में नगर नियोजक के पदों पर समान अवसर प्रदान किये जाते हैं ? यदि हां, तो फिर राज्य में टाउन प्लानिंग सेवा नियम इसके अपवाद क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि टाउन प्लानिंग सेवा नियमों में राज्य के नगर नियोजन में प्रशिक्षित नगर नियोजकों को टाउन प्लानिंग सेवा के पदों के योग्य नहीं माना गया है ? यदि हां, तो यह निर्णय किस आधार पर लिया गया ?

(4) क्या राज्य सरकार ने "टाउन प्लानिंग सेवा नियम, 1966" में सहायक नगर नियोजक पद की सेवा योग्यता में किये गये संशोधनों से पूर्व इस विषय का ज्ञान रखने वाले भारत के अन्य वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था जैसे इन्सटीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स, इंडिया की सलाह ली थी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु वह भूगोल वेत्ता को सहायक नगर नियोजक के पद पर नियुक्त करने के लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

(2) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा नगर नियोजन पदों पर भर्ती वास्तुविधि, सिविल इंजीनियरिंग एवं भूगोल वेत्ता उपाधि प्राप्त नगर नियोजकों में से की जाती है। इस विभाग को अन्य राज्यों में नगर नियोजक पदों पर भर्ती के लिये योग्यताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। यह आवश्यक नहीं है। राज्य सरकार सेवा नियमों के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व गुणावगुणों पर पूर्ण विचार करके ही निर्णय लेती है।

आकोला गांव की डिस्पेन्सरी में डॉक्टर की व्यवस्था

34. श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कपासन तहसील में आकोला गांव में डिस्पेन्सरी

Page No 38

(43)

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

है फिर भी वहां कोई डॉक्टर नहीं है जब कि वह बड़ा गांव है ? क्या राज्य सरकार वहां शीघ्र डॉक्टर लगाने की व्यवस्था करेगी ?

(2) क्या यह सही है कि वहां हास्पिटल खुले 3 साल के करीब हो चुके हैं और दो बार लेडी डॉक्टरों का पोस्टिंग हुआ परन्तु वे महीने भर रह कर वापस चली गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि आकोला की आबादी 8000 है और कपासन तहसील में सबसे बड़ा गांव है फिर भी वहां की डिस्पेन्सरी में डॉक्टर नहीं है ? वहां डॉक्टर की राज्य सरकार कब तक व्यवस्था कर देगी ?

उत्तर

(1) कपासन तहसील के ग्राम आकोला में कोई राजकीय डिस्पेन्सरी कार्यरत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) जी नहीं। 1976 में आकोला में एक ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र चालू किया गया था और वहां पर दिसम्बर 1976 में डॉक्टर नलीनी शेखावत का लगाया गया था। उनको निदेशालय के आदेश संख्या एफ. पी./प्रति. (119) 76 दिनांक 29-12-1976 के द्वारा एन. टा. पी. प्रशिक्षण हेतु पोरट पार्टम स्कीम, उदयपुर के अन्तर्गत भेजा गया था व वहीं उनका पदस्थापन हो जाने के फलस्वरूप हुये रिक्त स्थान पर अब शीघ्र ही उक्त महिला चिकित्सक को पोस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं। ग्राम आकोला में डिस्पेन्सरी नहीं होने के कारण उसके लिए चिकित्सक की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ? परिवार कल्याण केन्द्र के लिए महिला चिकित्सक पोस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।

प्राथमिक, विद्यालय सूरजगढ़

35. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सूरजगढ़ (झुंझुनूं) कस्बे में राजकीय बुनियादी प्राथमिक विद्यालय एक सार्वजनिक धर्मशाला में सन् 1960 से चल रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन का कोई किराया नहीं दिया जाता था ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य-सरकार ने उक्त सार्वजनिक भवन का किराया दिनांक 16-4-1970 से देने का आदेश दिनांक 29-7-1974 को दिए हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह भी सही है कि निदेशक शिक्षा विभाग व जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनूं ने उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को दिनांक 24-5-1974 व 20-5-1975 को लिखा है ? यदि हां, तो पत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) बिना किसी किरायेनामे के किराया देना क्या उचित है ? यदि नहीं,

(श्री नवरंग सिंह)

तो किराया देने का क्या आधार व क्या कारण है तथा अब क्या राज्य सरकार उक्त भवन का किराया देना बन्द करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजकीय बुनियादी प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़ एक सार्वजनिक धर्मशाला में चल रहा है।

(2) यह सही है कि उक्त भवन का कोई किराया नहीं लिया जाता है।

(3) यह सही है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प- 22/शिक्षा./ग्रुप-5/73 दिनांक 29-7-1974 के द्वारा दिनांक 16-4-1970 से किराया चुकाये जाने के आदेश दिए गए हैं। आदेश की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां। पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(5) किरायानामा लिखाया जाना वांछनीय है। अभी तक इन्हें कोई किराया नहीं चुकाया गया है। जो भी किराया चुकाया जायेगा वह नियमानुसार चुकाया जायेगा।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

समाज शिक्षा विभाग में पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं की खरीद

36. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार का समाज शिक्षा विभाग पुस्तकें व पत्र-पत्रिकायें क्रय करता है ? अगर हां, तो सन् 1975-76 व 1976-77 में कौन कौन सी पुस्तकें व पत्रिकायें व समाचार-पत्र क्रय किये गये और उनकी कितनी-कितनी प्रतियां क्रय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किन किन पत्र-पत्रिकाओं का कितना-कितना भुगतान हुआ ?

(3) क्या समाचार पत्र व पत्रिकाएं किसी समिति द्वारा चयन होकर क्रय की जाती हैं ? यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

(4) क्या दैनिक पत्र भी क्रय किया गया ? अगर हां, तो कौनसा पत्र था और उसको क्रय करने के आदेश कहां से हुए ?

उत्तर

(1) समाज शिक्षा विभाग द्वारा सन् 1975-76 व 1976-77 में जो पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकायें क्रय की गई हैं उनकी सूची संलग्न है। जितनी संख्या में इनको क्रय किया गया है वह संख्या प्रत्येक के सम्मुख अंकित है।

(2) पत्र-पत्रिकाओं के भुगतान की राशि भी संलग्न सूची में अंकित कर दी गई है।

(3) समाचार पत्र एवं पत्र-पत्रिकायें समिति द्वारा चयन होकर क्रय की जाती हैं। समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है। विशेष परिस्थिति में सरकार स्वयं भी अपने स्तर से चयन एवं क्रय के आदेश दे सकती है।

Page No 40

(45)

(शिक्षा मंत्री)

(4) नेशनल हेराल्ड नामक दैनिक पत्र क्रय किया गया था। इसके क्रय करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किये गये थे। सितम्बर 1977 के बाद से इसका क्रय करना बन्द किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री जगतार सिंह, मनफूलराम, रघुनाथ बिश्नोई, गंगाराम चौधरी व खेतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में प्राइवेट और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की हड़ताल होने से उत्पन्न हुई स्थिति के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री मदनसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में अन्त्योदय की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में 5 परिवारों को साधन सम्पन्न करने की योजना अस्पष्ट होने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और इस पर राजस्व मन्त्री कल राजस्व की मांगों पर बहस के उत्तर में प्रकाश डाल चुके हैं। अतः मैं इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री खेतसिंह राठौड़ : गंगानगर जिले में सात दिन से हड़ताल चल रही है। वहां बसेज चलना बन्द है। आवागमन के सारे साधन बन्द हो गये हैं। ऐसे इम्पोर्टेंट मसले पर आप इनसे कहिये कि कल स्टेटमेंट दें।

श्री शंकरलाल : मैं भी वहां होकर आया हूं। वहां पर सारे बाजार बन्द कर दिये गये हैं। लोग कह रहे हैं कि यह किस प्रकार की सरकार है।

श्री इन्द्रपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। वह भी इसी सम्बन्ध में था। गंगानगर जिले में····

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्रीजी बैठे हैं। उनको वक्तव्य देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है। इस पर चर्चा नहीं की जाये।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : तारीख 2 को इन लोगों के पास जायेंगे, तो हम क्या जवाब देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, मैं विवश हूं इस बारे में।

(व्यवधान)

आप बिराजिये। जो जानकारी है, वह दे सकते हैं, अगर जानकारी नहीं है तो मैं मजबूर नहीं कर सकता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मजबूर करिये साहब। आप इन्हें मजबूर नहीं करेंगे तो ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था बन्द रहेगी। आप अगर वहां जायें तो आपको काले झण्डे दिखायेंगे, इसलिये आप वहां जा नहीं रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप नहीं कहेंगे तो सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंगने वाली है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रस्ताव था उदयपुर विश्व विद्यालय में हुए झगड़े मारपीट के बारे में। विद्यार्थी वहां पर कलेक्टर के पास गये, कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि पुलिस को भेजेंगे लेकिन युनिवर्सिटी में पुलिस को भेज नहीं सके क्योंकि इस चांसलर व डीन श्री रावत ने जिलाधीश को मना कर दिया। मारपीट अभी जारी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप की चिन्ता को मैं भी जानता हूं, लेकिन आपका प्रस्ताव लेट आवर्स में पेश किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : लेट नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : 9.15 पर आपका प्रस्ताव आया है।

बिराजिये आप।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में मारपीट हुई है। आर. एस. एस. के आदमियों ने आकर "

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। यह जरूरी नहीं है कि आप हर प्रश्न पर बोलें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आज हर जगह पर जो हो रहा है वह बहुत बड़ी संगीन बात है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर जहां भी देखें जातिवाद के नाम पर जो हो रहा है, यह बड़ा ही संगीन मामला है।

एक माननीय सदस्य : आर. एस. एस. के लोग....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं आर. एस. एस. की बात नहीं करता हूं।

(व्यवधान)

आप इस तरह से मत करिये, इसके भयंकर परिणाम होंगे। मैं माननीय मुख्यमन्त्री से निवेदन करूंगा कि यह किसी भी रूप में आये, चाहे आर. एस. एस. के रूप में आये, चाहे जातिवाद के रूप में आये, इसको बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिये। जो कुछ हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है, इसके परिणाम भयंकर

(श्री श्योपतसिंह मक्कासर)
निकलेंगे। इसका हल आपको निकालना होगा। अगर विरोधी पक्ष के लोगों को साथ में बिठाकर बात करनी हो तो उनको बिठायें।

श्री मूलचन्द डागा : विरोधी पक्ष से तो यह बात ही नहीं करना चाहते।

एक माननीय सदस्य : कल अजमेर में हड़ताल थी ...

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : उदयपुर में भी था। यह कहा गया कि झगड़ा नहीं हुआ। एक्चुअली झगड़ा हुआ है और एफ. आई. आर. दर्ज हुई है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी इस बात को जरा सन्जीदगी से लेकर इस समस्या का अपने स्तर पर हल करावें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसको गम्भीरता से लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य विश्नोई जी, आप बिराजिये। गुप्ता जी, आप बिराजिये। मुख्य मन्त्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज कई जगह पर छात्रों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं कि छात्रों के अन्दर रोष है, आपस में लड़ाई होने से गड़बड़ियां हो रही है, हम भी इससे खुश नहीं है। मैं यहां पर स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जहां जहाँ भी गड़बड़ियां हो रही हैं उन्हें सख्ती से दबाया जायेगा। चाहे इसमें कोई भी क्यों नहीं हो, इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उन दोषी लोगों के खिलाफ मैं तुरन्त कार्यवाही की जावेगी। मैंने इसके लिये अपने स्तर पर कार्यवाही करने के लिए आदेश दे दिये हैं। मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनायें हों। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे किसी भी एक्शन को दबाया जाना चाहिये जिसके करने से किसी प्रकार का झगड़ा हो, या जो लोग इस प्रकार का कथन करते हैं उन्हें हर स्तर पर दबाया जाना चाहिये जिससे बात आगे नहीं बढ़े। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हू कि मैं जन्म से राजपूत हूं इससे अगर किसी को आपत्ति हो तो यह कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। मुझे सिर्फ राजपूत ही समझना और राजपूत होने के नाते राजपूत की सरकार ही समझना यह लोगों की भूल है। मैं मुख्य मन्त्री हूं और मुख्य मन्त्री की न कोई जाति होती है न कोई धर्म ही होता है। अगर कोई भी व्यक्ति उदण्डता करेगा तो राज्य सरकार उसको सख्ती से दबाया करेगी। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार काननी ढंग से सख्ती से डील करेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सख्ती से नहीं आप उनकी समझाइश कीजिये। सख्ती से तो छात्रों में आन्दोलन भड़केगा। छात्रों

(श्री खेतसिंह राठौड़)
के साथ सख्ती से कम और समझाइश से ज्यादा समस्या का हल निकलता है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको मैंने कई बार कहा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रद्युम्न सिंह जी, आप बिराजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वहां तो ग्रार. एस. एस. का कोई होता है काम बन जाता है। यह आपके शिक्षा मन्त्री जी जो हैं यह राजस्थान का डुबा देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रद्युम्न सिंह जी, आप बिराजिये।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ग्राजस्थान में जगह-जगह ग्रार. एस. एस. वाले दंगा-फिसाद कर रहे हैं। आप देखिये, भीलवाड़ा में इन लोगों ने दंगा किया है, बून्दी में किया है, अजमेर में किया है। जगह-जगह यह ग्रार. एस. एस वाले मारपीट की घटनायें कर रहे हैं। इसी प्रकार उदयपुर में दंगा हो रहा है। यह सभी घटनायें आप के ग्रार. एस. एस. वाले कर रहे हैं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा, वह इस प्रकार की घटनाओं को सख्ती से अपने स्तर पर कार्यवाही करके निपटायें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, श्री प्रद्युम्नसिंह जी। आप बिराजिये, गुप्ता जी। बैठिये विश्नोई जी, आप बिराजें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आखिर हकीकत क्या है। Everyone knows it. What he is doing. यह शिक्षा मंत्री जी राजस्थान को तबाह करने पर तुले हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। बैठिये प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में कहां झगड़ा नहीं हो रहा है। आप देखिये, इस वक्त बून्दी में क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा: उपाध्यक्ष महोदय, आज ग्रार. एस. एस. के लोग शिक्षा मन्त्रीजी को कह कह कर तबादले अन्धाधुन्ध करा रहे हैं। आखिर इसकी कोई तादाद तो होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। बैठिये, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : कौन दंगा करा रहा है, इसका पता लगाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोगों को मैं बार-बार कह रहा हूं, आप बिराजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : जब मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दे दिया ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस के लोग दंगा करा रहे हैं । मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों को पीटा गया है उसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिये । इसके पीछे कांग्रेसी लोगों का हाथ है । आज यूनिवर्सिटी में डीन ने पक्षपात करके बच्चों के साथ मार-पीट करवायी है, मारपीट करने वालों को सहयोग दिया, इसका क्या औचित्य है ? पांच बच्चों को कॉलेज से बाहर कर दिया है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान मे आज जगह जगह झगड़े हो रहे हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर सख्ती से कार्य-वाही करें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान डूब जायेगा । आपके इन शिक्षा मंत्री जी की वजह से यह डूब जायेगा । राजस्थान डूब जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई, : उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें राजस्थान में चारों तरफ झगड़े । हो रहे हैं, छात्रों को परेशानी हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! बिश्नोई जी, आप बिराजिये ।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अजमेर में डी. ए. वी. कॉलेज के लड़के डेपूटेशन लेकर गृह मंत्री जी के पास गये थे । उन्होंने उचित कार्य-वाही करने के लिये आश्वासन दिया । लेकिन यह लोग जबरदस्ती तूल दे रहे हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कोई तूल नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, चिरंजी लाल जी । आप बिराजिये, बिश्नोईजी । गुप्ताजी आप बिराजिये ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट ।

इन कांग्रेस वालों ने छात्रों को उकसाया है । इन्होंने इमर्जेन्सी के अन्दर हजारों छात्रों को अन्दर रखवाया है और उनके साथ अन्याय किया है । आज यह छात्रों के साथ न्याय की बात कर रहे हैं जबकि इन्होंने खुद ने छात्रों के साथ अन्याय किया है । इन लोगों को अब गुण्डा गर्दी करने की छूट नहीं दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष: आप बिराजिये, गुप्ताजी । आप बैठिये ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग आज जो सदन में इस प्रकार छात्रों के प्रति विचार प्रकट कर रहे हैं यही लोग असलियत में छात्रों के अधिकारों के हत्यारे हैं । इनको कोई हक नहीं है छात्रों के बारे में बोलने का । इन्होंने हज़ारों छात्रों को जेलों में ठूंसा था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिश्नोईजी, बिराजिये। माननीय सदस्य गुप्ता जी, प्रद्युम्नसिंह जी, बैठिये। गुप्ताजी, बिराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यही लोग जाट-राजपूतों का झगड़ा करा रहे हैं। यही लोग जाट-राजपूतों के अन्दर जहर घोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। इनको बोलने की छूट नहीं दी जाये। यही दोषी हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इनको छूट नहीं दी जा सकती। छात्रों को इन्हीं लोगों ने जेलों में 19 महीने डाले रखा है और उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किए हैं। आज हमदर्दी दिखा रहे हैं। इन्दिरा गांधी ने क्या अत्याचार नहीं किए

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नोट नहीं किया जाय।

× × × ×

बिराजिये, माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य, बिराजिये।

बिराजिये, माननीय सदस्य।

सदन के नेता खड़े हो रहे हैं। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्षजी, उदयपुर के छात्र मुझसे मिले हैं। तीन रोज पहले इस मामले की चर्चा की थी और माननीय मुख्य मन्त्री जी का और गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। मुख्य मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी के कक्ष में विद्यार्थी शिष्ठ मण्डल मिलने गया था। तो स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने बताया था कि मैं छात्रों से मिला हूं। जो सूचना मुझे मिली है, उसके अनुसार छात्र आतंकित हैं। वहां से जयपुर नहीं आने दिया गया है। छिपकर रेलवे स्टेशन पर आये हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी, आप स्वयं इसका देख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में कोई इन्ट्रप्शन नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): विरोधी दल के नेता महोदय ने जिस तरह की बात कही, विद्यार्थी आये परसों मिले, गृह मन्त्री जी के साथ मिले। उनसे हमने पूछा कि आप किस प्रकार की सुरक्षा चाहते हैं? जिस प्रकार की सुरक्षा चाहिये उसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। लड़कों को पूरा आश्वस्त करके रवाना किया। जिला अधिकारियों को यह आदेश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिये और हो गई तो आप जिम्मेदार होंगे। मैं समझता हूं कि इससे अधिक क्या आश्वस्त किया जा सकता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सवाल क्यों पैदा हुआ? उदयपुर में हुआ, जोधपुर में हुआ।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : बीकानेर में हुआ

श्री श्योपतसिंह मकासर : बीकानेर में यह बीमारी नहीं है । जिन लोगों ने ज्यादती की, कोई पार्टी हो उनके विरुद्ध कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया ? क्या उनके विरुद्ध कोई सख्त कदम नहीं उठायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप विश्वास रख कर चलिये कि जिसने अपराध किया है, उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही होगी ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सख्ती से कार्यवाही ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सख्ती से कार्यवाही होगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह सकता हूं कि मैं उस प्रस्ताव के बारे में जानकारी चाहूंगा ।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं आप से तीन चार बार चेम्बर में मिला । लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं । अधिकारी गण बदले की भावना से तंग करते हैं । जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वे लोग भयभीत हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । आप विराजिये ।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी मांगी जा रही है । सरकार शीघ्र जवाब नहीं दे रही है । यह खेद के साथ कहना पड़ता है । शीघ्रता से जानकारी देना चाहिये और देरी नहीं बरतनी चाहिये । मैं अपेक्षा करूंगा कि आइन्दा से इतनी देरी न हो ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने अहम सवाल किये हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं भी....

श्री उपाध्यक्ष : आप चेम्बर में मुझसे मिल लें । मैंने वैसे जानकारी आपको दे दी है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप ने थोड़ी देर पहले अपने निर्देश में कहा था कि स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं सरकार को वक्तव्य देने के लिये मजबूर नहीं कर सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक कि उनको पूरा अवसर जानकारी बाबत नहीं दिया जा सके ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे प्रश्न यहां नहीं आ पाते हैं तो कम से कम हमको जवाब तो उनका भेज दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : जिसका रिप्लाई यहां नहीं आ पाया है उसकी जानकारी आपको भेज दी जायेगी । जवाब उसका भेज दिया जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : मैंने तारीख 8 को....

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझसे चेम्बर में मिल लें ।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम लोगों ने पहले ही प्रश्न दे रखे हैं, जवाब आया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

यदि प्रश्न पर प्रश्न पूछना चाहें तो मैं कुछ नहीं कहता। नियमों के अन्तर्गत जो समस्या है उसको हल कर सकते हैं। बार बार उसको दोहराते रहने से कोई एकदम समस्या हल नहीं हो जाती है। नियमों के अनुसार जो भी कार्यवाही हो सकेगी वह की जावेगी ?

श्री मूलचन्द सामरिया : कब तक जवाब आवेगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। मैंने पहले ही आपको कह दिया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपका आदेश है, मैं विराजूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरे शब्दों को दोहरा सकते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर। 200 आदमी हैं सबको तकलीफ है। महीने डेढ महीने पहले प्रश्न पूछते हैं, आपने क्या आदेश दिए हैं उसके लिए ?

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है नियमानुसार कार्यवाही होती है। नियमों का अतिक्रमण करके काम किया जा रहा है तो मैं आश्वासन दे सकता हूं कि नियमों के अनुसार ही कार्यवाही होगी।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान में वेक्सीनेटर संघ द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन तथा क्रमिक भूख हड़ताल

अब माननीय श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री राजस्थान वेक्सीनेटर संघ द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन तथा क्रमिक भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

माननीय श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी !

श्री मूलचन्द डागा : बहुत दिनों के बाद।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान वेक्सीनेटर संघ ने दिनांक 2-9-1977 को एक) सूत्री मांग-पत्र निदेशक स्वास्थ्य विभाग को दिया। उसके बाद दिनांक 3-9-1977 को उक्त संघ के प्रतिनिधि उपनिदेशक स्वास्थ्य विभाग से मिले। उनकी मांगे निम्न प्रकार थीः—

1. वेक्सीनेटर को 116) रुपया का ग्रेड 1968 से स्वीकृत किया जाय व 25) रु. माहवार रिस्क अलाउन्स भी स्वीकृत किया जाय।

2. वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाय और मैट्रिक पास की शर्त समाप्त की जाय।

3. वरिष्ठता के आधार पर वेक्सीनेटर को आर. एन. आर. सी. के प्रशिक्षण की सुविधा दी जाय।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(4) निलम्बित व्यक्तियों को शीघ्र सेवा में लिया जावे और निलम्बन के आदेश निदेशक महोदय द्वारा दिये जावें।

(5) स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जावे और वेक्सीनेटर को अपने जिले से बाहर नहीं भेजा जाये।

वार्तालाप के फलस्वरूप वेतन मामले के अतिरिक्त अन्य सभी मांगों पर एक सन्तोषप्रद हल ढूंढने का प्रयास किया गया। उन्हें अवगत कराया गया कि वेतनमानों का प्रश्न एक राज्य व्यापी नीति का प्रश्न है तथा निदेशक उनकी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे।

मैट्रिक पास वेक्सीनेटर्स की पदोन्नति का प्रावधान तो है और नॉन मैट्रिक वेक्सीनेटर्स के लिये चयन श्रृंखला के विषय में भी सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु निवेदन किया गया है।

वेक्सीनेटर संघ इस वार्तालाप से सन्तुष्ट नहीं हुआ तथा दिनांक 7-9-77 से क्रमिक भूख हड़ताल का एक पक्षीय निर्णय लेकर भूख हड़ताल निदेशक के कार्यालय के बाहर प्रारम्भ कर दी गई। उसके तत्काल बाद अतिरिक्त निदेशक परिवार कल्याण के साथ दिनांक 9-9-77 को संघ के प्रतिनिधियों की एक और बैठक हुई जिसमें भी पूर्ववत आश्वासन दिया गया तथापि संघ ने इन आश्वासनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी क्रमिक भूख हड़ताल पर लगातार बैठे रहे।

दिनांक 22-9-77 को संघ के प्रतिनिधि मुझ से सचिवालय के बाहर प्रातः मिले। उनके साथ मैंने प्रत्येक मांग पर वार्ता की एवं उन्हें स्थिति से अवगत कराया। यह भी बताया कि वेतन मान सम्बन्धी प्रश्न को इस प्रकार अलग से नहीं सुलझाया जा सकता है। उस पर राज्य स्तरीय निर्णय लेना आवश्यक होगा। उनसे भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया गया। वार्ता सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई।

संघ ने दिनांक 23-9-77 से क्रमिक भूख हड़ताल को आमरण अनशन में परिवर्तित कर दिया और 2 कार्यकर्त्ता श्री कैलाश चन्द्र गौतम और श्री मोतीलाल सोनी दिनांक 23-9-77 से आमरण अनशन पर हैं। दोनों कर्मचारियों की मेडिकल जांच का समुचित प्रबन्ध किया गया है। इनमें से एक श्री मोतीलाल सोनी को चिकित्सा अधिकारी के सुझाव पर दिनांक 26-9-77 की रात्रि को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री सोनी का स्वास्थ्य अभी सामान्यतः ठीक है और उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। दूसरे कर्मचारी श्री कैलाशचन्द गौतम को भी चिकित्सा अधिकारी के सुझाव पर सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था की जा रही है।

राज्य में वर्तमान में 1198 वेक्सीनेटर विभाग में कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 250 वेक्सीनेटर मैट्रिक उत्तीर्ण हैं। वेक्सीनेटर्स का राणावत वेतन आयोग द्वारा वेतनमान 70-4-90-3-102-4-110 निर्धारित किया गया था। दिनांक 1-4-75 से आंशिक संशोधन करके 70-3-94-4-110 में परिवर्तित किया गया। इसमें मंहगाई भत्ते को मिलाकर दिनांक 1-9-7

Page No 49

(54)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

को संशोधित वेतनमान के अनुसरण में 250-360 कर दिया गया। वेक्सीनेटर संघ की मांग वेतनमान के संबंध में यह थी कि उन्हें पटवारी एवं आयुर्वेद कम्पाउन्डर के समकक्ष वेतन दिया जाये। इस मांग को राज्य व्यापी सन्दर्भ में देखना होगा। इस संदर्भ में उनकी योग्यता के अलावा कर्त्तव्य एवं दायित्वों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है मैट्रिक पास वेक्सीनेटर्स की पदोन्नति का प्रावधान विद्यमान है। सुपरवाइजर्स के पद 20 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। इसके लिए 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव मैट्रिकुलेशन योग्यता के साथ साथ आवश्यक है। पदोन्नतियां इसी आधार पर की जाती हैं।

निलम्बित व्यक्तियों को सेवा में लिये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पहले से ही निर्देश दिये हुए हैं और उन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती रही है। यदि संघ कोई विशेष मामला प्रस्तुत करे तो उस पर विचार किया जा सकता है।

स्थानान्तरण नीति के संबंध में जहां तक सम्भव है किसी वेक्सीनेटर का स्थानान्तरण गृह जिले से बाहर नहीं किया जाता है किन्तु जिन जिलों से वेक्सीनेटर्स की भर्ती उनके स्वीकृत पदों के अनुपात में बहुत ज्यादा होगी वहां सभी को गृह जिले में रखा जाना सम्भव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को बाहर रहना ही होगा।

इस सन्दर्भ में राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री शिव किशोर सनाढ्य भी दिनांक 27-9-77 को मुझसे मिले हैं तथा इस समस्या का उचित हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार वेक्सीनेटर संघ के साथ मामले को वार्तालाप के जरिये सुलझाना चाहती है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप के लिए द्वार हमेशा खुले हुए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, यह जो बात कही है कि सौहार्दपूर्ण वार्तालाप चली है, इस सुन्दर शब्द की तो मैं तारीफ करता हूं। भाषा सुन्दर है लेकिन आपके काम भी सुन्दर होने चाहिये। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 22 तारीख से वह लोग आपकी सेवा में आ रहे हैं। क्या यह सही है कि जब वह सचिवालय के सामने आपकी सेवा में आए तब उनकी बात आपने नहीं सुनी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया? एक वेक्सीनेटर के चोट आई आपकी मोटर से टकरा जाने के कारण। जो कुछ आपने दुर्व्यवहार किया, मेरा कर्त्तव्य नहीं है कि मैं उसको सदन में रखूं। उसके चोट आई। चोट आने के बाद हॉस्पिटल में एक हैड कान्सटेबल ले गया। आपने उनको सुना नहीं। आज 15 दिन से कई बार कहने पर भी श्रीमान ने उनके साथ बैठकर कोई वार्तालाप नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि कैलाश और मोतीलाल की हालत चिन्ताजनक है। वह आज 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उसको फोर्स्ड फीडिंग करने के लिए बाध्य किया गया। मैं चाहता था कि आप इस

(SS)

(श्री मूलचन्द डागा)
मामले को कन्सीलियेशन प्रोसिडिंग्स में या लेबर ट्रिब्यूनल में भेज देते और अपना न्याय करवा लेते कि क्या एक सा काम करने वाले लोग एक सा वेतन प्राप्त कर सकते हैं ? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया ।

तीसरी बात यह थी कि जो लाग निलम्बित हैं उन्हें सेवा में लिया जाये। आपने जवाब देते समय यह आश्वासन नहीं दिया कि निलम्बित लोगों को सेवा में ले लिया जायेगा। आपने उसका गोलमाल जवाब दिया । जितने निलम्बित लोग हैं उन्हें सेवा में लिया जायेगा या नहीं, इसके बारे में तो आप कुछ बतायें ।

चौथी बात यह है, उनका कहना है कि हम लोग धूप, सर्दी और गर्मी में गांव गांव में घूमकर चेचक के रोग का मुकाबला करते हैं। इसलिए हमें रिस्क अलाउन्स दिया जाये । यह उनकी वाजिब मांग थी। इस मांग को आपने कई महीने से ठुकरा रखा है। मुझे आप बतायें कि आपका कौनसा अधिकारी उनसे जाकर मिला ? कब उनसे संतोषजनक बात की ? मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि आपके कुछ माननीय सदस्य, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, गये और उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक बात करनी चाही लेकिन आपको समय नहीं मिला। आप रोज विधान सभा की तरफ आते हैं लेकिन आपने उनसे बात नहीं की, उनसे आपका सौहार्दपूर्ण वार्तालाप नहीं हुआ। मैं आज यही कहना चाहता हूं कि मैं उनको ला सकता हूं और आपके सामने बैठा सकता हूं। इसको लेबर डिस्प्यूट बना दिया जाये और लेबर कोर्ट को रेफर कर दिया जाये, उसके बाद ही इसका निर्णय हो सकता है। अगर आप चाहें तो यह कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करें और आप वार्तालाप के द्वारा तय करना चाहें तो आप किसी को जज बना दीजिये या कमेटी बना दीजिए। इस असेम्बली के माननीय सदस्यों की कमेटी बना दीजिए । वह कमेटी जो निर्णय दे दे उसको आप मान लें, मैं यह चाहता हूं।

श्री श्योरतसिंह मकासर : माननीय चिकित्सा मन्त्री जी, आपने तो भाषण देकर सारा घोटाला कर दिया। यह जो मांगें बताई, उसके साथ यह तो बतायें कि उनमें से कौन सी मांग आपने मानी ? सदन में आपको यह बताना चाहिए था कि जो पांच मांगें हैं इनमें से एक को भी क्यों नहीं माना ? क्या सारी की सारी गलत मांगें हैं ? आज वह भूख हड़ताल पर 9 दिन से हैं, बड़ी हैरानी की बात है। मेरे ख्याल से आपने बातचीत ही नहीं की, बातचीत करने की जरूरत ही नहीं समझी। हुकूमत का नशा इस प्रकार सवार है कि आप सोचते हैं कि बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप उनसे कर्त्तव्यनिष्ठा की बात करते हैं। क्या बाकी के लोगों को कर्त्तव्यनिष्ठा की जरूरत नहीं है ?

श्री एच. एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मूल चन्द डागा : आपको अधिकार नहीं है।

श्री एच. एन. शर्मा : हमें अधिकार है अपनी बात रखने का ।

श्री मूल चन्द डागा : अधिकार नहीं है । जिन्होंने मोशन दिया उनको ही अधिकार है ।

श्री खेतसिह राठौड़ : हम तो यह जानना चाहते हैं कि चतुर्वेदी जी साहब क्या महर्षि भृगु की औलाद में से है जैसे उन्होंने लात मारी थी यह भी लात मारने में विश्वास करते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री): यह तो पता नही, कौन भृगु की औलाद है और किसने लात मारी, किसने नहीं और किसने दीवार फांदी ...

एक माननीय सदस्य : यह सही कह रहे हैं क्योंकि भैरोंसिह जी के वाद यही मुख्य मन्त्री बनने वाले हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में माननीय सदस्य ने कुछ बातें रखीं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि शायद डागा जी पहुंचे उसके पहले जिस समय उन्होंने भूख हड़ताल का कार्यक्रम आरम्भ किया था उसी दिन मैं स्वयं उनसे मिलने गया था। मैंने जाकर उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान उनको बताया कि इस प्रकार की समस्या है, इसका हम यथाशीघ्र समाधान करेंगे। उसके बाद वह लोग मेरे घर मुझ से मिले। फिर सेक्रेटेरियट में मैंने खुद उन्हें बुलाया और बातचीत की।

इस सारे मसले में 4 बातें मोटे रूप से हैं। एक तो स्थानान्तरण का प्रश्न है। उनकी मांग यह है कि हमें अपने जिले में ही रखें। आज हमारे सामने समस्या है कि जिले के लोग जब ज्यादा संख्या में होंगे तो निश्चित रूप से उनको दूसरे जिलों में भेजा जायेगा

श्री इयोपतसिंह मकासर : एडजोर्निंग।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिए। उसकी ही प्रॉब्लम है। वे चाहते हैं, सीकर से झुन्झनू जिले में स्थानान्तरण नहीं हो। झुन्झुनू जिले में ज्यादा हैं, वे वहीं रहना चाहते हैं। उन लोगों को कहां भेजा जाय इस संबंध में आप जो राय देंगे......

श्री खेतसिह राठौड़ : आपकी पॉलिसी है उसके अनुसार सीकर-झुंझूनू से जोधपुर डिवीजन में भेज देते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हमारी पालिसी जोधपुर डिवीजन में भेजने की नहीं है।

श्री मदनसिह दांता : आप उनसे पूछ लीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अमुक व्यक्ति को अमुक जिले में भेजना है, यह पॉलिसी नहीं है। स्थानान्तरण कोई हमारे किये हुए नहीं हैं। हमारी खुद की इच्छा है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने जिले में लाया जाये, लाने का प्रयत्न भी कर रहा हूं।

दूसरा निलम्बन के बारे में कहा गया कि चार्ज शीट वगैरह नहीं दी गई। मैं कहूंगा जो जो आदमी निलम्बित हैं, उनके बारे में जानकारी दें कि किन किनको चार्जशीट क्यों नहीं दी गई। जिनकी गलती है उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से एक्शन लूंगा और जो ज्यादा अर्से से निलम्बित पड़े हैं उनको रिइंस्टेट करने में हमको ऑब्जेक्शन नहीं है।

तीसरी बात उन्होंने कही कि हमें पदोन्नति का चांस दिया जाये। उसके लिये व्यवस्था है, सरकार का निर्णय है

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

वेक्सानेटर की पदोन्नति के लिये सुपरवाइजरों में 20 परसेंट स्थान सुरक्षित हैं। उसमें शर्त लगाई हुई है मैट्रीकुलेट हो, जो न हो उसे 10 वर्ष का अनुभव हो। किसी का अनुभव यदि कम है तो हमने कहा हम उसको पदोन्नति देंगे।

चौथा सवाल पे स्केल का है। अब पे स्केल का सवाल है, पे स्केल हमने निर्धारित की हो ऐसी बात नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है भूतपूर्व सरकार के सामने पांच बार यह मामला रखा गया। पांचों बार भूतपूर्व सरकार ने रिजेक्ट किया है। इसके उपरांत भी हमने आश्वासन दिया है, हमें समय लगेगा। इनकी कार्यक्षमता, कार्य और वेतन का सामंजस्य किस प्रकार से बैठाया जा सकता है उस पर विचार कर सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे। इसके सिवाय आप भी होते तो यही करते।

श्री मूलचन्द डागा : समय की अवधि दे दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप सुझाव दें। मामला बैठा दें। परसरामजी और माथुर साहब पर छोडता हूं। वे कैसे ही सामंजस्य बैठा दें।

श्री मूलचन्द डागा : इसके लिये कमेटी बना दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ऐसे मामले में कमेटी बैठाना भी मुश्किल है।

श्री मूलचंद डागा : समय अवधि दे दीजिये ?

श्री इयोधंत सिह मकासर : नेताओं को आश्वासन दे दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी खुद की हमदर्दी है। दो तीन बार बुलवाया है, बात करना चाहता हूं। सन्तुष्ट करने की चेष्टा कर रहा हूं।

श्री मूलचंद डागा : जी हां, समय दे दीजिये।

श्री मदनसिह दांता : उन से जाकर कह दें कि आपने विश्वास दे दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : मांग के मैरिट्स पर चर्चा न करते हुए मैं कहूंगा कि भूख हड़ताल पर काफी दिनों से हैं। पहले तो क्रमिक भूख हड़ताल थी, अब लम्बी भूख हड़ताल पर हैं अगर आप ठीक समझें तो उनके नुमाइन्दे को बुलाकर और जिन सदस्यों ने एडजॉर्नमेंट मोशन रखे हैं उनमें से जिनको आप ठीक समझें, उनको आज बैठा कर इस मामले को निपटा दें। यह मैं मानता हूं कि आप गये हैं। आप अपने साथियों से भी कहिये कि थोड़ी मानवता के नाते he must be more courteous यह कह दें और मिल कर बातचीत करके आज निपटा दें वरना भूख हड़ताल की वजह से कोई ज्यादा बीमार हो गया....

श्री मूलचन्द डागा : मोतीलाल की हालत चिन्ताजनक है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

कई माननीय सदस्य : हम सुनना नहीं चाहते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्री के बाद आप क्या बोलना चाहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का कहने का अधिकार है। आप विराजिये।

आपने उनके बारे में कुछ कहा है उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष-महोदय ...

श्री मदनसिंह वांता : अगर बोल रहे हैं तो यह विश्वास दिलायें कि मांगें मन्जूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री मदन सिंह वांता: क्या यह खड़े होकर यह विश्वास ...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। सभी माननीय सदस्यों को सुनना चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : विधायकों के साथ ऐसा व्यवहार है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मांगों के विषय में यहां चर्चा की है। मैं तो केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि जो लगातार प्रयत्न किया जा रहा है करेक्टर असेसिनेशन का, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, दिनांक 22 को यह तय हुआ था कि उनका प्रतिनिधि मण्डल मुझसे सेक्रेटेरियट के अन्दर मिलेगा। मैं आया उससे पहले वे बाहर थे। इसलिए कार से उतर कर, कार वहीं खड़ी करके जहां वे बैठे थे उनके बीच में जाकर बैठ गया। बैठ कर पौन घन्टे तक चर्चा होती रही। पौन घन्टे तक लगातार इन सारी समस्याओं पर चर्चा होने के बाद ...

श्री मदनसिंह वांता : आपने यह कहा कि कोटा जा रहा हूं फिर बाद में आऊंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सब लोग सन्तुष्ट थे। मैंने उनको कहा कि मुझे अभी भाई साहब की तबीयत के कारण एकदम कोटा जाना है। 26 को वापस आ रहा हूं उस समय, डाइरेक्टर, मेडिकल कमिश्नर, आपका प्रतिनिधि और मैं मिल कर, साथ बैठ कर और अविलम्ब जितने निर्णय करने हैं, वह निर्णय कर लेंगे। इस बात के होने के बाद 80 पर्सेन्ट लोग सन्तुष्ट थे। वहां से चलकर कार में बैठने लगा तो कुछ लोग कार के आगे लेट गये। कार चली नहीं, न स्टार्ट हुई। आप इसकी पूरी जानकारी कर लीजिये। वहीं से उतर कर सेक्रेटेरियट चला गया। इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह चर्चा की गई है कि किसी को लग गई। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सदन में स्पष्ट रूप से कह रहा हूं परन्तु माननीय सदस्य इस प्रकार का कह कर करेक्टर असेसिनेशन करने की कोशिश करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं वहां से चला गया और जाने के वक्त यह स्थिति रही। फिर अखबारों में चर्चा आ गई। जहां तक अव्यवहार की बात कही गई है, अव्यवहार मैंने शायद ही कभी किसी के साथ किया हो। जिस प्रकार की बात उनको लगती है और

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
जिस प्रकार के विचार उनके मन में चल रहे हैं वह इसलिये कि कुछ बातों को लेकर करेक्टर असेसिनेशन का प्रयत्न किया जाय। कार्यकर्त्ता के नाते राजनीति में आया हूं। अगर कोई इस नाते समझे कि मैं पीछे हटूंगा तो मेरे पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। समस्याओं को हल करने में हम प्रयत्नशील हैं। पिछले दिनों से जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मिलने जा रहा हूं। यदि भूख हड़ताल पर कोई बैठा है उसकी हालत खराब हो, इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। सारा झमेला उठाने के बाद भी यह कहें तो मेरी समझ में नहीं आ सकता है। अभी भी जब उत्तर देने का मौका मिला है तो जिस प्रकार की साजिश है वह कतई ठीक नहीं कही जा सकती है ......

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आपने अपने आपको डिफेन्ड किया लेकिन मांगों के बारे में तो कुछ नहीं बताया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह सब मुख्य मंत्री जी ने बता दिया है।

श्री एम. एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जिन कर्मचारियों के द्वारा मैं यहां आया हूं, उनके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं.......

श्री उपाध्यक्ष : मैं कुछ कहने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। आप बार बार कहना चाहते हैं और बीच बीच में बोलना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है, माननीय सदस्य। आप चेम्बर में मिल लेते हैं उसके बाद कोई चीज रह नहीं जाती है। कृपया आप बीच बीच में व्यवधान न डालें।

अब राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 2) विधेयक, 1977 पर विचार होगा। प्रभारी मंत्री जी विनियोग विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 2) विधेयक, 1977

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 2) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मोशन मूव हुआ। अब इस पर चर्चा होगी।

मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा केवल सीमित अवधि तक करने की ही इजाजत दूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनकी संख्या को देखते हुये मैं शीघ्र ही चर्चा का समय निर्धारित कर दूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को कहिये कि जब चेयर पैरों पर हो तो माननीय सदस्य इधर-उधर घूमे तो नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्वयं भी महसूस करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप बोलते हैं तब चलना फिरना नहीं चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब भी हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाया करें ।

माननीय परसराम जी, इस चर्चा को इनिशियेट करेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मन्त्री जी विनियोग विधेयक के जरिये कन्सोलिडेटेड फन्ड में से लगभग 836 करोड़ रुपये की राशि एप्रोप्रियेट कराना चाहते हैं । 836 करोड़ की धनराशि में से 200 कराड़ का 1977-78 की वार्षिक योजना का आउट ले है । इस वार्षिक योजना के आउट ले में धनराशि की वृद्धि करते हुये वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह घाटे का बजट है । घाटे की अर्थव्यवस्था से राजस्थान की जनता सरकार से प्रथम फाइनेन्स मिनिस्टर राजस्थान के अन्दर क्रान्तिकारी आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन ला सकेंगे, यह इस सदन के सामने और राजस्थान की जनता के सामने एक प्रश्न चिन्ह है । इस वार्षिक योजना के अन्दर जो शिक्षा का आउट ले है वह तीन लाख की पूर्ण करने की बात कही । राजस्थान के शिक्षा मन्त्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक लम्बी छलांग मारी है a big leap forward । ऐसी लम्बी छलांग चीन में माओत्सेतुंग ने मारी थी लेकिन वे बीच में ही चले गये, डेस्टीनेशन पर नहीं पहुंच सके । उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेंचेज पर आपके दाहिनी ओर बैठने वाले माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने यह छलांग मारी है और आपकी बाईं ओर बैठने वाले मुख्य मन्त्री जी ने अन्त्योदय की योजना प्रस्तुत करके एक लम्बी छलांग मारी है । वित्त मन्त्री जी, आप एक गांधीवादी और सर्वोदयी नेता है । जहां तक आपके इरादों का प्रश्न है, जहां तक आपकी शालीनता का प्रश्न है और जहां तक आपकी सहृदयता का प्रश्न है उसमें किसी की दो-राय नहीं है लेकिन आप घाटे की अर्थ व्यवस्था से राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं ? न तो आप स्वयं क्लियर हैं और न इस सदन के माननीय सदस्यों को आप अच्छी तरह अवगत करा सके हैं, इस अर्थ व्यवस्था का राजस्थान की इकॉनोमी पर जो विपरीत असर पड़ता है उसका निदान किस प्रकार होगा ? यह एक निर्विवाद सत्य है कि इस देश की अर्थव्यवस्था पिछडी हुई है । हम विकास करना चाहते हैं । हमारा यह विकासशील देश है । राजस्थान की परिस्थितियों और पूरे देश के सन्दर्भ में जो देश के पिछड़े हुए प्रान्त हैं उनमें राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रान्त है । इस प्रकार की बैकवर्ड इकॉनोमी में जो बैकवर्ड राजस्थान है इस राजस्थान की जो समस्या हैं और उनकी जो व्यापकता हैं वह कई कारणों से है ।

मैं ऐतिहासिक कारणों में नहीं जाना चाहता हूं । मुख्य मन्त्री जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देते वक्त इस बात का उल्लेख किया था कि हम लोग ऐतिहासिक कारणों में बहुत जाते हैं, इस कारण मैं ऐतिहासिक कारणों में तो नहीं जाना चाहता हूं कि राजस्थान के सामने क्या परिस्थितियां थीं, राजस्थान के सामने क्या समस्यायें थीं और राजस्था

(61)

(श्री परसराम मदेरणा)
लम्बी छलांग क्यों नहीं भर सका। लेकिन अब तीन महीने का समय गुजर गया है, हालांकि समय कम मिला है लेकिन थोड़े समय में मैं मानता हूं राजस्थान के वित्त मन्त्री जी ने इस राज्य की जो समस्याएं हैं, उनकी व्यापकता को, उनकी इन्टेन्सिटी को और बिग लीप फार्वर्ड स्वरूप उनके मेगनीट्यूड का निश्चित रूप से कुछ असेसमेंट किया होगा–उन सबको उजागर करने के बाद एक योजना बनाकर इस राज्य के विकास की कुछ उन्होंने कल्पना की होगी। सर्वोदयी आन्दोलन विफल हुआ, समग्र क्रान्ति शायद काल्पनिक बात है। अन्त्योदय की योजना अब हमारे सामने आ गई है लेकिन स्पष्ट आर्थिक नीति के अभाव में अभी कुछ प्रारूप या कोई ब्ल्यू प्रिन्ट देश के सामने प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। उसी के साथ औद्योगिक नीति का प्रारूप भी आपने देश की जनता के सामने नहीं रखा है। केवल जनता पार्टी का घोषणा पत्र हमारे सामने है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कहा गया है कि इस देश की इकॉनामी को, प्राइस डिस्टार्शन और विकास की गति को तेज नहीं कर सके हैं. इसका मुख्य कारण कांग्रेस रही है। केन्द्रीय सरकार ने भारी उद्योगों में ज्यादा खर्चा किया और कृषि के क्षेत्र में जितनी धनराशि खर्च की जानी चाहिये थी उतनी नहीं की इसलिए हम कृषि के उत्पादन में, खाद्यान्नों में या एग्रीकल्चरल कमोडिटी के मामलों में सेल्फ सफिशियेंट नहीं बन सके। यह हमारी सबसे बड़ी वीकनेस रही है। इसके निराकरण के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यह जनता पार्टी की सरकार की नीति है। अब नारा है कि गांव की ओर चलो। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में रहने वाला व्यक्ति यह कह रहा है कि हम बहुत कुछ पिछड़े रह गये हैं, सदियों तक पिछड़े रहे हैं, शहर में जो भी सुविधायें उपलब्ध हैं, वह सुविधायें हमें भी उपलब्ध होनी चाहिए। उससे हम वंचित हैं इसलिए शहर की तरफ चलना चाहिए। निर्विवाद रूप से यह बात भी सत्य है कि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। हिन्दुस्तान के गांवों में बसने वाले करोड़ों लोगों को जब तक रहने की पूरी सुविधायें नहीं उपलब्ध कराते हैं और जो मिनिमम स्टेन्डर्ड आफ लिविंग है, उस तक नहीं लाते हैं व हम उन्हें ऊपर नहीं उठाते हैं तब तक कुछ आदमियों का अन्त्योदय योजना में सलेक्शन करने के बाद हम आर्थिक प्रगति को गति दे सकेंगे, इसकी मुझे कम सम्भावनायें प्रतीत होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति है, राजस्थान में आठ जिले पश्चिमी जिले हैं उनके 51 फीसदी क्षेत्र में रेगिस्तानी एरिया आया हुआ है। इसके साथ ही राजस्थान का रेगिस्तान और जिलों की तुलना में अपने आप में समस्या है। इसलिये थार डेजर्ट के लिए हमें सोचना पड़ेगा। थार डेजर्ट अपने आप में एक बड़ी समस्या है। पिछले कई वर्षों में, दस पन्द्रह वर्षों में देखिये, विकास के अभाव के कारण, प्राकृतिक प्रकोप की वजह से, समय समय पर जो अकाल पड़ते रहे हैं उनकी वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बराबर खराब होती चली जा रही है। इसलिए इस

(श्री परसराम मदेरणा)
समस्या के समाधान के लिए हमें कुछ कारगर कदम उठाने पड़ेंगे।

इसी तरह से राजस्थान के एक बहुत बड़े भू-भाग में ट्राइबल लोग रहते हैं, जो गरीबी की सीमा से भी बहुत नीचे हैं। उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए राजस्थान सरकार को चाहे पंचवर्षीय योजना के द्वारा या ट्राइबल के द्वारा या किसी आर्थिक नीति का निर्धारण करके उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। आप अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारित करते वक्त अगर रेगिस्तान और ट्राइबल एरिया, जो बहुत बड़े भू-भाग में है, का ध्यान में नहीं रखेंगे तो राजस्थान के विकास को द्रुत गति से करने की अगर कोई कल्पना भी है तो वह कल्पना भी अपने आप में समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आपकी कोई भी आर्थिक रणनीति हो, या राजस्थान के लिये कोई नीति बनाने जा रहे हैं, जिसकी आपने परिकल्पना की होगी, माननीय वित्त मन्त्रीजी, लेकिन उस परिकल्पना में अगर आप राजस्थान के उस भू-भाग, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्र है, की समस्याओं का समाधान नहीं कर सके तो वह परिकल्पना पूरी नहीं कर सकेंगे। अन्त्योदय की योजना में मात्र पांच परिवारों की छंटनी करने से आप जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लीविंग लोगों का बढ़ा नहीं सकेंगे। एक गांव के अन्दर पांच आदमियों को आत्म-निर्भर करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको बहुत बड़ी समस्याओं से संघर्ष करना पड़ेगा। राजस्व की मांग पर कल उत्तर देते हुए, वित्त मन्त्रीजी, अन्त्योदय के सम्बन्ध में आपने इस बात का उल्लेख किया है कि अन्त्योदय की योजना के सम्बन्ध में हमने विचार किया है। अभी तक इस सदन में एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार से पूछा गया है कि यह अन्त्योदय योजना है क्या? इसका क्या प्रारूप है? क्या इस अन्त्योदय योजना का कोई प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, कोई ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार हुआ है कि किस किस क्षेत्र में किस किस तरह से उन लोगों को आप आर्थिक तौर पर समृद्धिशाली बनायेंगे। इसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा या कोई ब्लयू प्रिंट राज्य सरकार ने बनाया है? अगर बनाया हो तो हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। केवल एक बात हमारे सामने आई है और वह यह है कि राजस्व अभियान के साथ में अन्त्योदय की योजना के अन्तर्गत कुछ परिवारों का सलेक्शन करने में एम. एल. एज. को योगदान करना चाहिए। मैं समझ नहीं सका कि जिस राजस्थान में, जैसा मुख्य मन्त्रीजी कह रहे थे, 56 फीसदी लोग, जो लेबर हैं, जो खेतीहर मजदूर लोग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनमें से पांच पांच परिवार तो आप आंख मींच कर ले लें, या पांच परिवार आपको यों ही मिल जायेंगे। इसके बाद सलेक्शन करने का, आइडेंटीफाई करने का प्रश्न कहां उठता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि केवल सलेक्शन करने से आप इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर सकेंगे। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। राजस्थान के भिन्न भिन्न भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में आप उनको आर्थिक समृद्धि

(श्री परसराम मदेरणा)

की ओर ले जाने का क्या प्रयास करेंगे? किस काम में उनको लगायेंगे? क्या उनको आप गाय खरीदने के लिये लोन देंगे? और लोन देंगे तो कौन से बैंक से देंगे? कौन कौन से कामशियल बैंक से लोन दिलाने की बात की है? क्या रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट होगा? किस प्रकार से उसको पैसा देंगे? सोफ्ट लोन देंगे तो री-पेमेंट कैसे होगा, कितने इन्स्टालमेंट्स में होगा? इस तरह के अनेकों प्रश्न हैं। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है कि आप पांच आदमियों को पकड़ कर उनको समृद्धिशाली बना दें और दूसरे लोग, जो गरीब हैं, बैठे रहें। जब तक जनरल स्टेंडर्ड आफ लिविंग लोगों का सरकार की योजनाओं से ऊपर नहीं उठता है, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि केवल पांच परिवारों को तो आप समृद्धिशाली बना देंगे, उसी मोहल्ले में जो दूसरे गरीब हैं उनमें से पांच तो आत्म-निर्भर हो जायेंगे लेकिन बाकी वाले परिवार गांव के अन्दर अधर झूल में इधर-उधर फिरते रहेंगे। इन काम्प्लीकेशन्स पर भी मैं समझता हूं कि कम से कम वित्त मंत्रीजी आपने विचार किया होगा क्योंकि इसके अन्दर देश की इकॉनोमी इन्वोल्व्ड है इसलिए आपने इसको भी वर्क आउट किया होगा, इकॉनामिकली आपने वर्क आउट किया होगा। अभी आपने केवल 25 लाख रुपये का नाम मात्र का प्रोविजन कर दिया लेकिन इस 25 लाख के प्रावधान के साथ साथ जो और भी फाइनेंशियल इस्टीट्यूशन्स हैं, दूसरी जो आपकी कामशियल बैंक्स हैं उनकी मार्फत लोन दिलवाकर या प्रोडक्टिव नेचर के जो काम हैं उनमें उनको लगा कर उनकी और उनके परिवारों की माली हालत ठीक करेंगे या किस तरह से करेंगे? फिर यह सलेक्शन कोई थोड़े समय का फेज नहीं है, कोई टेम्प्रेरी फेज नहीं है, हम परमानेंटली इन परिवारों को किस स्कीम के अन्तर्गत लेना चाहते हैं और उसके बाद बाकी बचे परिवारों को लेना चाहते हैं? तो इस प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग के द्वारा बहुत बड़ी योजना बना कर राजस्थान में जो 56फी सदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनकी माली हालत सुधारने का प्रश्न है। इसके लिए कई प्रकार की मल्टीप्लाई फार्म में योजनायें आपको बनानी पड़ेंगी। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जहां एक ओर अन्त्योदय की योजना को हाथ में लेने जा रहे हैं वहां दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में इस साल खरीफ की फसल फेल हो गई है। खरीफ की फसल फेल होने के बाद बहुत से लोग, जो इस गरीबी की रेखा के आस पास हैं, की हालत ऐसी हो जायेगी, बहुत से लोग अपने आपको जीवित रखने के लिए आपके सामने आज मांग करेंगे ताकि प्राकृतिक विपदा के समय जो अकाल की चपेट में रहे हैं उनको निश्चित तौर पर राहत मिल सके।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय वित्त मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान की ऐसी भौगोलिक स्थिति है इसलिए राजस्थान के उत्पादन में जितना फ्लक्चुएशन होता है उतना दूसरे राज्यों में नहीं होता। राजस्थान में 1966-67 में अकाल पड़ा, फिर 1968-69 में अकाल पड़ा और फिर 1969-70 में अकाल पड़ा। तीन सालों तक पड़ा क्योंकि कुछ इलाकों में बरसात नहीं हुई। उसके बाद 1970-71 के अन्दर जब अच्छी बरसात हुई. ईवन बरसात हुई तो उसका

(श्री)

नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के खरीफ के उत्पादन में चालीस लाख टन की बढ़ोतरी हुई। इस चालीस लाख टन की बढ़ोतरी के बाद भारत सरकार के एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट आई कि राजस्थान का जैसा उत्पादन हुआ है, कृषि का उत्पादन जिस तरह से बढ़ा है खास तौर से कोर्स सीरियल्स का उससे स्टीप फाल आॅफ प्राइस है खाद्यानों का इसलिए हमको बफर स्टॉक बना कर ऐसे इलाके, जो हमेशा ड्राटप्रोन रहते हैं, को मदद देने के लिए खाद्यानों का स्टॉक करना चाहिए। मैं उनकी इस बात से सहमत भी हूं। फिर 1971-72 में अकाल पड़ गया तो हमारा प्रोडक्शन करीब 28 लाख टन गिर गया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में कृषि उत्पादन के बारे में भी हमारे सामने बहुत सी समस्यायें हैं। इन समस्याओं का तभी समाधान कर सकते हैं जब हम सिंचित एरिया बढ़ावें हमने सिंचित एरिया को पिछले वर्षों में करीब 14 लाख हैक्टेअर बढ़ाया है इतना सिंचित एरिया बढ़ाने के बाद भी बहुत सी योजनायें आज भी चल रही हैं। राजस्थान नहर जैसी योजना है, इसके अलावा लघु सिंचाई योजनायें हैं जो हमने एग्रीकल्चरल री-फाइनेंस कोर्पोरेशन....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

के माध्यम से प्रारम्भ की थीं, वे भी आज चल रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस रेगिस्तानी इलाके के अन्दर अगर आप सोशल जस्टिस करना चाहते हैं तो नेशनल कमीशन आॅन एग्रीकल्चर ने जो एक रिकमण्डेशन दी है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या के लिए, कृषि के उत्पादन को सटेन्टी देने के लिए लिफ्ट योजना को हाथ में लेना चाहिए राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन योजना के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा. राजस्थान कैनाल की इरिगेशन इन्टेन्सिटी 110 पर्सेन्ट है, वह कम की जाकर जो इलाके हमेशा से अकाल की चपेट में आते हैं, चाहे वह चूरू का इलाका हो, चाहे वह बीकानेर का इलाका हो, चाहे वह बाड़मेर का इलाका हो, चाहे वह जोधपुर का इलाका हो—उन इलाकों में खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए, चारा उत्पादन करने वाले चरागाहों के विकास के लिए, और उसके साथ-साथ पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए लिफ्ट इरिगेशन योजना बनायें। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसमें न तो इसका उल्लेख किया गया है और न कोई प्रावधान ही किया गया है। इस सम्बन्ध में जो निर्णय भूतपूर्व सरकार ने किया था वह प्लॉनिंग कमीशन के सामने पेण्डिग था। तो क्या इस सम्बन्ध में चर्चा करके निर्णय लेंगे ?

आपने बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम इस बजट में दिया है उसमें यह बात कही है कि दस से बीस हैक्टेअर के अन्दर प्लान्ट्स रोपे जायेंगे, गांव के लोगों को पौधे देंगे, प्लान्ट्स देंगे ताकि उस एरिया में चरागाहों का विकास हो और प्लान्ट्स खड़े करें। यह फोरेस्ट प्रोडक्शन का सिद्धान्त आपने रखा है। कमीशन आॅन एग्रीकल्चर की एक किताब निकली है, प्लान्ड फोरेस्टरी, जिसमें प्लाण्ड फोरेस्टरों के सम्बन्ध में बीस हैक्टेअर की सीमा निर्धारित की

(श्री परसराम मदेरणा)

है। अब मैं समझता हूं कि बरसात का समय तो चला गया है वृक्षारोपण करने के लिए। घास लगाने की योजना आप दो सौ गांवों में लागू करने वाले थे और उसके बाद ज्यादा प्रावधान भी आप रखने को थे, तो यह मेरी समझ में नहीं आता है कि आप कौन से 200 गांवों में इस योजना को लागू करने जा रहे हैं। रेगिस्तानी इलाके में, जैसी कि मुझे सूचना मिली है आपने यह योजना हाथ में नहीं ली है। फिर कैसे आपके बजट भाषण में इसका उल्लेख किया गया है? इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले समय के अन्दर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी थी, उसको जनता सरकार ने समाप्त कर दिया है। चाहे वह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की डिस्ट्रिक्ट लेविल कमेटी हो, चाहे विजिलेन्स कमेटी हो, चाहे मिनिमम नीड-प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हो, चाहे खाद्यान्न और सिविल सप्लाइज की डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हो, उन सभी को आपने समाप्त कर दिया है। जनता के इन्वाल्वमेन्ट की बात आप करते हैं, वित्त मंत्रीजी, आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस राज्य की जन शक्ति का उपयोग करें तो राजस्थान का विकास करने के लिए आपको रिसोर्सेज नहीं जुटाने पड़ेंगे। जब तक राजस्थान में जनशक्ति का, युवाशक्ति का उपयोग विकास में नहीं करेंगे तब तक राजस्थान के विकास का वातावरण नहीं बनेगा राजस्थान में आज विकास का वातावरण नहीं बना है, इसका नतीजा यह है कि आज जगह जगह पर हड़तालें हो रही हैं, मांगें पेश की जा रही हैं और दूसरे कई तरह के अपराध हो रहे हैं। यह सब हमारे राज्य के लिए घातक होगा। इस शक्ति का, जन शक्ति का उपयोग राजस्थान के विकास में करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करने चाहिए। परन्तु मैं इसका अभाव देखता हूं। आप सहयोग देने की बात करते हैं, हर चर्चा में आप यह कहते हैं परन्तु जहां तक सहयोग लेने का सम्बन्ध है, आपकी तरफ से कोई इनीशिएटिव हो यह हमें नहीं दिखता है।

जो अब तक आपने किया है वह यह है कि तुम्बे और मतीरे के बीज पर सेल्स टैक्स लगा दिया। रेडीमेड गारमेंट, जिसको गरीब आदमी पहिनता है, नेकर और कुरता, पर भी आपने सेल्स टैक्स लगा दिया है। भावों में असाधारण वृद्धि हो रही है, उसको भी आप नहीं रोक पाये हैं। गरीब और हरिजनों पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं और दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लॉ एण्ड आॅर्डर की सिचुएशन बढ़ती जा रही है। मैं ऐसा मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की जो उपलब्धियां हैं, चाहे राजनैतिक हों या आर्थिक एक में भी बेलेन्स नहीं है। इस बजट में 52 करोड़ का घाटा है। राजनैतिक और आर्थिक उपलब्धियां आपके बेलेन्स में निल हैं। यदि आप राजस्थान का योजनाबद्ध विकास करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि राजस्थान की जो समस्याएं हैं, जो काम्प्लीकेटेड समस्याएं हैं, उनका समाधान हो तो यह आवश्यक है कि समय समय पर उनका मूल्यांकन करते रहें कि जो उपलब्धियां हम प्राप्त करने जा रहे हैं, वह प्राप्त हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो

(श्री परसराम मदेरणा)
मेरा सुझाव है आपकी मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय को कि जिस तरह से नेशनल प्लानिंग कमीशन है उसी तरह से राजस्थान में एक प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की जाए। जो हमारे विशेषज्ञ हैं, माहिर हैं एक पर्टीक्यूलर सब्जेक्ट के जो अनुभवी लोग हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन सब लोगों को प्लानिंग बोर्ड में सम्मिलित करके, बैठ करके राजस्थान का एक प्रोस्पेक्टिव प्लान बनाना चाहिए। उस प्लान के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो साधन जुटाने की आवश्यकता है वे सब को मिल कर जुटाने होंगे। यह राजस्थान के विकास का प्रश्न है।

यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा यह बात कही गई है कि चूंकि भारत सरकार ऐसा सोच रही है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है, उसे एक साल पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा और छठा प्लान नये तरीके से बनाया जाएगा। एक नया रोलिंग प्लान का कन्सेप्ट आया है। आप क्या सोचते हैं? राज्य सरकार की क्या नीति है, इस रोलिंग प्लान के बारे में? आप आगे जो प्लान बनाने जा रहे हैं, उसमें किन चीजों को प्राथमिकता देना चाहते हैं? प्राथमिकता देने के लिए आपके पास क्या साधन हैं? अगले पांच सालों में आपको कितने साधन जुटाने पड़ेंगे? किस किस सैक्टर में साधनों की वजह से उत्पादन में वृद्धि होगी? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? इस सम्बन्ध में भी आपने अपनी कोई स्पष्ट रूप-रेखा सदन के सामने प्रस्तुत नहीं की है। जो फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन हमारे यहां पर हैं, जो छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों को ऋण देती हैं, चाहे आर. एम. आई. डी. सी. हो, चाहे राजस्थान वित्त निगम हो, चाहे लघु उद्योग निगम हो, उनके सहयोग से उद्योगों को आर्थिक तौर से सुदृढ़ करना चाहिए, इनको गतिशील बनाना चाहिए ताकि वे कठिनाइयों का मुकाबला कर सकें और राजस्थान औद्योगीकरण की दृष्टि से आगे बढ़ सके। जैसा मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है, वे भारत सरकार से और केन्द्रीय फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन से ज्यादा से ज्यादा धन हमारे राजस्थान में उपलब्ध कराएंगे, यह खुशी की बात है। हमारे राज्य के औद्योगीकरण की दृष्टि से वित्तीय केन्द्रीय संस्थाएं, जो ऋण देती हैं, बहुत कम पूंजी का विनियोजन हुआ है। यह बात सही है कि राजस्थान को जो हिस्सा मिलना चाहिए था, हमारे राज्य के औद्योगीकरण के लिए जिन संस्थाओं को योग देना चाहिए था, सहयोग देना चाहिए था, जो धनराशि राजस्थान को उपलब्ध होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। ऐसी सूरत में हमने यह मांग की थी, ज्यादा से ज्यादा शेयर राजस्थान को मिले। भारत सरकार की यह नीति है कि हिन्दुस्तान के विकसित राज्यों के मुकाबले, जो राज्य पिछड़े हुए राज्य हैं, उन राज्यों को इन संस्थाओं से ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध हो। एग्रीकल्चर डिफाइनेन्सिंग कॉर्पोरेशन, इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक, एल. आई. सी. से हमको पूरी धनराशि नहीं मिली है। इस ओर हमको प्रयास करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लघु सिंचाई की योजनाएं बनाकर धन प्राप्त करना चाहिए; ताकि इसके

(श्री परसराम मदेरणा)
अन्दर हम आगे बढ़ने में सहायक हो सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इतना ही निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री ने एक बात कही थी कि यह सरकार, जनता पार्टी सरकार विकास के मामले में पक्षपात नहीं करेगी । मेरा यह आरोप है कि इस साल जो शिक्षण संस्थाएं खुली हैं, चाहे वे प्राइमरी स्कूल हों, जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं, लम्बी छलांग की डींग मार रहे हैं, लेकिन इन्हीं स्कूलों को खोलने में निश्चित रूप से पक्षपात किया है । शिक्षा की मांग के समय, 7 तारीख को जब शिक्षा मंत्री उत्तर दे रहे थे तब उन्होंने रीजनल इम्बेलेन्स की और दूसरी बात करके लीपापोती करने की कोशिश की थी । मैं समझता हूं, इसको मैं षड्यन्त्र तो नहीं कहता, करेक्टर असेसिनेशन की बात भी नहीं कहता, लेकिन उन्होंने होशियारी से, चतुराई से स्कूल खोलने के अन्दर भारी पक्षपात किया है । जैसा कि शेक्सपीयर के हैमलेट के बारे में कहा जाता है, इसमें कुछ मैडनेस है । जिस प्रकार की बात करता है—in his method it is madness.

शिक्षा मन्त्री जी ने जो बात कही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक क्षेत्र में स्कूल ज्यादा हों, दूसरा पिछड़ा हुआ हो यह कहां तक उचित है ? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों को ले लें । 15-15 मील तक स्कूल नहीं हैं, 20-20 मील तक बच्चों का जाना पड़ता है स्कूलों में भर्ती होने के लिए । उसके अलावा तबादले की राजनीति छेड़ी है । अभी तक तबादलों की नीति रही है । आप सोचते हैं, तबादलों से सब कुछ होगा, भाषणों से होगा, इस बात को छोड़िये । इस सदन के माननीय सदस्यों का इसमें मिला जुला प्रयास होना चाहिए ताकि जो राजस्थान के आर्थिक पिछड़ेपन का सवाल है, उसे हल कर विकास कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि एप्रोप्रियेशन बिल पर चर्चा हो रही है इसके लिए दो घण्टे सत्ता पक्ष का समय निर्धारित किया गया है । उसी में माननीय वित्त मन्त्री का वक्तव्य है । इस स्थिति में सरकारी पक्ष के 2 घण्टे हैं । कांग्रेस को 45 या 50 मिनट । बाकी अन्य दल 25 मिनट । मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सूची कांग्रेस के माननीय सदस्यों की आई है और सत्तापक्ष की आई है वह लम्बी चौड़ी सूची आई है । आप अगर चुनाव कर लें तो अच्छा रहेगा ताकि माननीय सदस्य इस अवसर पर बोल सकें । वक्ता महोदयों से भी यह निवेदन है कि संक्षेप में विचार प्रकट करें ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में हमारा हमेशा सहयोग मिलता आया है और मिलता रहेगा । मैंने जो सूची दी है, उसमें थोड़ा सा......

श्री उपाध्यक्ष : मैं विचार करूंगा इस मामले में ।

माननीय श्री मथुरादास माथुर !

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान

(श्री मथुरादास माथुर)

संविधान के आर्टिकल 293 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक सीमा आ गई है जब कि संविधान की धारा 293 को हमें देखना चाहिए। धारा 293 वित्त मन्त्री जी, यह कहती है...

"Subject to the provisions of this article, the Executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed."

श्रीमान्, राजस्थान की सरकार को कन्सोलिडेटेड फंड के आधार पर जिस संस्था से, भारत सरकार से इस देश के अन्दर कर्जा लेने का अधिकार है वह अधिकार संविधान की धारा 293 देती है। उस अधिकार के मातहत चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे अब जनता सरकार हो, वह कर्जा लेती रही है। जो हमारी कन्सोलीडेटेड धनराशि है, इसके आधार पर कर्जा लिया जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि कर्जे कई ले लिये गये हैं; उनके बाद आज राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान के ऊपर जा इस वक्त कर्जा है। 31 मार्च, 77 से वैसे आप ज्यादा जानते हैं, वह है 833.74 करोड़ रुपया। इस कर्जे के साथ आपने मुख्तलिफ गारंटी दे रखी है राज्य सरकार ने गारण्टी दे रखी है। चाहे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए कर्जा लिया गया हो, मुख्तलिफ संस्थाओं के लिए लिया गया हो या किसी प्राइवेट इण्डस्ट्रीज के लिए कर्जा लिया गया हो, जिसको आपने गारण्टी दी है वह 470 करोड़ 50 लाख रुपया होता है। श्रीमान्, यह दोनों मिलाकर करीब करीब 1200 करोड़ रुपये के आसपास इस राजस्थान सरकार पर वित्तीय जवाबदारी है। इतने रुपये की आपने गारंटी दी है। अगर वह कर्जे का रुपया नहीं देना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए यह गारंटी भी संविधान की धारा के अन्तर्गत दी गई है। इस कर्ज का, वित्तमंत्री जी, आप 1977-78 के अन्दर 61 करोड़ 55 लाख रुपया ब्याज का चुकायेंगे। आपको मालूम होगा आस्ट्रेलिया में कौन सरकार ज्यादा कर्ज लेने पर ही गिरी थी। इस प्रकार संविधान की धारा इस सरकार को खत्म करने का एक आधार बन जाती है। आपने जो यह कर्जा लिया है, उस पर मैं बहुत बड़ा कुठाराघात नहीं करना चाहता हूं, मैं तो यह बताना चाहता हूं कि इस धारा के द्वारा कितना कर्ज लिया गया है, राज्य सरकार ने कितने कर्जे की गारंटी दी है और कितना ब्याज दे रही है, इस वित्तीय स्थिति को देखना है। कोई सरकार क्रेडिट बढ़ाती जाये तो आखिर में ऐसा दिन आ जायेगा कि आखिर में कर्जा ज्यादा होगा और असेट्स कम होंगे। 31 मार्च, 77 को जैसा मैंने बताया है चुकारा 758 करोड़ 51 लाख रुपया रह गया है। आपके पास बदले में कुछ असेट्स हैं इसलिए इस बात का मिसयूज करेंगे कि 713 करोड़ 5 लाख

(श्री मथुरादास माथुर)
रुपये के असेट्स खरीदे हैं। वित्त मन्त्री जी, जो चीजें आयी हैं, उनका आज तक लेखा-जोखा नहीं इसलिये जो हमने एक्सपेंडीचर किया है वही हमारा असेट है। इसलिए आज दिन असेट्स मान लें 750 करोड़ रुपये के लेकिन है कितना? इस प्रकार से यह गम्भीर समस्या है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये राज्य सरकार ने गारण्टी दी है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई एक्ट, 1965 के मातहत सदन में 3 नवम्बर, 1970 को प्रस्ताव रखकर जो गारण्टी देने की क्षमता थी वह 10 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए इस सदन में करायी थी। अब वक्त आ गया है जब कि सदन यह चाहता है कि लेजिस्लेटिव कन्ट्रोल ऑफ बोरोइंग भी होना चाहिए। सदन को यह मालूम पड़ना चाहिए कि हम आज किस स्थिति में हैं? आप लिमिट ले लीजिए कितनी ही लेकिन उस लिमिट तक बोरो करने के लिए आप सदन में प्रस्ताव लाइये और फिर आप बोरो कीजिये। आपको यह बताना पड़ेगा कि आज स्थिति वास्तव में क्या है? आप कर्जा लेते जायं और विकास का कोई काम नहीं हो तो यह तो नहीं हो सकता। आज भी 61 करोड़ रुपया हमारा इन्ट्रेस्ट में चला जाता है।

श्री मदनसिंह दांता : आप वित्त मन्त्री जी थे उस समय भी यही प्रस्ताव रखा गया था, मुझे याद है।

श्री मथुरादास माथुर : उस वक्त ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय विकास नहीं रोका गया था।

मेरा निवेदन है लेजिस्लेटिव कन्ट्रोल के लिए कि कर्जे की लिमिट मुकर्रर करवाई जाय उसके लिए इस सदन के सामने बिल आयें। इस सदन द्वारा इस लिमिट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैंने कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 293 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार अपने कर्ज की जवाबदारी पर विचार करते हुए कोई बिल पेश करेगी जिससे सदन को यह मौका मिल सके कि इस तरह से लिमिट बढ़ाई है तो उसके क्या परिणाम हुए।

श्रीमन्, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि राज्य सरकार बराबर इस बात का दावा करती रही है कि गरीबों की सरकार है और यह मानती है कि लोगों को पूरा अधिकार देगी। मेरे क्षेत्र में डीडवाना और पचपदरा में नमक पैदा करने वाले लोग हैं. उनका काम दरिया से नमक पैदा करने का है। खापीदार कहते हैं उनको। वे नमक पैदा करते हैं। उनके और राज्य सरकार के बीच में सुप्रीम कोर्ट में झगड़े चल रहे हैं। राज्य सरकार कहती है कि हम जमीन के मालिक है और तुम नमक पैदा करने वाले हो, खापीदार हो। उनको सरकार को ही नमक बेचना पड़ता है। जो भाव निर्धारित हैं उन्हीं भावों पर···

(1.34 म. प.)

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री, सभापति पीठासीन)

राज्य सरकार को बेचते हैं। राज्य सरकार को इससे कितना नफा नुकसान हुआ पिछले वर्षों में कुल मिलाकर, उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।

डीडवाना में 1973-74 में 37 हजार का घाटा हुआ। 1974-75 में 17 लाख

(श्री मथुरादास माथुर)

का फायदा हुआ। 1975-76 में 7 लाख का और 1976-77 में 12 लाख का फायदा हुआ। इसी प्रकार से पचपदरा में 3.81 लाख का घाटा हुआ 1973-74 में, 1974-75 में 3.65 लाख का घाटा हुआ, 1975-76 में 8 लाख का फायदा हुआ और 1976-77 के अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि डीडवाना और पचपदरा में जो लोग नमक पैदा करते हैं उनसे सरकार सस्ती दर पर नमक खरीदती है और महंगे भावों पर बेचती है। इस प्रकार सरकार मुनाफा कमाती है। मैंने अभी बताया कि कभी मुनाफा होता है और कभी घाटा। कुल मिलाकर अगर देखा जाय तो सरकार को इससे 15 लाख की इन्कम है। आज एक किसान जिस जमीन पर खेती करता है उसका खातेदार होता है लेकिन जो नमक पैदा करने वाले हैं वे किसी और को नमक बेच नहीं सकते, राज्य सरकार को ही बेचते हैं। इसके साथ ही उनका उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा निवेदन है और यह सुझाव है, वित्त मन्त्री जी, इस 15 लाख के लिए आप एक समाजवादी कदम उठाइये जिससे आपको 15 लाख का घाटा नहीं होगा। जिस तरह से आप किसानों से जमीन का लगान लेते हैं उसी तरह से उनका भी, जो नमक पैदा करते हैं, खातेदार मान कर आप उनसे लगान लीजिये। आप एक भाव निर्धारित कर दीजिये, उस भाव पर ह्यूमन कन्जम्पशन के लिए वह नमक बेच सकेंगे। इस तरह से वे खातेदार हो जायेंगे, मालिक हो जायेंगे और जो झगड़ा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में वह भी खत्म हो जायगा। कई सालों से झगड़ा चल रहा है अब समझौता हुआ है। मेरा निवेदन है कि उन लोगों को, जो नमक पैदा करते हैं, वह जमीन दे दीजिये। इस बारे में आप चिन्तन करें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि अभी विरोधी दल के माननीय नेता ने भी कहा, अन्त्योदय योजना के द्वारा आप लोग गरीबी मिटाने की बात करते हैं। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत हर गांव से पांच-पांच फेमिलीज का सलेक्शन करेंगे। अच्छी स्कीम है, लेकिन मैं समझता हूं इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपने डीडवाना क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं आप जमीन देना चाहते हो लेकिन वहां पर जमीन नहीं है इसलिये जमीन आप नहीं दे सकते। गाय भैंस देंगे तो हरएक आदमी का काम गाय भैंस का दूध बेचकर नहीं चल सकेगा। कहीं ऐसा न हो हजार दो हजार देकर आप यह समझें कि बहुत हो गया, इससे विकास नहीं होगा, इसलिए आप प्रोडक्शन के विकास से शुरू करें। 5 फेमिलीज के सलेक्शन के लिए वहां पर एम. एल. ए. जायेंगे, उससे यह होगा कि पार्टीबाजी होगी। ऐसा नहीं हो कि पैसा खर्च हो जाय और नतीजा कुछ भी नहीं निकले। इसलिए आप दलबन्दी को और राजनीति को बढ़ावा नहीं देवें। ज्यादा माननीय सदस्य उस तरफ के हैं, इसलिए उनसे मेरा निवेदन है कि गरीबों के विकास के लिए राजनैतिक कार्यकर्ता क्या करेंगे। मेरे इलाके के लिए मैं कह सकता हूं कि वह नमक उत्पादन का क्षेत्र है। उसका डवलपमेन्ट करने के लिए आप पैसा लगायें जिससे बहुत सी जमीन नमक उत्पादन क्षेत्र में आ जाय और उसका

(श्री मथुरादास माथुर)

विकास हो सके, साथ ही वहां के लोगों की हालत सुधार सके। मेरे क्षेत्र में आप 100 फेमिलीज को नगर के प्लाट्स दे दीजिये वह गरीबी की लाइन से बाहर हो जायेंगी। वरना क्या होगा कि वहां के सरमायेदार और बड़े बड़े लोग हैं उनको चार चार पांच पांच प्लॉट मिल जायेंगे। वह मालिक बन जायेंगे और गरीबों का कोई भला नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस तरह से काश्तकार से लगान लेते हैं और उनको खातेदारी राइट्स देते हैं उसी प्रकार से उनको भी दीजिए, उनसे भी लगान लीजिए।

श्रीमन, तीसरी बात जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह यह है, वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि इकॉनामी करनी चाहिये। इकॉनामी के लिए दो चार सुझाव दिए हैं, उनसे इकॉनामी होने वाली नहीं है। आप दस करोड़ की इकॉनामी करना चाहते हैं, वह कोई भी नहीं कर सकेगा। जो आपने चार पांच बातें कहीं, उनसे तो एक करोड़ की भी इकॉनामी नहीं कर सकते। इस पर आप चिन्तन करें। आपके यहां पर जितने भी राजस्व पैदा करने वाले महकमे हैं उन महकमों के अन्दर कास्ट ऑफ कलेक्शन बहुत है, नेशनल स्टेन्डर्ड से ज्यादा है। बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज के अन्दर भी लोग कास्ट ऑफ कलेक्शन 5% से ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए सैल्स टैक्स वगैरह में 5 परसन्ट से ज्यादा कास्ट ऑफ कलेक्शन नहीं होनी चाहिये। ज्यों ज्यों आमदनी बढ़ती जाती है, त्यों त्यों 2 से 5 पर्सेन्ट कॉस्ट ऑफ कलेक्शन होनी चाहिये। इसलिए आप चार या पांच पर्सेन्ट कास्ट ऑफ कलेक्शन कीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं दो चार मिनिट और लूंगा।

आप चार पांच पर्सेन्ट कास्ट ऑफ कलेक्शन लैण्ड रेवेन्यू के लिए कीजिये। आज Percentage of the land revenue collection is 40% and 44%। लैण्ड रेवेन्यू के कलेक्शन का फिगर है, इसमें कहा गया है कि कास्ट ऑफ कलेक्शन का फिगर अलग से दर्ज नहीं होता है वह शामिल है। आप चाहे कितना ही कम कर दीजिये, वित्त मन्त्री जी, लैण्ड रेवेन्यू का कलेक्शन, जो ऑडिटर जनरल और सी. ए. जी. के आंकड़े हैं वह आपको मानने ही पड़ेंगे। आज कास्ट ऑफ कलेक्शन का पर्सेन्ट इतना ज्यादा है कि आठ दस करोड़ के कलेक्शन पर 20 पर्सेन्ट से भी ऊपर कास्ट ऑफ कलेक्शन हो जायेगी। दूसरे नम्बर पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 6 प्रतिशत या उससे ऊपर कास्ट ऑफ कलेक्शन है। इसी तरह सेल्स टैक्स में तीन प्रतिशत, दो प्रतिशत है। स्टाम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन में 3 व 4 प्रतिशत है। इसलिए हर विभाग, जो आपके रेवेन्यू कलेक्शन विभाग हैं का बजट किसी तरह से 5 प्रतिशत ऑफ दी ग्रास रेवेन्यू से अधिक नहीं बढ़े, उससे कम करने की आप कोशिश करें।

चौथा मेरा पॉइन्ट है, आपने कहा कि सेल्स टैक्स को एबोलिश करेंगे। वित्त मंत्री जी जरा सोचकर काम कीजिए। इलेक्शन

(श्री मथुरादास माथुर)

मेनीफैस्टो में आपने यह लिखा, मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन इससे पहले आक्ट्राय ड्यूटी को आप खतम करें, यह ड्यूटी जगह जगह म्यूनिसिपेलिटीज लेती हैं। भारत सरकार ने कहा है और राज्य सरकार ने भी कहा कि यह खतम कर देंगे। हमने भी यह विचार किया था, वह बिल भी यहां आया था लेकिन बाद में लैप्स हो गया। उसके प्रपोर्शन में एडीशनल सेल्स टैक्स लेकर म्यूनिसिपेलिटीज की आक्ट्राय को फ्रीज कर देने का विचार किया गया था। इसलिये आप पहले आक्ट्राय ड्यूटी को खतम करें। सेल्स टैक्स खतम करते ही जिस प्रकार से शुगर और क्लॉथ पर सेल्स टैक्स नहीं लगाते हैं और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार लगाएगी फर्स्ट पॉइन्ट पर और हम लास्ट पॉइन्ट पर लगाते हैं। आप 70 करोड़ की आमदनी के सपने देखते हो. यह सब एडीशनल एक्साइज ड्यूटी बन जायगा और फाइनेन्स कमीशन से आपको उसका पर्सेंटेज मिलेगा। आप इसको समझ लीजिए और विचार कर लीजिये। अगर क्लॉथ और शुगर पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता तो हमारी आमदनी सेल्स टैक्स से जो 70 करोड़ है वह 80-90 करोड़ हो सकती थी। मगर भारत सरकार के पास होने की वजह से जब मर्जी होती है, एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, जब मर्जी होती है एडीशनल लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाते हैं। इससे हमें घाटा होता है। इसलिए आपकी पार्टी का मैनीफैस्टो आने वाली सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा और राज्य सरकार की कमाई में कमी होगी।

आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वह चाहे ट्रेड में हो, चाहे इन्डस्ट्रीज में हो, गवर्नमेन्ट कम्पनीज में इन्वेस्टमेंट 23.75 करोड़ रुपया है, स्टेच्यूटरी कार्पोरेशन्स में 315 करोड़ रुपये, प्राइवेट सेक्टर के अन्दर कम्पनी इन्वेस्टमेंट में 2.42 करोड़ रुपये हैं, कुल मिलाकर 341.30 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है। आप विचार कीजिए कि इस इन्वेस्टमेंट से आपको मिनिमम बैंक रेट पर ब्याज मिलता है क्या? आपने 341 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी प्लान में पैसा लेते हैं उसका आपको 5 पर्सेंट ब्याज देना पड़ता है। आपने कई जगह गारंटीज दी हैं, उससे 3 या 4 प्रतिशत कमाते भी हैं। इस तरह से जो आपका इन्वेस्टमेंट है विभिन्न विभागों में आपने खुद के प्लान का जो रुपया लेकर दिया है, 341 करोड़ का रिटर्न क्या मिलता है? इस पर विचार करें।

खासतौर से, आपका पब्लिक सेक्टर बड़े घाटे में जा रहा है, मुख्य मंत्रीजी हैं नहीं, नहीं तो मैं डेयरी टेनरीज आदि के बारे में कहता जो घाटे में जा रही हैं और कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। किसी में लेन देन 3 पर्सेंट रिटर्न है कुछ में लेन देन 2 पर्सेंट रिटर्न है। गंगानगर शुगर फैक्ट्री में 14 पर्सेंट रिटर्न है। इसका कारण यह है कि डिस्टीलरीज और शराब के ट्रेड का पूरा ठेका उसको दिया गया है इसलिए मुनाफा हो गया। इस पर तवज्जह देने की जरूरत है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, निगम हैं, कोई कृषि विभाग के नीचे हैं, कोई होम के नीचे है। कमिश्नर आफ स्टेट एन्टरप्राइजेज अलग बना हुआ है

(श्री मथुरादास माथुर)

उसके नीचे आप सभी इंडस्ट्रीज को डालिए और वहां पर ऐसा आदमी बिठाइए जो इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट को समझे, जो समझे कि प्राइस स्ट्रक्चर मुकर्रर करना चाहिए। अगर ये सब बातें नहीं करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट है। उसकी सोशयल वेल्यूज हो सकती हैं परन्तु फाइनेन्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको घाटा है। इसको मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें और एप्रोप्रियेट प्राइस पॉलिसी तय करें। एक ही डिपार्टमेंट में सभी इंडस्ट्रीज को डालिए तभी रिटर्न मिल सकेगा।

दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं जिसको आपको गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ तो यहां पर वोटेड आइटम्स हैं एप्रोप्रिएशन बिल में कुछ चार्ज्ड हैं। वोटेड आइटम्स पर अनुदान की मांगों के जरिए अपन ने यहां बहस की परन्तु कुछ ग्रॉट्स हैं जो आर्टिकल 202 व 205 के नीचे हैं। एक्सपेंडीचर ऑन चार्ज्ड एण्ड कन्सोलिडेटेड फंड जो स्टेट का है, उसके बारे में इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। इन्स्टीट्यूशन ऑफ गवर्नरशिप है, गवर्नर महोदय के खर्चे पर सदन में बहस हो सकती है, मगर क्योंकि वोट नहीं होता इसलिए चार्ज्ड है, इसलिए बहस नहीं होती। उनके यहां क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, वहां की गाड़ियों का ठीक तरह से इस्तेमाल होता है या नहीं, जिस पर्पज के लिए वह इन्स्टीट्यूशन है, उस पर्पज को वह सर्व कर रही है या नहीं, इस पर चिंतन करके भारत सरकार को लिखें। क्योंकि यह डेलीकेट विषय है, हेड ऑफ दी स्टेट से सम्बन्धित है, इसलिये इस पर ज्यादा चर्चा करनी नहीं चाहिए। मगर वित्त मन्त्रीजी आपसे कहना चाहता हूं कि गवर्नर की इन्स्टीट्यूशन के लिये फ्रेश लुकअप आपको करना पड़ेगा, बजट को बारीकी से देखना पड़ेगा वरना हमें मजबूर होकर सदन में देखना पड़ेगा कि वहां क्या होता है। वहां फेवरिटिज्म होता है, लोगों की शिकायतें हैं। मैं चर्चा इसलिये नहीं करना चाहता क्योंकि हेड ऑफ दी स्टेट पर्सनली इन्वॉल्व हो जाता है। उसको हम बहुत ही अनटचेबल रखना चाहते हैं। इसलिये ··

श्री माणकचन्द सुराणा : 1966 में जब हमने मांग की थी कि राज्यपाल का पद समाप्त किया जाए तब आप हां पक्ष में बैठे थे, उस समय आपको यह समझ नहीं आई ?

श्री मथुरादास माथुर : अब तो आपको समझ आ गई, कल से ही कर दो।

श्री माणकचन्द सुराणा : अब तो समझ ठीक हो गई है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह नहीं कहा कि इस पद को खतम करो, मैंने कहा फ्रेश लुकअप की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण पॉइन्ट है···

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : आपके दल में केवल माननीय श्री जयकृष्ण को समय दिया जाएगा।

श्री मथुरादास माथुर : तो आप इस पर विचार करें।

श्री सुखलाल संचला : हमारा समय भी इन्हीं को दिया जाए।

श्री सभापति : मैं अधिक समय नहीं दे सकता।

श्री मथुरादास माथुर : आपने अपने बजट भाषण में उन राज्य कर्मचारियों को, जो अपने ग्रेड के मेक्जीमम पर रुके हुए हैं, तीन साल में एक इन्क्रीमेंट देने की बात कही है। मेक्जीमम आप दो इन्क्रीमेंट्स देंगे। आप देखेंगे कि इससे उनको फायदा नहीं होगा। मेक्जीमम पर वह रुक जाता है जिसको रिटायरमेंट से पहले दूसरा ग्रेड नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता। आप उसको कुल दो इन्क्रीमेंट्स देंगे। वित्त मन्त्रीजी आप इस पर विचार कीजिए। इन दो इन्क्रीमेंट्स के बजाय आप इसमें 5 इन्क्रीमेंट्स का रखें तो राज्य कर्मचारी खुश होंगे और आपको दाद देंगे।

सातवें फाइनेन्स कमीशन की घोषणा हो चुकी है, समय कम होने के कारण इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें दावत दी गई है कि हम अपने विचार रखें। जितने फाइनेन्स कमीशन बनाये थे उन सब में छठे कमीशन ने सबसे अधिक याने 500 करोड़ रुपये अपन को दिये थे। अब जो क्वेश्चनर आया है, उससे मालूम होता है कि वे ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। इसलिए जो राजस्थान सरकार के सामने समस्यायें हैं उन पर विचार करें।

अन्त में मैं, सभापति महोदय, इस बात पर आता हूं, जब यहां पर बजट पेश किया जा रहा था तब यह कहा था कि हमारी यानि कांग्रेस की सरकार ने जो बजट पेश किया उसकी वजह से राज्य सरकार को 75 करोड़ का घाटा है। यह भी कहा गया कि हमें जो कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का राज्य दिया तो हमें भूखा नंगा राजस्थान दिया। मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं, सभापति महोदय, इस बजट में 75 करोड़ का घाटा नहीं हो सकता है। वह सरप्लस भी हो सकता है। नहीं तो आपको 1 करोड़ और 2 लाख से अधिक घाटा नहीं है। यह तो समझ समझ का फेर है। आप समझ सकें तब तो बजट जो हमने दिया था वह सरप्लस है ही।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप उसी बात को नहीं दोहरायें।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, यहां पर बार बार कई बार यह कहा गया कि राजस्थान कांग्रेस से जो हमें मिला वह भूखा और नंगा राजस्थान ही मिला इसलिये मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है। अन्त में मैं यही कह कर मेरा भाषण समाप्त करता हूं कि जो मैंने आपको सुझाव दिये हैं उनको मानेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा अन्यथा आपको नुकसान ही होगा। इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो एप्रोप्रियेशन बिल रखा है उसमें काफी गड़बड़ियां हैं, और इससे मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं, आपका घाटा ही होगा और बाद में आपका पछताना ही पड़ेगा।

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण !

(अनुपस्थित)

श्री परसराम मदेरणा : वह नहीं है तो आप उधर से किसी को बोलने का मौका दे दें। जयकृष्ण जी बाद में बोल लेंगे।

श्री माणकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ निवेदन करूं।

श्री सभापति : श्री माणकचन्द सुराणा!

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, आज सदन में वित्त मन्त्री महोदय ने विनियोग विधेयक 815 करोड़ और कुछ लाख का प्रस्तुत किया है और उस पर आम बहस हो रही है। सभापति महोदय, आज इस विनियोग विधेयक को हमें पारित भी करना है। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने सन् 76 में जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया था वह 685 करोड़ का रखा था। सभापति महोदय, इस बार जो विनियोग विधेयक रखा गया है वह अलग अलग मदों के अन्तर्गत रखा है और बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से ब्रेक अप करके रखा गया है। इसलिये ना पक्ष के लोगों ने इस विनियोग विधेयक की आलोचना की है। सभापति महोदय, जो आलोचना की गयी है वह भी बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से की गयी है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस परिप्रेक्ष्य में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ है और राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार ने जनतन्त्र को नया मोड़ देने की कोशिश की है इससे विपक्ष में बैठने वालों के पास सिवाय आलोचना करने के कुछ भी नहीं रहा। जैसे जनता पार्टी की सरकार ने अन्त्योदय की योजना बनायी, राजस्थान में राजस्व के लिए एक अभियान चलाने की कार्यवाही शुरू कर रही है जिससे जहां पर जो राजस्व के झगड़े हैं वहीं पर तुरन्त ही निपटा दिये जायेंगे। यह जनता पार्टी की सरकार है जिसने सबसे पहली बार हमारे प्रान्त में यह नये मोड़ दिये हैं। जब पुरानी कांग्रेस सरकार ने यह काम काश्तकारों के भले के लिये नहीं किये वह सोचती है कि यह जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के कार्य क्यों कर रही है? आज जनता पार्टी की सरकार ने इस बजट में इतने अधिक स्कूल खोल दिये हैं कि जो स्कूल अगले पांच वर्षों में खुलने वाले थे वह एक ही साल में खोल दिये। कई स्कूल नये खोले गये, कई स्कूलों का क्रमोन्नत किया गया है। कई महाविद्यालय भी खोल दिये गये। सभापति महोदय, इतना ही नहीं राजस्थान में एक दो किलोमीटर पर नये स्कूल खोलने के कारण कांग्रेस पार्टी ने यह कह कर आलोचना की कि जनता पार्टी की सरकार ने इतने नजदीक नजदीक स्कूल क्यों खोले? दूसरी ओर यह भी कहा कि कई जगह पर जहां लोग चाहते थे वहां पर स्कूल नहीं खोले गये। तो, सभापति महोदय, इस कांग्रेस पार्टी को जनता पार्टी के द्वारा किये गये अच्छे कार्यों का देखना पसन्द नहीं है। लेकिन जनता को आज जनता सरकार से नयी आकांक्षायें हैं। जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आप चलना चाहते हैं वह करेक्ट ऑब्जेक्टिव अगर आपने अचीव कर लिये तो जरूर जनता को लाभ पहुंचेगा। अगर कहीं पहले कमजोरी रही तो आज नहीं तो कल मजबूती से कदम उठा कर प्रशासन सही स्थिति पर पहुंच जावेगा।

(श्री माणकचन्द सुराणा)

यहां पर मूल्य वृद्धि के बारे में काफी कहा गया है, खास तौर से तेल के भावों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, जो वेसिक स्टेटिसटिक्स में आंकड़े दिये गये हैं उनको अगर अच्छी तरह देखा जाय तो पूरी पोल खुल जाती है। पिछली सरकार ने खास तौर से जब कि तिलहन की आमद होती है तब बाजार में तिलहन के भाव जो थे वह नीचे रखे। उसके बाद में तीन चार महीने बाद ही वह भाव बढ़ जाते हैं। शुरू में जब तिलहन की आवक होती है तो बाजार में तिलहन का भाव कम होता है और उसके बाद लोग होर्डिंग कर लेते हैं अतः स्वाभाविक है कि तीन चार माह बाद ही भाव ऊपर चले जाते हैं। आप चाहें तो पिछले साल के भाव देख लें इमर्जेन्सी के समय में कांग्रेस सरकार ने गुजरात में 66 रुपये टिन का तेल का भाव रखा। सभापति महोदय, 66 रुपये टिन का मतलब है कि 66 रुपये का 18 किलो तेल। इस तरह के भाव रख कर आपने किसान को लूटा, उसको बरबाद कर दिया और फिर बाद में वह टिन 120 और 130 रुपये बिका। इस प्रकार मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने 1600 रुपये टन खरीदने का जो प्रस्ताव रखा है और इसके द्वारा सरकार तेल का भाव नियन्त्रित करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह कम है। इसके बजाय आपको दो हजार रुपये टन तेल का भाव रखना चाहिये आज हिन्दुस्तान में 650 लाख लोगों की 34॥ लाख टन तेल की खपत हैं जब कि 27॥ लाख टन तेल ही हमको मिल पाता है। इस तरह करीब 7 लाख टन तेल की कमी रहती है। वह सात लाख टन तेल की जो कमी है वह हम आयातित तेल से पूरी करते हैं। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं आपको पिछले दस साल के आंकड़े पेश करूं, उन्हें अगर आप देखें तो जो तथ्य आपके सामने आयेंगे उससे पता लगेगा कि "

श्री शिवचरणसिंह : क्या आप तिलहन के जनता पार्टी की तरफ से यह भाव तय करायेंगे।

श्री माणिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मैं तो संदन का सदस्य हूं। जनता पार्टी को तेल के भावों के बारे में अधिक चिन्तित होने की बात कही थी इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री शिवचरणसिंह : क्या आप तिलहन के भाव तय कर रहे हैं?

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं तो तिलहन के भाव क्या होने चाहिये उसके लिये निवेदन कर रहा हूं जिससे काश्तकार को भी नुकसान नहीं हो और उपभोक्ता को भी नुकसान नहीं हो। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने किसानों को तिलहन का उचित मूल्य नहीं दिया और काश्तकारों को लूटा। उसकी गलत नीतियों के कारण उपभोक्ताओं को भी नुकसान हुआ और मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया।

श्री मूलचन्द डागा : आपके जमाने में तो एक भी मुनाफाखोर का चालान अभी तक नहीं हुआ है।

श्री माणकचन्द सुराणा : मुख्य मन्त्रीजी ने जो कहा था वह सुना नहीं आपने। तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन

(श्री माणकचन्द सुराणा)

कर रहा था कि जो आंकड़े बेसिक स्टेटिस्टिक्स में दिये हुए हैं उन सभी में तो समयाभाव के कारण मैं जाना नहीं चाहूंगा पर इतना जरूर कहूंगा कि सन् 1973-74 में हमारे यहां पर 11.32 लाख हैक्टेयर में तिलहन की बोवाई हुई, 1975-76 में 10.70 लाख हैक्टेयर में और संशोधित आंकड़े जो दिये हुए हैं उनके अनुसार 9.26 लाख हैक्टेयर जमीन में तिलहन की बोवाई की गयी थी। इस प्रकार अगर आप बजट स्टेटिस्टिक्स में देखेंगे तो 1973-74, 1975-76 और 1977 में तिलहन की बोवाई में लगातार गिरावट आयी है। उसका कारण यह है कि जो काश्तकार तिलहन की पैदावार करते थे उन्हें कांग्रेस सरकार ने पूरे पैसे तिलहन के नहीं दिए। इसलिए लोगों ने तिलहन की खेती करना ही कम कर दिया। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि तिलहन के भाव दो हजार रुपये टन होने चाहिये। साथ ही गांव में अगर तेल निकाला जाय तो उसकी 6 रुपये किलो के भाव खरीद होनी चाहिये। मैंने जो सुझाव दिया है अगर जनता पार्टी की सरकार उसके अनुसार कार्यवाही करे तो साढ़े सात रुपये किलो तिलहन के तेल का भाव और साढ़े नौ रुपये सरसों के तेल का भाव बाजार में होगा। इस प्रकार भाव में कमी निश्चित रूप से आयेगी। इस प्रकार हम भाव फिक्स करके उपभोक्ता को भी राहत पहुंचा सकते हैं और किसानों को भी उचित मूल्य मिल सकेगा। आज दालों के भाव में और तिलहन के भावों में जो वृद्धि हो रही है वह कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों को प्रोत्साहन देने के कारण हुई।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, इस तरह तो आपके भाषण में ही दो घन्टे जनता पार्टी का समय पूरा हो जायेगा।

श्री माणकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं। आप चाहें तो जनता पार्टी के किसी सदस्य का समय मेरे समय में एडजस्ट कर लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : हमें तो वित्त मन्त्री जी का भाषण सुनना है, वह क्या कहते हैं।

श्री सभापति : वित्त मन्त्री जी तो कुछ कहना चाहेंगे वह बाद में कहेंगे। अभी तो माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इस तरह यह ज्यादा समय लेकर वित्त मन्त्री जी को बचाना चाहते हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : वित मन्त्री जी तो बचे हुये हैं।

श्री सभापति : आप इन्हें बोलने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : तो क्या हम श्री सुराणा जी के भाषण को वित्त मन्त्री जी का भाषण समझें और इनके जवाब को वित्त मन्त्री जी का जवाब ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य तो अपने विचार रख रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो हमें गालियां देने का काम कर रहे हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : तो, सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी को निवेदन कर रहा हूं कि तेल के भाव क्या होने चाहियें। आज तेल के अन्दर काश्तकारों को लूटा गया है। कांग्रेस के लोग मुझे माफ करेंगे, यदि मैं यह कहूं कि उस वक्त जो कांग्रेस के कृषि मन्त्री होते थे वह यह कहते थे लेकिन माननीय परसरामजी मदेरणा तो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर कभी शिवचरणजी माथुर के पास रहा तो कभी किसी के पास, वे तिलहन के काश्तकार की लूट को नहीं रोक सके। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में 34½ लाख टन तेल चाहिये। किन्तु 24½ लाख टन ही तेल मिल पाता है। राजस्थान में 4 लाख टन पैदा होता है। राजस्थान की आबादी का राजस्थान में पैदा होने वाले तेल का आवश्यकता के अनुसार, खपत के अनुसार समुचित रूप से वितरण करें दें और असेन्शियल कमोडिटी एक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार की इजाजत लेकर बाहर जाने से रोक दें तो जो तेल का भाव आज 12), 12॥) रु. किलो है वह निश्चित रूप से आगामी तीन महीनों में 8 रु. और 7॥) रु. तक आ सकता है। और यह भाव निश्चित किया जा सकता है।

श्री शिवचरण सिंह : पाबन्दी कौन लगायेगा ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुनिये इन्ट्रप्ट न कीजिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : अब मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, दूसरा जो मुद्दा है वह है कृषि उत्पादन का। बहुत कोशिश के बाद एशियन डवलपमेंट बैंक ने एशिया के जितने देश हैं उनकी स्टडी करायी है. 600 पेज की रिपोर्ट है, वह स्टडी विजयशंकर के द्वारा की गयी है और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रकाशित करायी गयी है। उसमें आंकड़े दिये गये हैं उनके अनुसार टॉप 1 परसेन्ट होल्डिंग है कृषि की उससे 25 पर्सेन्ट कृषि का उत्पादन होता है। टॉप 8 पर्सेन्ट से 50 पर्सेन्ट और टॉप 50 से 50 पर्सेन्ट और टॉप 50 से 90 पर्सेन्ट आती है। आज कृषि की ऊंची भूमि है उसमें निचली कैटेगरी की भूमि से 10 पर्सेन्ट कृषि का उत्पादन आ रहा है। 1 पर्सेन्ट भूमि से 25 पर्सेन्ट कृषि का उत्पादन आ रहा है। कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृषि के बारे में जो आंकड़े हैं, उनकी पूरी जानकारी करने के बाद में ऐसे स्टेप उठाने चाहिये जिससे 1 पर्सेन्ट से 25 पर्सेन्ट का उत्पादन होवे। उन सारे साधनों की नकल करके दूसरी सारी होल्डिंग उपलब्ध है कम से कम 10 पर्सेन्ट होल्डिंग के अन्दर उन उपायों की, उन चीजों की नकल की जाय, उन विकसित साधनों की नकल की जाय तो निश्चित रूप से कृषि उत्पादन में तीव्र गति से अन्य देशों की तरह आगे बढ़ सकेंगे।

श्री शिवचरण सिंह : 1 पर्सेन्ट होल्डिंग से बड़ी है ?

श्री सभापति : बोलने दीजिये माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण सिंह : समझा नहीं।

श्री सभापति : आप समझ गये हैं, माननीय सदस्य ।

श्री माणकचन्द सुराणा : आप समझ गये हैं । एशियन डवलपमेन्ट बैंक की स्टडी का मैंने जिक्र किया है ब्लिट्ज में पूरे आंकड़े फ्रन्ट पेज पर आये हैं । उसको आप देख लीजिये । ये जो आंकड़े मैंने दिये हैं उससे आपको इनकी सच्चाई मालूम हो सकेगी ।

एक माननीय सदस्य : उनकी समझ बड़ी है ।

श्री सभापति : बीच में डिस्टर्ब न करें माननीय सदस्य ।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय सदस्य समझना नहीं चाहते तो मैं उनको समझा नहीं सकता । जहां तक परसरामजी मदेरणा का सवाल है ये आंकड़े उनके लिये उपयोगी हो सकते हैं । मथुरादासजी माथुर के लिये भी अलाभकारी नहीं होंगे बल्कि लाभकारी ही होंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : वह हमने ले लिये हैं ।

श्री माणकचन्द सुराणा : रिपोर्ट आपने नहीं ली है । एशियन डवलपमेन्ट बैंक द्वारा प्रकाशित है । मेरे पास है, मैं भिजवा दूंगा । तो मैं बता रहा था कि कृषि में ये अचीवमेन्ट्स हैं राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार में 50 से 50 पर्सेन्ट और 50 से 92 पर्सेन्ट को नेग्लेक्ट किया जाता रहा है । आज नया आयाम खुला है नयी आकांक्षायें लोगों में पैदा हुई हैं, आज कोई गरीब रहना नहीं चाहते हैं । इसलिये हलचल मची हुई है । जो काम कांग्रेस शासन में नहीं किये जा सके वह क्रान्तिकारी काम जनता सरकार को करने हैं । मेरा निवेदन है क्रांतिकारी कदम कृषि के क्षेत्र में उठाया जाना चाहिये जिससे कि 1 पर्सेन्ट भूमि से 25 पर्सेन्ट उत्पादन हो सके ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको 20 मिनट हो गये हैं ।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय सभापति महोदय पांच मिनट का समय और चाहूंगा आपकी इजाजत से ।

आज जिन हरिजनों के बारे में एट्रोसिटीज की बातें बहुत बढ़ा-चढ़ा कर अखबारों में श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस के माननीय सदस्यों के द्वारा कही जाती हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितना रुपया पहले कभी हरिजनों के मोहल्ले के विद्युतीकरण के लिये नहीं रखा गया उतना इस बजट में रखा गया है । 2 करोड़ की राशि हरिजनों के मोहल्लों में विद्युतीकरण के लिये रखी गयी है ।

श्री मूलचन्द डागा : बिजली के भाव बढ़ गये ।

श्री परसराम मदेरणा : कहां है इस बजट में विद्युतीकरण के लिये । 30 मार्च को जो भूतपूर्व वित्त मंत्री ने बजट रखा उसमें था इसमें तो नहीं है ।

श्री माणकचन्द सुराणा : आपने विद्युत का बजट नहीं देखा है । राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट आने वाला है ।

कई माननीय सदस्य : आपको पहले मालूम हो गया ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : वित्त मंत्री ने इसमें जिक्र नहीं किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह हलचल इसलिये की जा रही है कि एक-एक प्रश्न पर जो आंकड़े रख रहा हूं उससे इनको परेशानी हो रही है।

श्री शिवचरण सिंह : पिछले बजट में 2 करोड़ था और इस बजट में नहीं है

श्री माणकचन्द सुराणा : आज शिवचरण जी.......

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : इन्ट्रप्शन का समय मेरे समय में से काट दीजिये और इनके समय में जोड़ दीजिये जो ना पक्ष में हैं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज उन हरिजनों के मोहल्लों के विद्युतीकरण की बात इतनी स्पीड से रखी है जितनी पांच साल में नहीं रखी। हरिजनों के मोहल्लों के विद्युतीकरण के लिये बजट अलग है। आपके राजनैतिक हथियार करीब करीब सब बेकार हो रहे हैं।

अन्त्योदय योजना में हर गांव से 5 परिवारों के चयन की बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मथुरादास जी माथुर ने व अन्य माननीय सदस्यों ने इसको अच्छा समझा लेकिन कहा कि यह संभव नहीं है। आप इसको असंभव समझ रहे हैं लेकिन जनता सरकार इसको सम्भव समझती है। प्रत्येक गांव में पांच परिवारों को रोजगार देकर उनको पावर्टी लाइन से ऊपर उठा कर आगे लाना चाहेंगे, उनको एग्रीकल्चरल लैंड या अन्य धन्धा पावर्टी लाइन से ऊपर उठाने के लिये देंगे। वह बात करके बतायेंगे जिसको आप असंभव समझ रहे हैं। जनता सरकार की योजना है कि हर वर्ष 2 लाख परिवारों को पावर्टी लाइन से ऊपर उठायें। राजस्थान में 10 लाख आदमियों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाने का जनता सरकार ने बीड़ा उठाया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बहुत बड़े बीड़े को उठाने के लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही जितनी वार्निंग्स ना पक्ष वालों ने दी हैं मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन वार्निंग्स को बराबर ध्यान में रखा जाये और हमारे जो कदम उठ रहे हैं उन कदमों में किसी तरह की कोई कमजोरी किसी स्थान पर नहीं आये। आपने बहुत जगह कहा कि लैण्ड अवेलेबल नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि लैण्ड अवेलेबल है और जहां लैण्ड अवेलेबल नहीं है जनता सरकार को चाहिए कि वह सीलिंग के कानून में पुन: संशोधन करके गरीब आदमियों के लिए प्रत्येक गांव में जमीन निकालें और भूमिहीनों को भूमि वाला बनायें...

श्री मूलचन्द डागा : और आपकी बात मानेंगे नहीं, आपकी सरकार को स्तीफा देना होगा।

श्री माणकचन्द सुराणा : हमारी सरकार सफलतापूर्वक इस काम को करेगी।

(श्री माणकचन्द सुराना)
इसलिए, सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को बधाई देते हुए निवेदन करूंगा कि विनियोग विधेयक को पारित किया जाये।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : सभापति जी, अभी तक जो कुछ सुनने को मिला उसमें से यह सही है, जैसा माननीय सदस्यों ने फर्माया था कि हमारी करोड़ों रुपयों की देनदारी है और इतने करोड़ रुपये ब्याज के देने पड़ते हैं। इतना होते हुए भी वित्त मंत्री जी ने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

इसके अन्दर कोई शक नहीं कि जो सुझाव विरोधी दल के माननीय नेता ने और माननीय माथुर साहब ने दिये हैं वह सुझाव बहुत अच्छे हैं। जब कोई ठोकर खाकर संभले और दूसरे को सभाले कि हमने ठोकर खाई है और तुम संभलकर चलना तो मुझे कबीर के शब्द याद आते हैं "निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटि छवाय" अर्थात् निन्दा करने वाले को अपने साथ रखिये। जब आप उसे साथ रखेंगे तब ही वह अच्छा हो सकता है। इसमें शक नहीं कि शिक्षा मन्त्री जी ने भावना में बहकर बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोल दिये। यदि नहीं खोलते तो अच्छा था। मैं तो कहता हूं कि भविष्य में ध्यान रखना। इसी तरह से भावना में बहकर उन्होंने लगान बन्द कर दिया। यदि लगान बन्द नहीं करते तो अच्छा था। लगान बन्द होने से कोई किसानों की इज्जत बढ़ती नहीं है। किसान चाहते हैं कि उनके ऊपर लगान लगे। मेरे क्षेत्र में लोग नहीं चाहते कि लगान नहीं लिया जाये। ग्राम सभा में जब कोई बैठा होता है तो दूसरे लोग बोलने नहीं देते और कहते हैं तुम क्यों चिल्लाते हो। तुम तो मुफ्त की खा रहे हो। आप सोचिये कि लगान किस तरह से लगाया जा सकता है। जब हम लोग मांग करते हैं कि इस पर कम कीजिए, उस पर कम कीजिए। मैं तो कहता हूं कि यदि आप टैक्स नहीं बढ़ायेंगे तो राज्य कैसे चलायेंगे ?

हमारे यहां पर जो नहरों से भूमि सिंचित होती है उसमें बहुत कम लगान है और जो कुओं से सिंचित होती है जो चरस डालकर पिलाई करते हैं, वैसी 5 पिलाई का 125 रु. है। नहरी जमीन में बहुत कम है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि आप इतनी जल्दी बांध और तालाब बनाते हैं तो कहां से पैसा लायेंगे ? इसलिए आप आमदनी बढ़ायें तो अच्छा रहेगा।

अब आपने रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स लगाया। सब ग्रामोद्योग एक-एक करके नष्ट हो गए। मैं अपने गांव सांगानेर की बात करता हूं वहां पर 100 घर छीपों के थे उन सबका धन्धा चौपट हो गया। मशीनों से वह कपड़े रेडीमेड बनाने लगे तो उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। मैं निवेदन करता हूं कि कृपा करके 30 रुपये तक के रेडीमेड कपड़े पर तो आप छूट दीजिए।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि आपने हिम्मत करके दो जिलों में शराबबन्दी की। जब सरकार को 8 करोड़ की आमदनी थी तब भी सरकार यह हिम्मत नहीं करती थी अब तो 28 करोड़ की आमदनी है, इतना होते हुए भी आप हिम्मत करते हैं। वित मन्त्रीजी, मेरी बात सुन लीजिये, इस समय मैं शराबबन्दी पर ही बोल रहा हूं। सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मांगीलाल जी मन्त्री महोदय के पास से इधर विराज जायें। मेरी बात उन्हें सुन लेने दें तो ठीक रहेगा। शराबबन्दी करके आपने दो तहसील पास की छोड़ दी। इससे क्या होगा कि मांडलगढ़ में और बिजोलिया में शराब चलेगी तो बूंदी में भी यों की यों चलेगी। आपने टौंक में शराबबन्दी की है यदि जहाजपुर में बन्द नहीं करेंगे तो टौंक पूरा का पूरा वेंट रहेगा ड्राई नहीं रहेगा। इधर आप बाली में शराब बन्दी कीजिये ताकि सारा एरिया ठीक हो सके। अगर आप यह नहीं करेंगे तो मैं तो निवेदन करूंगा कि जिन जिलों में शराबवन्दी की है चाहे आप उसको वापस उठा लें तो ठीक हैं। केवल नाम मात्र के लिए शराब वन्दी नहीं करनी है। मेरा विश्वास है कि आपके मन में बहुत श्रद्धा है और हमारे मुख्य मंत्री जी भी चाहते हैं कि शराबवन्दी हो लेकिन इसके लिए आपको निश्चित घोषणा करनी पड़ेगी....

श्री मथुरादास माथुर : 2 अक्टूबर।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 2 अक्टूबर से हो नहीं सकती, व्यवहारिक ही नहीं है। यह वह माननीय सदस्य कह रहे हैं जिन्होंने 1 करोड़ से 28 करोड़ पर आमदनी शराब से पहुंचाई। जिन्होंने सब को शराब में डूबो दिया, पावर्टी लाइन के नीचे पहुंचा दिया आज वही माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं बधाई देता हूं कि कम से कम यह तो जान गये हैं कि शराब पिला पिला कर हमारे राजस्थान को मिट्टी में मिला दिया है। अब उनके मन में हिम्मत जागी है, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, उनके मन में शराबबन्दी का विचार उतर गया। इसके लिए मैं आपकी मार्फत उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मन में भी गांधी जी इस तेजी से उतर गये हैं कि यह कहते है कि शराबवन्दी की घोषणा 2 अक्टूबर से करो। ये वे हैं जिन्होंने गांधी जी की छाती में छुरा भोंक कर शराब की आमदनी को कामधेनु मान लिया था। इससे बढ़कर कलंक की बात क्या हो सकती थी। गांधी जी ने एक बार कहा था कि एक मिनट के लिए भी यदि मैं डिक्टेटर बन जाऊं तो शराबबन्द कर दूंगा। इन्होंने गांधी जी के जमाने में ही शराब गली गली में चालू कर दी। मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करूंगा, आप निश्चित घोषणा कीजिये कि आप दो साल के अन्दर अन्दर कम्पलीट प्रोहीबीशन करेंगे। जहां 800 करोड़ के कर्ज की जिम्मेदारी है तो थोड़ी जिम्मेदारी और आयेगी। वैसे मैं जानता हूं आयेगी नहीं। यह मैं आपको अर्ज कर देता हूं, अगर आप कड़ाई से शराबबन्दी का पालन करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि 70 पर्सेन्ट लोग शराब पीना बन्द कर देंगे। हो सकता है कि 30 पर्सेन्ट लोग रह जायें। तो फिर क्या होगा? सरकार को अभी आमदनी होती है

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

28 करोड़ की और पीने वालों की जेब में से एक अरब रुपया जाता है। शराबबन्दी करने से यह पैसा शराब में नहीं जायेगा। तिजोरी में भी नहीं रखेंगे। लोगों की इससे पर्चेजिंग पॉवर बढ़ेगी और सरकार की सेल्स टैक्स की बहुत आमदनी होगी। इसलिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आप सचमुच अन्त्योदय करना चाहते हैं और यदि आपकी कथनी और करनी एक है तो फिर हिम्मत कीजिए और हिम्मत करके छलांग लगाइये। आप छलांग लगायेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय सदस्य भी साथ देने वाले हैं। आखिर अकाल क्यों पड़ता है? पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग क्यों आये हैं? इसलिए आये हैं कि हमने उनको शराब पिला पिला कर मदहोश बनाकर उनका हाल बहुत खराब कर दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह वार्निंग बेल है या क्या है?

श्री सभापति : एक मिनट और बोल लें।

श्री मनोहर सिंह मेहता : एक मिनट और लूंगा।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी अन्त्योदय करना चाहते हैं, वे ग्राम सभा में जायेंगे। आज भी ग्राम वालों के मन में भगवान बसा हुआ है। वह कहेंगे कि हमारे गांव में यह लोग हैं जो अन्त में खड़े हैं। यह जरूरी नहीं है कि जमीन सब को दी जाये। यह बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत हिम्मत की है लेकिन शराबबन्दी के लिए हिम्मत नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 27 आदमियों को सस्पेण्ड किया था बहुत बड़ा काम किया। उनके मन में दर्द है कि किस तरह से भ्रष्टाचार बन्द हो लेकिन इस शराब रूपी जननी के रहते भ्रष्टाचार बन्द नहीं होगा इसलिए......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शराब को बन्द कीजिए। आप यह काम कर लेंगे तो सच्चे मायने में गांधी जी का बहुत बड़ा काम होगा और पूरे देश का मार्गदर्शन करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपा करके शराबबन्दी की ओर कदम उठाइये, शिक्षा में परिवर्तन कीजिये अगर नहीं करेंगे तो यह हड़ताल हो रही है यह बराबर होती रहेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि इतनी बार घन्टी बज गयी है, और मेरी जिन्दगी में यह पहला मौका है कि इतनी घंटी सभापति महोदय ने बजाई और मैं नहीं बैठा। इसके लिए क्षमा चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री सुरेशकुमार!

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेश कुमार!

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बहुत से क्रांतिकारी कदम उठाये हैं उसके लिये तो मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन एक विशेष समस्या जिस पर विचार नहीं हो पाया उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री सुरेशकुमार)

श्रीमान्, प्रदेश में आवास की समस्या विषम हो गई है, कार्यालयों के स्थान की एक ऐसी समस्या है जिससे लोगों को मकान तक नहीं मिलता। इस प्रदेश की पिछली सरकार ने प्रशासन और प्रशासनिक कार्यालयों का केन्द्रीकरण ऐसा किया कि समस्त बड़े बड़े कार्यालयों के स्थान थे वे बड़े बड़े शहरों में कर दिये। श्रीमान्, बहुत से ऑफिसेज के बिना यहां काम चल सकता है। उनका स्थान गांवों में किया जा सकता है। ऑफिसेज के कारण यहां पर मकान मिलना मुश्किल हो गया है। मैं तो कहता हूं बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। जयपुर के अन्दर जमीनों के भाव, व मकानों के भाव बढ़ रहे हैं। अगर इन कार्यालयो को कहीं दूसरी जगहों, कस्बों में रखते, भरतपुर में रखते, नागौर या सीकर में रखते या किसी नगर में भेजते तो यह समस्या हल हो सकती थी। पशुपालन कार्यालय जयपुर में क्या करता है, डेरी विकास निगम क्या कर रहा है, कृषि कार्यालय क्या करता है? आप शिक्षा निदेशक का कार्यालय बीकानेर में रखकर कार्य चला सकते हैं। अगर बड़े बड़े कार्यालयों को गांवों में धकेल दें तो गांवों का विकास होगा और वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। श्रीमान, मेरा सुझाव है कि जो बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े कार्यालय खोले हुए हैं, उनको गांवों में भेजें। इससे केवल आवास की ही समस्या हल नहीं होगी किन्तु कई समस्याओं का निपटारा होगा। किसी गांव में बड़ा दफ्तर बने तो वहां चाय की दुकान होगी, पान की दुकान होगी, लांड्री, नाई और साइकिल वालों और कई चीजों का धन्धा पनपेगा। आप देखिये, केवल एक आदमी ने यानि बिड़ला साहब ने पिलानी में एक शिक्षण संस्था स्थापित की उसी से उस स्थान का कितना विकास हुआ, कितनों को रोजगार मिला। इस से आवास की समस्या के साथ रोजगार की समस्या भी हल कर सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आगे किसी बजट के अन्दर सरकार यह प्रावधान रखे कि जो सरकारी कार्यालय शहरों में पड़े हुए हैं उनको गांवों के अन्दर धकेला जाये। बड़े बड़े शहरों में कार्यालय भवनों के अभाव में कई कार्यालय प्राइवेट बिल्डिंग्स में बने हुए हैं जिनका किराया पी. डब्ल्यू. डी से असेस होता है। उनके प्रभाव से किराया ज्यादा देना पड़ता है। मैं तो कहता हूं कि बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं उनको एशोआराम चाहिये, उनको सिनेमा चाहिये, बड़े बड़े होटल चाहिये। वह तो चाहते हैं कार्यालय ऐसी जगह हों जहां उनके एशोआराम की सुविधायें मौजूद हों। तो, श्रीमान्, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें। इन कार्यालयों को हटाने से बहुत सी समस्याओं को हल करेंगे। मैंने अनुमान लगाया है कि जीवन बीमा निगम का छोटा बड़ा कार्यालय किसी कस्बे में लग जाता है तो करीब 400 आदमियों के लिये नया रोजगार पैदा हो सकता है। अगर 50 कार्यालय अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर दें तो 25 हजार लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। साथ ही लोगों को आसानी से मकान मिल सकेंगे। दूसरा लाभ यह होगा कि गांव के लोगों के पास जो पूंजी बेकार पड़ी है उसको निर्माण कार्य में लगाने को उन्हें गांवों में ही प्रोत्साहन मिलेगा।

(श्री सुरेशकुमार)

इसलिये यह किया जाये कि जितने भी सरकारी कार्यालय प्राइवेट बंगलों में हैं उनको वहां से हटाया जाये। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। आवास समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री उमराव-सिंह ढाबरिया !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, जो बजट वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है हर तरीके से वह बजट पहले की कांग्रेस सरकार के बजट के मुकाबले में ज्यादा अच्छा है। इसमें कुछ कमियां भी हैं। अभी माननीय मथुरादास जी माथुर ने आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये कि हमने इतना पैसा कार्पोरेशन्स और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रखा है। जहां यह सब बातें हुई हैं, मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा जिस वक्त मैं इस सदन का पहले सदस्य था मैंने बजट के ऊपर एक एक आंकड़े के ऊपर कांग्रेस सरकार को कहा था कि फालतू का खर्चा कर रहे हैं यह खर्चा आप रोकें तो इस सारे प्रांत को जो कर्जा लेना पड़ रहा है, वह नहीं लेना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि वह कौन सा आपके यहां का समाजवादी बजट था। कांग्रेस सरकार ने एक हवाई जहाज दिल्ली से उदयपुर चलने के लिये लिया जिसमें या तो आपके मंत्री महोदय बैठते या बड़े अफसर, राजस्थान का साधारण आदमी नहीं बैठता। उस हवाई जहाज को चलाने में जितना नुकसान उन चलाने वालों को हुआ है उसके लिये राजस्थान के कई लाखों रुपये का उपयोग हुआ है। अगर इस खर्चे को रोकते तो लाखों रुपये की बचत उस वक्त में कर सकते थे। इसके अलावा करोड़ों रुपया जो इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को अपने बजट में से दिया है या आपकी एजेन्सीज से दिलाया है उस पैसे को बचा सकते हैं।

आपका राजस्थान का जो बिजली का डिपार्टमेंट है, एक कारखाने को आपने 3 पैसे यूनिट मे बिजली देकर, कोटा के डी. सी. एम. के कारखाने को रियायत देकर 11 लाख रुपये का बिजली विभाग का नुकसान किया है। उसी नुकसान को पूरा करने के लिये फिर 1 करोड़ 20 लाख का उधार लिया है। फिर हमको यह कहते हैं कि इतना रुपया हमारा ब्याज में चला जाता है। इस खर्चे को आसानी से बचाया जा सकता था।

आपने यहां जिक्र किया कि जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें साफ लिखा हुआ है कि बजट कभी घाटे का नहीं होना चाहिये। मैं भी मानता हूं। हमारे प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि घाटे का बजट पेश नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु, सभापति महोदय, मैं श्री माथुर साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है और उसमें जो घाटा उन्होंने 52 करोड़ रुपये का बताया है यह घाटा कांग्रेस की भूतपूर्व सरकार थी उसने जो घाटे का बजट रखा था वही घाटा है या नये सिरे से कोई काम बताकर यह घाटा बताया है? मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सारी बातें और खामियां बजट में

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

या तो विरोधी दल के नेता या श्रीमान माथुर साहब ने बताई वह सब उनके कारनामों का फल है। इसमें हमारे वित्त मंत्री का कोई दोष नहीं है।

जो अन्त्योदय का कार्यक्रम चल रहा है, जो राजस्व अभियान की बात कही जा रही है उसके सम्बन्ध में कुछ-कुछ शंकायें विरोधी दल के नेता ने प्रकट की हैं। मेरे दिल में भी शंका है। एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी काम अगर शंका के आधार पर किया जाये और यह शंका मन में की जाय कि होगा या नहीं होगा तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। शंका के आधार पर किसी काम को रोका नहीं जा सकता है और रोकना भी नहीं चाहिये। मैं कांग्रेस सरकार पर इस बात की जिम्मेदारी डालना चाहता हूं कि 13 साल हो गये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नेतृत्व का सत्यानाश कर दिया। पंचायत समितियों के चुनाव न कराकर और सारे भ्रष्ट आदमियों को सत्ता देकर सत्यानाश कर दिया। आज हम बात करते हैं गरीब को आगे बढ़ाने की, तो उसमें शंका की जाती है।

मैं कांग्रेस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने इस पंचायती राज को हमारे यहां स्थापित किया है लेकिन खतम करने की भी उसकी ही जिम्मेदारी है। कांग्रेस की सरकार ने हमारी सारी ग्रामीण इकॉनोमी का सत्यानाश कर दिया। ऐसे लोगों को उसमें लाकर बैठा दिया जिनके प्रति ग्रामीणों को शंका है। जो पंचायतों में सरपंच, पंच, प्रमुख आदि हैं उनको बराबर कायम रख करके भ्रष्टाचार फैलाया है उनमें ग्रामीण आदमियों का विश्वास नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये कोई एजेन्सी भी उन्होंने इन 13 सालों में कायम नहीं की है। इसलिये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ तो उसका कारण कांग्रेस की सरकार है।

मैं, सभापति महोदय, आपके जरिये वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि आप शहरों की तरफ देखना भूल जाइये। शहरों का विकास कांग्रेस ने खूब किया है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि बजट में जो पैसा था उसका 70 प्रतिशत शहरों में खर्च किया है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा आप इस बजट की दिशा को बदल कर गावों में ले जाइये, गावों में पैसा खर्च करने के लिये कदम बढाइये और आज जो शहरों में ज्यादा भीड़ होती जा रही है, ज्यादा पॉपूलेशन बढ़ती जा रही है उसको भी गावों में भेजने की कोशिश करिये। अभी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जैसे को-ऑपरेटिव का महकमा है जिसका जयपुर में हैडक्वार्टर है। मैं माननीय वित्त मंत्री से साफ कहना चाहता हूं, यहां को-ऑपरेटिव के मंत्री महोदय नहीं हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस ऑफिस पर जो आप 12-13 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, उसका क्या औचित्य है। रजिस्ट्रार, एडीशनल रजिस्ट्रार, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार यहां रहते हैं उनका काम केवल कागजों को इधर उधर करने के अलावा कुछ नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको 10 मिनट हो गये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो जो इस बजट में घाटा है उसको पूरा करने का विचार है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : एक मिनट में आप समाप्त कर दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह कहना चाहता हूं जो यह विभाग है उसको खत्म कर दीजिये। सारे जिले में आपके रजिस्ट्रार हैं। उनको पावर्स हैं सारे काम करने के तो जो यहां का ऑफिस है उसको तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। इसी तरह का सवाल आता है आपके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, यह क्या करता है? कुछ पैसे हैं उसको बांटने या कुछ लोगों को चन्दा देने के अलावा इसके पास कुछ काम नहीं है। इस ऑफिस पर आप इतना खर्च करते हैं, मैं समझता हूं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी प्रकार यहां लेबर कमिश्नर रहते हैं, उनका पद भी खत्म करिये। मेरे पास समय नहीं है और घंटी बज रही है नहीं तो मैं कहना चाहता हूं इस 52 करोड़ के घाटे में जो 5 करोड़ की बचत करने के लिए कहा है, पांच करोड़ के बजाय अगर हम इन सारे महकमों को खतम कर दें तो काफी बचत बजट में हो सकती है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह सारा का सारा घाटा पूरा हो सकता है। इतनी बात कहने के बाद, माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ भी ध्यान दें।

इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय! इधर माननीय सदस्य बोल रहे हैं और उधर माननीय डागा जी किताब पढ़ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पढ़ सकता हूं, श्रीमान्।

श्री सभापति : देखिये, मैं सूचना दे दूं आपको, इस लिस्ट में 23 नाम हैं सत्तापक्ष की तरफ से बोलने वालों के। उनकी संख्या 23 है।

(विराम)

हाथ मत उठाइये। दो घन्टे का समय दिया गया है। 23 बोलना चाहते हैं और अभी करीब 40 मिनट निकल गये हैं। एक घन्टा और 20 मिनट और हैं। इस तरह आप सभी बोलना चाहेंगे तो चार मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं। या फिर आप पर छोड़ देता हूं, आप तय कर लीजिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभापति महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर सारे बजट का सवाल आता है। इस पर जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा समय दे दें, तो मैं समझता हूं कि किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी।

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया 3-3, 4-4 मिनट में बोल सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : और बिना बोले माननीय वित्त मंत्री जी को भी सहायता नहीं मिल सकती है । कम समय में पूरा बोल लें तो कुछ सहायता हो सकती है ।

श्री सभापति : आप सब बोलना चाहते हैं तो 3-3, 4-4 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता हूं । मैं नहीं कह सकता क्या बोलना चाहिये और कैसे बोलना चाहिये । यह तो आप सब जानें लेकिन मैं निवेदन करूंगा ज्यादा समय न लें और जल्दी खतम करें ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : विरोधी पक्ष को तो समय दें ।

श्री सभापति : विरोधी पक्ष के लिए मैं निवेदन कर दूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने 45 मिनट दिए हैं । समय निर्धारित कर दिया गया है उसको तो, माननीय डागा जी, मैं घटा-बढ़ा नहीं सकता हूं । जो नाम रखे हैं विरोधी पक्ष की तरफ से उनमें माननीय परसराम जी मदेरणा, माननीय मथुरादास जी माथुर और माननीय जयकृष्ण जी के नाम हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जयकृष्ण जी नहीं बोलें, तो मुझे समय दे दिया जाय ।

श्री सभापति : उनका जो नॉमिनी है, वह बोल सकता है । उनका नॉमिनी बाकी है ।

जो प्रगतिशील दल है, निर्दलीयों को कुल मिलाकर 30 मिनट दिये हैं । दो बोलना चाहते हैं तो 15-15 मिनट बोल सकते हैं । यदि तीन बोलना चाहते हैं तो 10-10 मिनट बोल सकते हैं । इसलिये डागाजी से निवेदन करूंगा, जयकृष्ण जी के बदले बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : कितना समय देंगे ?

श्री सभापति : 9 मिनट ।

श्री मूलचन्द डागा : आप कृपा करके एक मिनट और जोड़ दें ।

श्री मोहनलाल (केकड़ी) : माननीय सभापति महोदय, जो हमारी सरकार ने इन्टरिम बजट पेश किया और जिस तरह से उनकी मांगे स्वीकार की गई, विरोधी पक्ष ने भी स्वीकार की तो उससे यह साफ जाहिर होता है कि वास्तव में यह बजट प्रशंसा के लायक है । यह सबने, विरोधी पक्षों ने मांगें स्वीकार करके स्वीकार किया ।

(व्यवधान)

केवल एक दो मांगों को छोड़कर जिसके सम्बन्ध में खेतसिंह जी ने आपत्ति उठाई बाकी मांगें तो सर्व सम्मति से स्वीकार की गई हैं । आलोचना तो बजट की होती है और हानी भी चाहिये । अगर कोई बजट सर्वसम्मति से पारित हो और उसकी आलोचना न हो तो मैं यह समझूंगा कि वास्तव में वह बजट सही नहीं है । इसलिये अन्त में जो निर्णय आया वह वास्तव में सराहनीय है । हमारे माननीय नेताओं ने और मुख्य मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से अनेक

(श्री मोहनलाल)

घोषणायें की हैं उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह सिर्फ कांग्रेस की पुरानी सरकार के अनुसार ही घोषणायें नहीं रह जायं। जिन लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में मुअत्तिल किया गया है, वे निलम्बित ही नहीं चलते रहें। इसके साथ साथ यह भी होना चाहिए कि अगर किसी अधिकारी को गलती से निलम्बित कर दिया गया है, गलती से उसके खिलाफ आरोप लगा दिये गए हैं तो उसकी भी पूरी जांच की जानी चाहिए और शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।

विकास के मामले में मेरा निवेदन है कि जिस रफ्तार से आज तक विकास का मामला चला, जिस प्रकार इसमें पिछले समय में भ्रष्टाचार हुआ उस प्रकार से नहीं चला कर उसकी कार्य प्रणाली को बदलना होगा। अगर इस प्रान्त का तेजी से विकास करना है तो इस कार्यक्रम को बदलना पड़ेगा और युद्ध स्तर पर विकास के लिए काम करना होगा। हमारे राजस्थानमें विकास के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, वे हैं बिजली, सड़क और पानी। अगर इन तीनों का विकास कर दिया जाय, ये तीनों काम पूरे कर दिये जायें तो राजस्थान का मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण विकास हो जाएगा। अब इसके लिए जैसे कि हमारे राजस्थान में अकाल की बहुत बड़ी समस्या है और अकाल के नाम पर पिछली सरकार ने अरबों रुपया खर्च किया फिर भी राजस्थान की जो अकाल की समस्या है वह ज्यों की त्यों पड़ी है। अब अगर इन समस्याओं का सही इस्तेमाल किया जाता तो राज्य का काफी काम होता और अकाल की समस्या का भी समाधान हो जाता। मैं समझता हूं कि ऐसी योजनायें हाथ में लेना जरूरी है जिनसे अकाल की समस्या का स्थाई रूप से समाधान हो सके, यह समस्या पूर्ण हो सके।। जैसे कि राजस्थान नहर है। अगर आज तक इसको पूर्ण कर दिया जाता तो कम से कम इस प्रान्त को पूरा अनाज मिलता और अनाज से बहुत बड़ी समस्या अकाल की दूर हो जाती। किसानों की और भी बहुत सी समस्यायें हैं। हमारे विरोधी लोग राजस्व अभियान और अन्त्योदय की योजना से यह समझ कर चल रहे हैं कि यह सफल हो गई तो हमारा अखाड़ा उठ जाएगा। उनको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए बल्कि उनको राजस्थान की उन्नति के लिए, राजस्थान के विकास के लिए सोचना चाहिए। अन्त्योदय की जो योजना है वास्तव में ऐसी योजना है जिसके लिए सदन के हर माननीय सदस्यों को, हर वर्कर को और हर अधिकारी और कर्मचारी को सहयोग दे करके इसको सफल बनाना चाहिए। अगर हमको देश से गरीबी हटानी है और देश का उत्थान करना है तो इसके लिए हमको सहयोग करना चाहिए। हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। वास्तव में कुछ किसानों के लिए कानूनों की जो भरमार हुई है पूर्व सरकार की तरफ से, मैं समझता हूं कि जो योग्य वकील हैं वह भी इन कानूनों को पूरी तरह से नहीं जानते, न उनको एकत्रित करने में सफल हो सकते हैं। न जाने कितनी तब्दीलियां की गई हैं। पंचायत एक्ट है, नगरपालिका एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इन सबमें की गई तरमीमों को एक जगह संकलित करके उन सबों को एक नए कानून का रूप देना चाहिए

(श्री मोहनलाल)

ताकि सारे कानून एक जगह मिल सकें। पंचायतों और नगरपालिकाओं के जो अधिकार समाप्त हो गए हैं, वे अधिकार उनको वापस देने चाहिए। आज पंचायतों के पास, नगरपालिकाओं के पास कोई अधिकार नहीं रह गए हैं। वे नाममात्र की रह गई हैं, सारे अधिकार केन्द्रित कर लिए हैं सरकार ने। टीनेंसी एक्ट की धारा 15 (ए) के सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन अवश्य करना चाहूंगा। विरोधी दल के, भूतपूर्व सरकार के सदस्य हैं वे न जाने कितने तरीकों से इसका समर्थन करते हैं। वह क्यों करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। हो सकता है कि इससे दो चार पांच आदमियों को, जो अनधिकृत व्यक्ति हैं, फायदा मिल जाय लेकिन इससे हजारों काश्तकारों को नुकसान हो रहा है। इस धारा 15 (ए) को रखने से किसानों को कोई फायदा नहीं है। आपकी राजस्थान कैनाल बन रही है और ज्यों-ज्यों यह आगे बढ़ेगी कोलोनाइजेशन डिक्लेयर होगा, तो आज जो छुटभैया हैं, मौरूसी खातेदार हैं जो कितने ही वर्षों से खातेदार हैं वे ट्रेसपासर्स हो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जायेंगे, गैर खातेदार हो जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो एण्टी-कांस्टीट्यूशनल कानून है, संविधान के खिलाफ जो कानून है, उसको हटाया जाय। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि करोड़ों रुपयों का राज्य सरकार को नुकसान होगा। यह भुलावा मात्र है। इसको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। कुछ और अधिकारी लोग जो इस विचारधारा के हैं उनको समझने की जरूरत है। राज्य सरकार को अपने फायदे की बात नहीं काश्तकारों की, जनता के हित की बात सोचनी चाहिए। हजारों काश्तकारों को उजाड़कर राज्य को लाभ की बात नहीं सोचनी चाहिए।

एक और समस्या के बारे में मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा, चाहे सरकार और चाहे विरोधी दल के विचार इससे नहीं मिलते हों लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि रोडवेज के लिए जो रूट्स का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही जाती है, वास्तव में बहुत अच्छी है, प्रगतिशील कदम है लेकिन आज बसों की जो समस्यायें हैं, जनता को जो परेशानी उठानी पड़ रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे दल के लोग और विरोधी दल के लोग भी सिर्फ यही कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण प्रगतिशील कदम है इसको पूरा करना चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कितनी ही समस्या हैं लोगों के सामने कितनी ही प्रकार की परेशानियां हैं वह दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। महज प्रगतिशीलता के नाम पर, प्रगतिशील कदम कह कर राष्ट्रीयकरण कर दिया जावे इससे जनता को कोई फायदा नहीं है। मगर परेशानियां बढ़ाई जा रही हैं। जनता सरकार को मेरा निवेदन है कि अगर कोई राष्ट्रीयकरण करना भी है, तो पहले जिन रूट्स का राष्ट्रीयकरण कर रखा है, उसको पूर्णतः सफल किया जाय, इसकी कमियों को दूर किया जाय, पूरी बसों की व्यवस्था की जावे तभी आगे जाकर नए रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जाय वरना परेशानी बढ़ती है

(श्री मोहनलाल)
जनता को नुकसान होता है। लोग गांवों में खड़े रहते हैं बसों की इन्तजार में। आठ-आठ, दस-दस घण्टे में बस आती है, कभी पूरे-पूरे दिन तक बस नहीं आती है। इस प्रकार से यहां राष्ट्रीयकरण करने से कोई फायदा नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

प्रगतिशीलता के नाम पर राष्ट्रीयकरण करते जाने से फायदा नहीं है जब तक उसमें सुधार नहीं किया जाय।

श्री सभापति : मैं पुनः निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि मैं कोई, किसी प्रकार से उनके विचारों को सीमित नहीं करना चाहता, मैं यही निवेदन करूंगा कि यह एप्रोप्रियेशन बिल है। इसमें जो माननीय सदस्य अपने विचार रखें तो कृपया नई बात करें। बजट की डिबेट में जो बातें आ गई हैं, मैं पुनः विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उसको दोहरायें नहीं। जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि मैं आपके विचारों को सीमित नहीं करना चाहता लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि उन्हें दोहरायें नहीं।

अब माननीय श्रीमती डॉक्टर उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आज इस मौके पर बोलने का अवसर मिला है तो मैं समझती हूं कि मैंने जो मुद्दे मांगों के ऊपर कटौती प्रस्तावों में नहीं रखे, उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। वित्त मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले दिनों हमारे यहां यह योजना बनी थी कि डेयरी बना कर सरकार दूध बेचेगी। उसमें काफी पैसा लगा लेकिन उसमें इस तरह से, इस ढंग से काम किया जा रहा है कि उसका रख रखाव ठीक नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां से दूध बीकानेर से दिल्ली तक जाता है। किन्तु हमारा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है उस सैनिक स्कूल के बच्चों को दूध नहीं मिलता है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय हरिदेवजी जोशी चित्तौड़गढ़ गए थे और उन्होंने पचास हजार की ग्राण्ट उनको सैंक्शन की थी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उस पचास हजार की ग्राण्ट से बच्चों को सौ सौ ग्राम दूध मिलने लगा। उस स्कूल से निकलकर बच्चे देश के सैनिक बनेंगे। यह सौभाग्य है राजस्थान का कि यहां पर सैनिक स्कूल है, उसकी ओर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि आगे जाकर बनने वाले सैनिक अच्छे बनें। यदि उनको दूध भी नहीं मिलेगा तो अच्छे सैनिक कैसे बनेंगे। इसके लिए बहुत सा पैसा सरकार देती है, केन्द्रीय सरकार देती है लेकिन हमारी राजस्थान की सरकार अगर उनको पैसा उपलब्ध करा दे तो नई आने वाली पीढ़ी को अच्छी खुराक, अच्छा दूध वे दे सकेंगे।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि यहां पर कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बहस से छूट गए जैसे कि आबकारी का मामला सदन में नहीं आया। यह मामला ऐसा था जिस पर विचार किया जाना चाहिए था। शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यह बहुत गलत चीज है । हमारे देश में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और रहेगा जब तक देश में शराब मिलेगी । इस प्रदेश में शराब मिलती है । मैं निवेदन करूंगी कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्रीजी इस पर विचार करें और दो अक्टूबर से पूर्ण रूप से शराबबन्दी की घोषणा करें । मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश की माताओं बहिनों की शराब के धन्धे के कारण सामाजिक और घरेलू परिस्थितियां बुरी तरह से बिगड़ी है । ऐसा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो । मैं कहना चाहती हूं कि इस पर पुनः विचार किया जाय । जिन दो जिलों में शराबबन्दी की गई है वहां पर तो पहले से ही ज्यादा शराब नहीं बिकती । अगर उनके स्थान पर पाली, चित्तौड़ और उदयपुर ले लिए जाते तो मैं मान सकती थी कि हमारी सरकार ने कुछ किया है । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इतना अच्छा बजट दिया है माननीय वित्तमंत्री महोदय ने, इसलिए इस प्रश्न पर भी पुनः विचार करें माननीय मुख्य मंत्री महोदय पुनर्विचार करें और हमारी बहिनों की सुरक्षा के लिए इस ओर ज्यादा ध्यान दें ।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो मनोरंजन कर है, वह नगर परिषद को नहीं दिया जाता है । हम शहरों के विकास की बात करते हैं परतु जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो वे कैसे विकास कार्य कर सकते हैं ? एक काम नहीं, एक दायरा नहीं है । नगर परिषद की सीमा में ही यू. आई. टी. कार्य कर रही है । पी. डब्ल्यू. डी काम कर रहा है । इन सब को मिलाकर एक विकास अधिकरण बनाया जाए । एक अधिकरण हो और एक काम हो । सब एक तरह से काम करें । आज सड़कों पर गड्ढे खुदे हुए हैं । कहीं यू आई टी. सड़क पर काम कर रही है, कहीं कोई । सब काम अधूरे पड़े रह जाते हैं । टेलीफोन के खंभे के लिए सड़क खोदी जाती है । एक उदाहरण हो तो कहूं । शहर में सब अलग अलग काम कर रहे हैं और जो काम होने चाहिये, वे नहीं हो पा रहे हैं । वे अधूरे पड़े हुए हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर शहर के लिए एक विकास अधिकरण का गठन किया जाए ताकि शहर का विकास सुनियोजित ढंग से हो सके ।

एक मुद्दा और है, सभापति महोदय । पिछले चुनावों के समय मोहल्ले के मोहल्ले मतदान से वंचित रह गए क्योंकि उन मोहल्लों के निवासियों का मतदाता सूची में नाम नहीं था । नगरपरिषद् में जो गांव पंचायतों से आए हैं, उनके निवासियों के नाम मतदाता सूचियों में नहीं हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि मतदाता सूचियों का दुबारा चैक करवाया जाए, क्योंकि शीघ्र नगरपालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं ।

एक निवेदन और है । राजस्थान भू-गृहादि किराया अधिनियम को आपात-कालीन स्थिति में पास कर दिया गया था । मेरा निवेदन है कि इसमें संशोधन होना चाहिए । इसमें जो किराया बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, उससे जनता को असुविधा हो रही है । किराया प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए । एक

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
तरह से किराया बढ़ाने की छुट इस कानून से दे दी गई है। इस कानून से किराया ढाई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। तो सभापति महोदय, यह जो छूट किराया बढ़ाने की ढाई गुना तक दी गई है, यह काफी ज्यादा है। आज मंहगाई बढ़ गई है। रोजगार नहीं है। तो इस समस्या की ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आपातकालीन स्थिति में यह जो बिल पास किया गया है, इस पर दुबारा विचार करके संशोधन किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि किराया प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाने का प्रावधान किया जाए। 5 प्रतिशत किराया बढ़ाने की छूट हो। 25 प्रतिशत बढ़ाना, ढाई गुना बढ़ाना ठीक नहीं है।

श्री सभापति: कृपया जल्दी समाप्त करें

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे दो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर दूं, आप दो मिनट में समाप्त कर लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कांग्रेस शासन में सेक्रेटेरियेट में जो फाइलें हैं, उनमें नम्बरिंग नहीं होता था। इसके कारण फाइल की फाइल गायब कर दी गई हैं। कागजों की सुरक्षा की दृष्टि से मेरा निवेदन है कि फाइलों पर नम्बरिंग करवाया जाये। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : अब भी फाइलें गायब हो रही हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप करवा रहे हैं।

एक और गलती हमसे हुई है। लॉटरी बन्द कर दी इसमें तो कोई गलती नहीं है लेकिन लाटरी का बजट दुर्भाग्य से या गलती से छप गया है और बिल पेश हो गया है। यह किस तरह से हुआ, यह मैं नहीं जानती। 76 लाख 55 हजार का बजट है। 12 लाख विज्ञापन के लिए, 4 लाख 50 हजार टिकटों की छपाई के लिए। जीतने वालों का इनाम भी इसमें शामिल है। यह आप देख सकते हैं, आय-व्ययक अनुमान में जो राजस्व और व्यय का अनुमान है, उसमें यह छपा हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसी तरह से कुछ मामले पेन्शनर्स के हैं। जो राज्य कर्मचारी हैं, उनके तीन साल से मामले लटकाए हुए हैं। वे बार बार यहां पर धरना देते हैं। हमारे यहां पर आते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस मामले को लटकाए रखा है। जो उनकी वाजिब मांगें हैं, मजदूरों की मांगें हैं, उन पर जल्दी से जल्दी विचार किया जाना चाहिये...

श्री सभापति : कृपया आप समाप्त करिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, सम्पूर्ण क्रान्ति हमारा नारा है और भावी इतिहास हमारा है । जब से यह बात हुई तब से मालूम हुआ कि सारी आशा निराशा में परिणित हो गई है । जब से यह बजट आया तब से मालूम हो गया कि कांग्रेस की जो बुराइयां थीं, वह सब की सब आपने ग्रहण कर लीं, इस जनता पार्टी की सरकार ने ले लीं और कांग्रेस की जो अच्छाइयां थीं, वे सारी की सारी छोड़ दीं । तबादला करने में आप कांग्रेस वालों को भी पछाड़ गये । कांग्रेस को भी आपने तबादले की राजनीति में मात दे दी । यह सारा बजट तबादलों में खर्च हो जाएगा.... ..

श्री महर्लसिंह वाला : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है ।

श्री सभापति : कोरम पूरा है ।

श्री मूलचन्द डागा : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस की जितनी बुराइयां थीं, वे तो आपने अख्तियार कर लीं और जो अच्छाइयां थीं, वे आपको नजर नहीं आ रही हैं । तबादले हो रहे हैं । तबादलों की राजनीति चल रही है । राजहंस होटल और क्षीर सागर होटल बी. डी. ओज़ से भरे पड़े हैं। सब तबादलों के लिए घूम रहे हैं । तबादले जनता पार्टी के राज्य में थोक के हिसाब से हो रहे हैं । थोक से ट्रान्सफर होते हैं । इस एक ही काम में इस बजट का पैसा पूरा हो जाएगा । सारे लोग अस्त व्यस्त हैं । एक थाने पर तीन तीन थानेदार पहुंच जाते हैं । इस प्रकार की हालत है, तो यह मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा । मैंने सोचा था, इन्कलाब आएगा लेकिन आज भी अधिकारी 3,500 रुपया पाता है । उसके पास बंगला है, कार है, चार चार नौकर हैं और सारा इन्तजाम आराम के लिए है । जो गरीब आदमी है, उसको दो सौ रुपये भी नहीं मिलते हैं । विषमता बनी रही तो फिर, सभापति महोदय, विषमता के कारण असन्तोष आएगा, शांति भंग होगी और क्रान्ति आएगी । आज असमानता पैदा हो रही है । यह जनता पार्टी क्या कर रही है ? बड़ी अच्छी बात है, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा, हम तीन वर्ष में कोई प्रभावशाली मोड़ नहीं दे सकेंगे । हमारा कोई कदम प्रभावशाली नहीं हो सकता है । क्योंकि हममें चिन्तन करने की, विचार करने की कोई ताकत नहीं है । हमारे मंत्रीगण लोगों से घिरे रहते हैं । वे एम. एल. एज. और लोगों से हमेशा घिरे रहते हैं । आपस में झगड़ने में लगे हुए हैं और सारा समय खराब हो रहा है । सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमारे मजदूरों की हालत क्या हो रही है । एक बात है, जहां देखो वहीं पर अशान्ति है । एक जगह अशान्ति हो तो मालूम हो । राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में 8-9-77 से हड़ताल है । राजस्थान विद्युत मंडल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं । अखबारों को देखो घरने और हड़ताल के ही समाचार हैं । सारे राजस्थान में यही स्थिति है । वेक्सीनेटर हड़ताल पर हैं । सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पर जा रहे हैं । मलेरिया विभाग वाले हड़ताल कर रहे हैं । यह हड़तालों का देश है । आज मजदूर मैदान में आ गया है । यहां, जनता पार्टी की

(श्री मूलचन्द डागा)

देखो, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, वे बाहर घूम रहे हैं। किस लिए घूम रहे हैं? तबादला, ट्रान्सफर के लिए। तबादलों की राजनीति चल रही है तो यह देश कैसे आगे आ सकता है। बजट का सारा पैसा कर्मचारियों के तबादलों में पूरा हो जाएगा। क्या यह जनता पार्टी की नीति है? सरकारी तन्त्र ने जो बजट बनाकर दिया, वही बजट यहां पर पेश कर दिया। क्या यह क्रान्तिकारी कदम है? कोई नया कदम नहीं है। हम सेल्स टैक्स माफ कर देंगे, शराबबन्दी कर देंगे इसकी घोषणा की। जो बातें कही उनमें से एक भी पूरी नहीं की। इस कारण देश में निराशा छा रही है। काम कुछ नहीं हो रहा है। किसी को चिन्ता नहीं हो रही है। कांग्रेस की जो बुराइयां थीं, वह आप अपनाते जा रहे हैं। यह कहा गया, हम सादे घरों में रहेंगे। बड़े सादे घरों में रह रहे हैं! यह कहा गया, सादे घर में सभी मन्त्री रहेंगे। परन्तु एक भी मन्त्री सादे घर में नहीं रह रहा है। कहीं सादा घर नजर नहीं आ रहा है। कौन से सादे घरों में मन्त्री लोग रह रहे हैं? वही ठाठ बाट हैं। इस प्रकार आप देश को उठाना चाहते हैं, देश को क्रान्ति की तरफ ले जाना चाहते हैं तो क्रान्ति कैसे होगी? परसों आर्टिकल आया है, उसका एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"Agathan: - I remember some one saying that every Indian's dream is to receive a full time wage for a part time job.

Socrates: What the revolution called for is some hard hitting accounting as to what each one pays into the common pool and what each one takes out of it. Every one, other than children, the disabled and the aged, who expects to be paid more than he has worked for, will be reckoned to be an exploiter."

जनता पार्टी ने यह कहा कि पेंशन बंद की जाय एम एल एज की। जो पेन्शन ले रहे हैं जिनके पास नौकरी है उनको पेन्शन नहीं दी जाए। बीस सूत्री कार्यक्रम के द्वारा क्रान्ति हो चुकी थी। आज उससे नफरत कर रहे हैं। सारे व्यापारी लोगों की रक्षा करने की पद्धति है आपने बजट पेश कर दिया। कुतुबमीनार से उठाकर किसी को नीचे नहीं बिठाया। जयप्रकाशनारायण भी नाराज हो गए। जो तारीफ कर रहे थे वह भी कहने लगे कि जनता सरकार तीन महीने के बाद घाटे का बजट पेश कर रही है। घाटे की अर्थ व्यवस्था देश में मुद्रा स्फीती को बढ़ाती है। यह भाषण दिया था कि देश के व्यापारी बिचोलिये, और राजनीतिज्ञ-इन तीनों द्वारा देश को लूटा गया। नौकरशाही लूटेगी। मन्त्री कुछ जानते नहीं। वे सवाल का जवाब दे नहीं सकते। मन्त्रियों का कोई कन्ट्रोल

(श्री मूलचंद डागा)

नहीं। होटलों में घूमते फिरते हैं। कितना जनता पार्टी के मन्त्री असफल लोग हैं। अब अन्त्योदय में हर गांव से 5 आदमियों को ढूंढेंगे। इस योजना के तहत एक नई क्लास पैदा करनी है। हर गांव में पांच आदमियों को फायदा देंगे, यह नई योजना है। सारे मन्त्री चले गए। मांगें पास हो रही हैं।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं

श्री सभापति : अजी, डागा जी, अब समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : अभी समाप्त करता हूं।

"The rates of court fees on petitions under Article 32 and 226 of the Constitution should be very low, if not nominal. The fees which are now levied at various stages, such as stamps to be affixed on certified copies and exhibits and the like should be abolished. When a case is disposed of *ex-parte* or is compromised befor the actual hearing, half the court fee should be refunded to the plaintiff."

कोरी कोरी बातें करते हैं। 23 जून को आप आ गए हैं। आप काम करके बताइये। आप बात ही नहीं करें। आप अपनी गलती से शर्मिन्दा हैं। आपकी गर्दन नीची हो गई।

एक आर्टिकल निकला है उसका एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"देश की अर्थ व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन पर अमरबेल की तरह छाये नौकरशाह, बिचोलिये, राजनीतिज्ञ, नवधनाढ्य व्यापारी के त्रिगुट द्वारा मचाई गई लूट की अन्दरूनी जानकारी..."

यह धर्मयुग में लेख निकला था। यह अन्दरूनी नक्शा है। यह जनता पार्टी फेल हो गई। यह जनता पार्टी कुछ नहीं है। आपस में घटकों का झगड़ा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो कहा था....

श्री रतनलाल वर्मा : कांग्रेस के घटक बन गये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप यों ही समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने कहा था, अदालत में सस्ता न्याय होना चाहिए। आज सस्ता न्याय नहीं है। कोर्ट फीस कम नहीं हुई है। इसलिये मंहगा न्याय है। आज भी मंहगाई बढ़ रही है। कमर तोड़ मंहगाई बढ़ रही है। व्यापारी फूल रहे हैं। यह अन्त्योदय योजना क्या है, भगवान जाने। आप वायदा कीजिए कि जिन हरिजनों की जमीनें दबा ली हैं, उनको वापस दिला देंगे। आप देखिये क्या उनकी जमीन वापस हो गई है। सफेद पोश लोग हैं, वे कहते हैं कि हम काश्तकार हैं। जो जोते उसकी जमीन।

श्री सभापति : विराजिये माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द डागा : जो क्रोतता है उसको जमीन देने का आप क्रान्तिकारी कदम उठायें । आपने हमारी नकल तो की है । लेकिन नकल में अकल नहीं रखी है । यही मैं कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री शिवचरण सिंह ।

माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि 30 मिनट आपके दल के हो गये हैं । फिर सी. पी आई. है ।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : माननीय सभापति जी, मैं कम ही बोलना चाहूंगा । हमारा एक सीमित दल है ।

श्री सभापति : आप 4 माननीय सदस्य हैं ।

श्री शिवचरणसिंह : मैं अकेला ही बोल रहा हूं ।

श्री सभापति : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने 30 मिनट निर्धारित किये हैं ।

श्री शिवचरणसिंह : मैं आपकी आज्ञा का वैसे ही पालन करता हूं ।

श्री शिवचरणसिंह : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं । जनता पार्टी का बजट आया था तो यह आशा बन्धी थी कि इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा । जनता पार्टी के सदस्य पिछले दिनों जो हालात रहे हैं उन हालात को ही क्रिटीसाइज नहीं करते रहेंगे । हमें यह आशा भी बन्धी थी कि जनता सरकार परिस्थिति को बदलेगी ।

सर्व प्रथम मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो प्रशासन की पद्धति है वह लार्ड मैकाले की पद्धति है । हमें आशा थी कि जनता पार्टी प्रशासन की पद्धति बदलेगी । लेकिन हुआ यह कि प्रशासन का उसी प्रकार का घिसा पिटा ढचरा चल रहा है कि अंग्रेजों ने दिया । वही ढचरा जनता पार्टी सरकार ने स्वीकार किया है । आज हेरा फेरी और तबादलों की राजनीति चल रही है, इससे जनता परेशान है । इस प्रकार की व्यवस्था को आप बदलें । केन्द्र सरकार में अगर कोई चाहे तो हिन्दुस्तान की प्रशासन व्यवस्था को बदल सकता था । जो मैकाले की प्रशासन की व्यवस्था थी, उसमें बहुत बुराइयां थीं । हमें आशा थी कि जनता पार्टी उन बुराइयों को मिटाएगी लेकिन निराशा हुई । जनता पार्टी की सरकार प्रशासन में कोई सुधार नहीं लाई । कांग्रेसी शासन में यह देखा, जनता पार्टी के हर सदस्य की जबान पर यह बात है । जनता पार्टी में भी सभी प्रकार के लोग हैं । लेकिन कांग्रेस पर उसकी असफलता देखने के बाद तरह तरह के लांछन लगाये जा रहे हैं । प्रशासन के स्वरूप की जो भी व्यवस्था है, उसमें आज राजनीति चलाना चाह रहे हैं । इस कारण राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की वही स्थिति है । राजस्थान के पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर चाहे देवीशंकर तिवाड़ी का जमाना हो, चाहे रामचन्द्र चौधरी का जमाना हो जितने भी रिक्रूटमेन्ट हुए वह सब जातिवाद

(श्री शिवचरणसिंह)

के आधार पर हुए। जिस जाति का चेयरमैन रहा उसने उसी जाति के लोगों का सलेक्शन किया। जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद मुझे यह आशा थी कि इस सारी व्यवस्था को बदला जायगा लेकिन आज मन्त्रियों के घरों पर देखें तो जाति वालों की भीड़ मिलेगी। मेरे क्षेत्र में एक ट्रान्सफर हुआ किसी बी. डी ओ. का, वह कांग्रेस के भूतपूर्व मन्त्री का कोई चचाजात भाई है। उसके बाद टाक आये उनका ट्रान्सफर हुआ और उसके बीस दिन बाद एक रामजीलालजी शर्मा पहुंचे। आज आप इस बजट को देखेंगे तो हालांकि ट्रान्सफर्स के लिए कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी हजारों रुपया ट्रान्सफरों के कारण खर्च किया जा रहा है। जिनका ट्रान्सफर करते जा रहे हैं, क्या उनको भत्ता नहीं देना पड़ता? इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरा यह निवेदन है कि आपने जातिवाद के आधार पर ट्रान्सफर किये और पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह की गड़बड़ियां चलीं जाति के आधार पर रिक्रूटमेन्ट किये गये तो आप यह मानकर चलिये कि कोई भी सरकार नहीं टिक सकती।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो अन्त्योदय और भूमि सुधार की स्कीम है, वह एक भुलावा मात्र है। 25 लाख का आपने अन्त्योदय के लिये प्रावधान किया है। हर गांव में से आप पांच फेमिलीज लेंगे, आपने अन्त्योदय के नाम पर आपने जनता को धोखा दिया है। पांच परिवार की बात बिल्कुल धोखा है। पहले भी यह योजना थी कि डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स में और दूसरे जिलों में मार्जिनल फार्मर्स को बैंकों से लोन दिलवा कर रोजगार मुहैय्या कराया जायेगा। उस स्कीम के अन्तर्गत अगर एक आदमी भैंस लेता था तो उसको 25 पर्सेन्ट सब्सिडी दी जाती थी। इसके लिए पहले के बजट में प्रावधान था। 26 डिस्ट्रिक्ट्स में हर गांव में पांच परिवार का अन्त्योदय करने का नारा लगा कर आप वाहवाही लूटना चाहते हो। कोई ठास कार्यक्रम रखिये जनता के सामने। अन्त्योदय के लिये 25 लाख से क्या होगा? यह मुझे आप, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, बतला दीजिये। अगर यह बात सही साबित हो जायेगी तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा। आप उसको बैंक से लोन दिलवायेंगे, या किसी एग्रीकल्चर एजेन्सी से लोन दिलवायेंगे? क्या व्यवस्था करेंगे अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत? आप सत्ता में आने के बाद धोखा मत दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरे दल का समय है।

श्री उपाध्यक्ष : तीस मिनट हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें से बारह मिनट हमारे दल के हो गये।

श्री शिवचरणसिंह : मेरे दल का समय है, मेरे साथियों की सहानुभूति है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तीस मिनट में निर्दलीय और प्रगतिशील दोनों का टाइम है।

श्री सभापति : पांच मिनट और।

श्री प्रद्युम्नसिंह : दस मिनट दीजिये।

श्री शिवचरण सिंह : भूमि सुधार के जो इन्चार्ज मन्त्री हैं, वित्त मन्त्री जी, वह यहां विराजमान हैं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर आप भूमि सुधार करना चाहते हैं तो एक आदमी एक ही काम करे, इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि लालाजी का लड़का दुकानदारी भी कर ले, जमीन भी जोत ले और नौकरी भी कर ले और किसान केवल खेती ही करे। सारा दबाव आप किसान पर डाल रहे हैं। इसलिए वन मेन-वन-जॉब की बात होनी चाहिए। इसके अलावा आप में हिम्मत हो तो लैण्ड फार दी टिलर होनी चाहिए। लैण्ड फार अदर पीपुल नहीं होगी, इस बात की आज घोषणा कीजिये कि जो हाथ से जमीन जोतेगा उसी की जमीन होगी। अगर आप इस प्रकार की घोषणा करेंगे तो मैं मानूंगा कि भूमि सुधार के मामले में आप कोई प्रोग्रेसिव कदम उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिये व्यवधान नहीं डालें।

श्री शिवचरणसिंह : मेरे पास जमीन है और मैं जोतता हूं जिस दिन हिम्मत नहीं होगी उस दिन जमीन छोड़ दूंगा। जब तक हिम्मत होगी जोतता रहूंगा।

तीसरी बात, सभापति महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में है। माननीय सभापति जी, शिक्षा के मामले मे मेरा निवेदन है कि हम गांवों के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर करना चाहते हैं। आज गांवों में साक्षरता की जरूरत है लेकिन गांव में शिक्षा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। गांवों के अन्दर स्कूलों का अभाव है। राजस्थान के गांव जगह-जगह बिखरे हुए हैं, सारी सुविधायें आप शहरों के अन्दर दे रहे हैं और गांव वालों को कहते हैं कि आठ लाख लाओ, दस लाख लाओ तो स्कूल खोलेंगे। गांवों के अन्दर आज एडल्ट एज्यूकेशन की जरूरत है, गांवों के लोग आज अच्छे किसान बनें इस बात की जरूरत है। शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का और अपनी योग्यता का आदान-प्रदान कर सकें, इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसका कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्राइमरी स्कूलों का अधिक प्रावधान होना चाहिए।

दूसरी बात स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री श्री राजन रायण ने कहा है कि देश भर में ऐसी योजना बनाई जा रही है जिससे हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सकेगा। लेकिन एक तरफ आप शहरों मे तो एम.एस. और एम. डी. लगाते हो, और गांवों के अन्दर अन-ट्रेन्ड आदमियों को भेजते हो। मैं आपको चेलेन्ज करता हूं, आप मुझे कन्विन्स कर दें गांवों में क्या कोई जरूरत नहीं है ट्रेन्ड आदमियों की ? शर्म नहीं आती। यह सब स्वार्थ की बात करते हैं। यह घोर अन्याय है गांवों के साथ।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि तेलों की निकासी नहीं होनी चाहिए। मैं उसका स्वागत करता हूं। यदि इनकी निकासी बन्द कर दें तो क्या यह सम्भव है कि राजस्थान की जनता को तेल और दाल सस्ती मिलेगी ? तो मेरे ख्याल से 8 दिन पहले कहने के पश्चात् भी आज तक केन्द्रीय सरकार ने कोई बात

(श्री शिवचरणसिंह)
चीज नहीं की। व्यापारियों ने मिलकर तमाम दाल और तेल को निकाल दिया पंजाब में। इतना महत्वपूर्ण मसला आने के बाद भी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत थोड़ा बोलूंगा।

श्री सभापति : बजट की बातों को क्यों दोहराते हो?

श्री शिवचरणसिंह : उन पर अमल नहीं हुआ इसलिए

श्री शिवचरणसिंह : आपने किसान की बात कही लेकिन उनके बोनस की बात नहीं कही। केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं। क्या आप किसान को मारना चाहते हैं? एक भी शब्द इन्सेंटिव बोनस के बारे में नहीं है। खरीफ की फसल आ रही है उसके लिये किसान को क्या मदद करना चाहते हैं? कुछ नहीं।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि किस तरह से आपकी आमदनी बढ़ सकती थी। बंगाल में जिस तरह से प्रोफेशनल टैक्स है, आप भी पेशा करने वालों पर टैक्स लगायें। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कोई योजना बनायें स्टेट लेवल पर। केन्द्रीय सरकार का जो सांगानेर का प्रोजेक्ट है, वह उनसे लेने की कोशिश करें। सांगानेर और दूसरे भारत सरकार के जो नमक उत्पादन केन्द्र हैं उनको लें, पत्थर की खानों का राष्ट्रीयकरण करें। सेल्स टैक्स लास्ट पाइंट पर आप लें। इन सबसे 7 करोड़ की आमदनी हो सकती है। यदि मैं अनफिट हूं तो आप कहिए। लेकिन पूछिए तो यही

कई माननीय सदस्य : आप तो अनफिट हो चुके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री शिवचरणसिंह : मैं फिट हूं या अनफिट हूं, सरकार करके ता देखे।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : सभापति महोदय सर्वप्रथम मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने सट्टा और शराब की अर्थ व्यवस्था से डेविएट होकर स्वस्थ अर्थ नीति का दिशा निर्देश दिया है। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा, लॉटरी बंद होने से बेकारी फैली है। उस घोषणा की आलोचना भी की गई। मेरा निवेदन है कि केवल इस कारण से कि किसी देश में या राज्य में सट्टा नहीं चलाया जा सकता या जुआ का धंधा नहीं किया जा सकता, कुछ लोगों का रोजगार बंद हो जाता है, तो उस पर सोचा जा सकता है। मेरा निवेदन है कि यहां पर यह भी कहा गया कि अन्य राज्यों में लॉटरी है वहां के टिकिट यहां बिकेंगे और जुआ उसी तरह से चलता रहेगा। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि महाराष्ट्र की तरह यहां भी कानून बनाया जा सकता है और उसके अनुसार दूसरे राज्यों की लॉटरी बिक सकती है। इससे आप यहां लॉटरी बंद होने से उत्पन्न बेकारी को दूर कर सकते हैं साथ ही राज्यों की लॉटरी, जो इस राज्य में बिकती है, पर राज्य सरकार कानून बनाकर कुछ टैक्स लगा सकती है। इससे हमारे राज्य को आमदनी भी हो सकती है और साथ में जो यहां की

Page No 96

(101)

(श्री बंशीलाल सारस्वत)
लॉटरी बंद होने से बेरोजगार

(3 26म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)
होते हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध हो सकता है ।

अभी विरोधी पक्ष के सदस्यों ने बताया कि 20 सूत्री कार्यक्रम बढ़िया था । देश में आन्दोलन और बगावत का वातावरण है, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों चाहे मजदूर हों उनमें असंतोष है । ऐसे हालात देश और राज्य में पैदा हुए हैं कि शांति व व्यवस्था में गड़बड़ हुई है । इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र इससे डेमोक्रेसी या सब्स्टीट्यूट कभी इमर्जेंसी नहीं हो सकती । उस आधार पर यह दुहाई दी जाए कि शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था बिगड़ी है, तो इसे सही नहीं कहा जा सकता । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1975 से जो रिपोर्ट्स और मुकदमें दर्ज हुए हैं उनको देखा जाए तो जाहिर होगा कि 1974 के जो आंकड़े हैं, उनके और 1975 व 1976 के आंकड़े में केवल 5 प्रतिशत का फर्क पड़ता है, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा है । आज भी यदि आंकड़ों को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कोई लंबा चौड़ा फर्क नजर नहीं आएगा । भोग और विलास की जो अर्थ व्यवस्था है उससे दूर होकर नई अर्थ व्यवस्था में जो मजदूर हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पर कर लगाना उचित नहीं होगा । माननीय सदस्य सुझाव दे रहे थे कि मैं 7, 8 या 10 करोड़ के कर लगाने में समर्थ हूं, ऐसे सुझाव दे सकता हूं जिससे अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अर्थ व्यवस्था वह अच्छी नहीं है जिसमें अधिक लोगों पर कर लगाया जाए । वह अर्थ व्यवस्था अच्छी है जिसमें सीमित साधनों के होते हुए भी अच्छी व्यवस्था की जाए और अधिक से अधिक लाभ मिले । जो भोग विलास के साधनों पर, दफ्तरों में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पर, डनलप के गद्दों पर और दूसरी चीजों पर लम्बा चौड़ा खर्च किया जा रहा है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए । बड़े बड़े अधिकारियों को लम्बे चौड़े बंगले दिए गए हैं आवास के लिए, उनमें भी कमी की जानी चाहिए । ट्रैवलिंग खर्च और जो दूसरे खर्चे होते हैं उनमें भी कमी की जानी चाहिये । जो बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है केवल अपरिहार्य स्थानों को छोड़कर बाकी जगह कम किये जाने चाहिए । इससे खर्चे में बहुत कुछ कटौती की जा सकती है और अर्थ-व्यवस्था ठीक की जा सकती है ।

यहां भवन कर का जिक्र किया गया । वित्त मंत्री ने शृंखलाबद्ध तरीके से कर प्रस्तावित किया है । मेरा निवेदन है कि आज की जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो रिटर्न्स दिए गए हैं उनके आधार पर 3 लाख या 2 लाख की प्रापर्टी है, उस भवन के मालिक ने जिस सीमा तक रिटर्न दिया हुआ है केवल उसके अनुसार अधिकारी कर की रकम वसूल करता है । जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं उनका सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर के अतिरिक्त कोई वेल्यूएशन नहीं कर सकता । इस कारण केवल 5 परसेंट बड़े बड़े मालिकों की प्रॉपर्टी का वेल्यूएशन हुआ है और बहुत कम रकम जमा हो रही है । चाहे

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

मौजूदा वेल्यूएशन के आधार पर या मौजूदा व्यवस्था को परिवर्तित किया जाकर बिल्डिंगों का वेल्यूएशन किया जाना चाहिए और उसके आधार पर रकम ली जानी चाहिए, अन्यथा यह जो व्यवस्था की है असिस्टेंट इन्जीनियर और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की यह बन्द की जाकर इन्कम टैक्स के रिटर्न के आधार पर वेल्यूएशन का जो प्रावधान रखा गया है, उसके अनुसार वसूल किया जाय तो अच्छी राशि मिलेगी और सही रकम मिलेगी।

मैं एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अन्त्योदय की योजना के बारे में कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह योजना केवल दिखावा मात्र है, केवल जंजाल है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अन्त्योदय का जो योजना हमारी जनता पार्टी की सरकार ने निकाली है यह गरीबों को ऊपर उठाने की दिशा में कम से कम एक पहला कदम है। मैं समझता हूं कि इससे जरूर गरीब लोगों का भला होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन तक जो भूमिहीनों को जमीन अलॉट की गई है वह जमीन सही मायने में गरीब लोगों को अलॉट नहीं की गई। इसमें कई ऐसे लोगों को जमीनें मिल गईं जिन्होंने या तो अपना पहले की जमीन बेच दी और भूमिहीन बन गए या जिन्होंने अपनी ही जमीन में से दस बीघा तो अपने पास रख ली, बाकी जमीन अपने बच्चों के नाम करवा दी। मेरा निवेदन है कि सही मायने में भूमिहीन लोगों को जमीन मिली ही नहीं है। अब इस अभियान में, जो कि हम चला रहे हैं, जनप्रतिनिधि मौके पर साथ होगा। वह देखेगा कि जिसको जमीन दी जा रही है वह भूमिहीन है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, विगत में भी पिछली सरकार ने इस बारे में प्रयास किया था कि भूमिहीनों को जमीन दिलाई जाय, कुछ अलॉटमेंट किए भी थे लेकिन वह अभियान कांग्रेस सरकार का सफल नहीं हो पाया था। अब मौजूदा व्यवस्था के अन्दर जन प्रतिनिधि उनके साथ होगा। वह देखेगा कि किसी व्यक्ति को जमीन मिलनी चाहिये या नहीं। दूसरे, यह भी देखेगा कि इस व्यक्ति को बैंक से मदद मिलना चाहिये या नहीं। तमाम बातें देखकर जो भी सहूलियत देनी चाहिये वह दी जायेगी। इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करके इस योजना की क्रियान्विति की जायेगी जिससे मैं समझता हूं कि हमारे यहां के कमजोर वर्ग के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आज हमारे यहां पर जितने भी राजकीय उपक्रम हैं, जितने भी कार्पोरेशन हैं उन सभी में हम लोगों को घाटे की व्यवस्था ही दिखाई देती है। चाहे आप राजस्थान स्टेट रोडवेज ले लो, चाहे आप गंगानगर शुगर मिल ले लो चाहे आप राजस्थान इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल कार्पोरेशन ले लो सभी में आप घाटा ही घाटा सुनेंगे। मुझे दुःख इस बात का हो रहा है कि सरकार आज करोड़ों रुपये खर्च करके इन निगमों को बनाती है पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसके अन्दर

Page No 98

(103)

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

एक्सपर्ट्स को बैठाकर देखें कि किस प्रकार से इस घाटे की अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप वहां पर ऐसे अधिकारियों को ही रखें जो कि उन नियमों का फायदा पहुंचा सकें। आप वहां पर ऐसे एक्सपर्ट्स को रखिये जो कि इस बात की जांच करें कि निगमों में किस प्रकार की व्यवस्था की जाये जिससे कि वहां जो घाटे की अर्थ व्यवस्था आज वर्षों से चली आ रही है वह समाप्त की जाए। इसके साथ साथ मैं यह भी सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि उनके लिए एक कमेटी एक्सपर्ट्स की बैठायें जो कि जांच करे कि उनमें कहां कहां खामियां या गड़बड़ियां हैं और उन्हें किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। वह खामियां दूर की जाकर इन कार्पोरेशन्स की आमदनी बढ़ाने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंगसिंह !

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्षजी, वित्त मन्त्री जी समाजवादी विचार के हैं इसलिये इन्होंने जो बजट पेश किया है वह बजट पिछली कांग्रेस की सरकार के बजट से अच्छा पेश किया है। उपाध्यक्षजी, मुझे राजस्थान में खेती के बारे में दो बातें कहनी हैं। हमारे राजस्थान की जो जनता है उसमें 80 फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन हमारे यहां के काश्तकारों को जो खेती में आमदनी होनी चाहिये वह आमदनी नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह से खेती में सुधार किये जायं इसके बारे में कांग्रेस की सरकार ने भी कुछ योजनायें शुरू की थीं पर वह योजनायें सफल नहीं हो सकीं। खेती के अन्दर जो विकास होना चाहिये और काश्तकार को जितनी राहत मिलनी चाहिये उतनी राहत आज तक काश्तकार को नहीं मिल सकी। उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बिजली का ही उदाहरण दूं, हमारे यहां पर राजस्थान में बिजली की बहुत भारी समस्या काश्तकारों के सामने है। आये दिन काश्तकारों के ट्रान्समीटर्स खराब होते रहते हैं। बिजली की दरों के बारे में, बिजली के मामलों में काश्तकारों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिये, उपाध्यक्ष जी, अगर समय रहते काश्तकारों की इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं आपको चेतावनी के रूप में स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आपको किसानों के आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष जी, यह कहां का न्याय है कि आप काश्तकारों को तो 21 पैसे यूनिट से बिजली देते हैं और औद्योगिक फैक्ट्रीज को पांच पैसे यूनिट से बिजली देते हैं। आज रेगिस्तानी इलाके में बिजली बहुत मंहगी पड़ती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जिन लोगों ने अपने कुओं पर पम्पिंग सेट लगाये थे वह बिलकुल फायदा नहीं दे रहे हैं। इस कारण पम्पिंग सेट महंगा पड़ने के कारण कई जगह पर उन्होंने पम्पिंग सेट बन्द कर दिये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, आपको चाहिये कि आप जिस तरह औद्योगिक फैक्ट्रीज में पांच पैसे प्रति यूनिट बिजली देते हैं उसी तरह काश्तकारों को भी आप पांच पैसे यूनिट बिजली देने की व्यवस्था करें।

(श्री नथरमसिंह)

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज स्टूडेन्ट्स में बहुत भारी असन्तोष है, हमारे यहां शिक्षित वर्ग है उसमें बेरोजगारी की वजह से बहुत असंतोष है। स्टूडेन्ट्स के आन्दोलनों की वजह से इन्दिरा गान्धी को इमर्जेंसी लगानी पड़ी थी। आज आप राजस्थान का कोई भी क्षेत्र देख लें, स्टूडेन्ट्स में झगड़े हो रहे हैं और उनमें भारी असन्तोष भी है। आज, उपाध्यक्षजी, झुंझुनू, सीकर अजमेर जिले में छात्रों के अन्दर भारी असन्तोष चल रहा है। वातावरण बहुत ही खराब हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर गृह मंत्रीजी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो बहुत भारी विकट समस्या का रूप यह असन्तोष धारण करने वाला है। इसलिये मेरा गृह मंत्रीजी से यह निवेदन है कि वह इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। अभी मेरे पास अजमेर के छात्र आये थे - उन्होंने कहा कि उनके साथ छात्रों ने बहुत ही अशोभनीय कार्य किया है। मैं गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर में जो घटनायें हुई हैं उनके सम्बन्ध में तत्काल ही अपने स्तर पर कार्यवाही करें।

इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा चित्तौड़ में जो सैनिक स्कूल है उसके जो प्रिन्सिपल महोदय हैं उनका छात्रों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव है। वहां के दो छात्रों ने इससे दुखी हो कर आत्महत्या तक कर ली है, एक तो हमारे झुन्झुनू जिले का राजपाल नाम का लड़का था उसने आत्महत्या कर ली है। इसलिए मेरा गृह मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि आप इन प्रिन्सिपल साहब के खिलाफ उचित कार्यवाही करावें। राजपाल ने आत्महत्या क्यों की, इसके लिए गृह मंत्री जी जांच करा कर उचित कार्यवाही करें।

इसके अलावा थोड़ा मैं पंचायती राज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्षजी, पंचायती राज के बारे में तो सिर्फ दो शब्द ही निवेदन करने हैं। उपाध्यक्ष जी, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ हमारे देश मे सबसे पहले राजस्थान में ही हुआ था लेकिन पिछले कार्यकाल में पंचायती राज का जो इतिहास रहा है उससे यह साबित हो गया है कि पंचायती राज हमारे यहां असफल रहा है। चाहे कोई व्यवस्था की कमी रही हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था की कमी रही हो, चाहे और कोई कारण हो हमारे यहां पंचायती राज असफल रहा है। हमारे राजस्थान में पंचायती राज के अन्तर्गत शायद ही ऐसा कोई सरपंच रहा होगा जिसके खिलाफ में कोई चार्ज लगा कर मामला नहीं चल रहा है। आज सरपंचों के खिलाफ में जो केसेज चल रहे हैं उसका कारण है कि सरपंचों को किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता है। उनके पास साधन नहीं होने के कारण पैसे खर्च हो जाते हैं। इस कारण उन पर केसेज चलते हैं। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि सरपन्चों को मासिक भत्ता देने की व्यवस्था करें।

इसके अलावा थोड़ा मैं सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनमें भयंकर रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमारे राजस्थान की कोआँपरेटिव सोसायटीज पर बड़े

(श्री नवरंगसिंह)
बड़े प्रभावशाली लोगों ने और बड़े बड़े राजनेताओं ने कब्जा कर रखा है। जब तक इन लोगों का वहां से नहीं हटाया जायेगा तब तक हमारा जो कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट है वह आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हमारे झुन्झुनू जिले में पर्याप्त लोगों को लोन नहीं मिल रहा है इससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है।

इसके अलावा आज महंगाई की समस्या भयंकर रूप से सुरसा के रूप में बढ़ रही है। महंगाई की समस्या भयंकर रूप से सरकार के सामने खड़ी हो गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इसकी ओर ध्यान दे। इसके अलावा आज कालाबाजारी वापस जोर पकड़ रही है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस कालाबाजारी को रोकने के लिये तुरन्त कार्यवाही करे, इस पर प्रतिबन्ध लगाये, साथ ही ऐसे उपाय करे जिससे कि महंगाई कम हो सके। आज जो व्यापारी लोग मनमानी कर रहे हैं......

श्री मूलचन्द डागा : व्यापारियों को कौन प्रोत्साहन दे रहा है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : डागाजी !

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष जी, यह बेकारी की समस्या थी और महंगाई की समस्या थी जिसके कारण इन्दिरा गान्धी ने आपातकाल की घोषणा की थी। मेरा निवेदन है, सरकार को चाहिए कि शिक्षित बेरोजगारों की बेकारी को दूर करने के लिए इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट और कृषि के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दे।

अन्त में मैं कुछ वरिष्ठ अध्यापकों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सन 1959 में जो वेतनमान थे वे ही वेतनमान आज भी इन लोगों के हैं जब कि कॉलेज के प्रवक्ताओं के वेतनमान बढ़ा दिए गए हैं। माननीय शिक्षा मन्त्री जी स्वयं शिक्षक रहे हैं, वे जान सकते हैं इस बात को। इसलिए वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान को संशोधित करना चाहिये।

प्राइवेट संस्थाओं में अध्यापकों का शोषण होता है साथ ही अनाप-शनाप फीस ली जाती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि प्राइवेट संस्थाओं के लिए अलग से विधान सभा में बिल पेश किया जाय और पूर्ण रूप से इन पर नियन्त्रण किया जाय। ग्रान्ट-इन-एड के द्वारा ये संस्थायें चलती हैं। इसके लिए कानून नहीं है, ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स बने हुए हैं। जब तक ये रूल्स विधान सभा से पारित न हो जायं उचित नहीं माने जा सकते।

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक संतुलित बजट पेश किया है।

श्री मूलचन्द डागा : संतुलित कैसे कह रहे हैं ? घाटे का तो पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नूराजी !

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे सामने अभी आया है उसमें अकाल के लिये सही रूप में जितना पैसा रखा जाना चाहिये उतना पैसा नहीं रखा गया है। जब तक अकाल का राजस्थान से खात्मा नहीं होगा, तब तक गांवों में बसने वाले लोग, जो ज्यादातर खेती पर निर्भर हैं, खेती का विकास नहीं कर सकते

(श्री भूरा)

खेती उनका खास धन्धा है। खेती के लिए पानी चाहिये। पानी के बिना खेती का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए अकाल के हल के लिए ज्यादा पैसा रखा जाय। अकाल को खत्म करने की योजना के साथ ही अन्त्योदय योजना भी जुड़ जाय और अकाल का खात्मा कर दिया जाय तो राजस्थान के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती।

मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए कोई खास बात नहीं कही गयी है। मजदूरों में चारों तरफ असंतोष बढ़ रहा है। स्कूल के छात्रों में असंतोष बढ़ रहा है। गांवों में दो तीन महीने में कोई परिवर्तन नहीं दिखायी दे रहा है और न ही अभी कोई परिवर्तन होने वाला है। जयपुर खास का विषय मैं आपके सामने रखूं। जयपुर मेटल वर्क्स कारखाना है उसमें 7 महीने से लोगों को पैसा नहीं मिला है। मजदूर कारखाने में मजदूरी करने जायं और 7 महीने तक उनको पैसा न मिले फिर भी सरकार का ध्यान न जाय तो मजदूर के लिये सोचने और कहने की आवश्यकता है। मजदूरों की तरफ सरकार का ध्यान न जाय, यह बात कहां तक अच्छी हो सकती है। यह बात जरूर है कि उन मजदूरों ने कुछ मांगें सामने रखीं उनमें से कुछ को मान कर मन्त्री जी ने कुछ लाभ पहुंचाया, उन्हें फायदा मिला यह सराहनीय काम है लेकिन छोटे कारखानों में काम करने वाले मजदूर मजदूरी के लिये जायें और उनको मजदूरी न मिले, तो जरूरत इस बात की है कि मजदूरों के लिये खास बात कही जानी चाहिये लेकिन वह नहीं कही गयी।

गांव में शिक्षा के जरिये बच्चों को पांचवी तक मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिये थी, किताबें मुफ्त मुहैय्या की जानी चाहिये थीं जिससे गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलती। लेकिन बजट में इसके लिए प्रावधान नहीं है। क्या गरीब के बच्चों को हमेशा अंगूठा छाप रखेंगे ? छोटी छोटी नौकरियों पर निर्भर रह कर गुजारा करने को बाध्य करेंगे ? इसलिये विकास की बात करते हैं तो गांव के बच्चों की समझ बढ़ाना और ज्ञान बढाना जरूरी है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और बाकी किसी भी तबके के गरीब आदमी हों, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात नहीं करेंगे तो गरीब के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिये बजट में प्रावधान करना पड़ेगा, जब तक मजदूर और गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक वे पढ़ नहीं सकते। ज्यादातर गांवों में अनपढ़ लोग रहते हैं उनके बच्चों का अनपढ़ की लाइन में खड़ा किया जाय तो खेती से जो पैसा कमाना चाहता है, वह अनाज बाजार में लायेगा तो उसका हिसाब नहीं लगा सकता, हिसाब समझ नहीं सकता। तो यह बहुत बड़ी कमी है। जब तक यह कमी रहेगी तब तक गांव का विकास असंभव है। इसलिये मेरा निवेदन है कि बजट में परिवर्तन करके गरीबों के बच्चों की शिक्षा के लिये कुछ प्रावधान करना चाहिये।

अकाल का खात्मा राजस्थान से हो जावेगा तो राजस्थान में बहुत बड़ा काम हो जावेगा और राजस्थान सुखी हो जावेगा। वरना गांवों में बैठा हुआ तबका दबा रहेगा। इसलिये ठोस योजना सामने आनी चाहिये। ऐसी योजना लाये बिना गरीब वर्ग का भला नहीं हो सकता है।

Page No 102

(107)

श्री उपाध्यक्ष : श्री आलम अलीजी।

श्री आलम अली फतेहपुर) : उपाध्यक्षजी, बजट आयो, यो बजट जिसो आयो, 30 साल हिन्दुस्तान आज द हुग हो गया यो पहलो बजट है जी मां गरीबां के वास्ते कुछ सोचो गयो है। सम्माननीय उपाध्यक्षजी, मूं सम्माननीय सदस्यां ने यह बात बताऊं कि थां जो मिनिस्टर हा वा ढेर सारा अमला ने भर मोटरां में ले जाता हा, और जनता पार्टी का मिनिस्टर है वह एकला आपकी गाड़ी में आवे और जावे है

श्री मूलचन्द डागा : समझ में आयी नहीं बात। जिस भाषा में बोल र : वह भाषा ही समझ मे नहीं आ रही है।

श्री आलम अली : बात आपरी समझ में नहीं आ गी आ जानी चाहिये। डागाजी वह बात मू गया।

सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, बजट में जो व्यवस्था की गयी है अर व व्यवस्था में गरीबां पर सूं टैक्स उठायो काश्तकारों पर सूं टैक्स उठायो है, पुरानी सरकार ने जिका टैक्स लगाया वाने उठायो है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किस्यो उठायो ?

श्री आलम अली : थारों जीव जाणे है। कोई सदस्य हो, मूं एकलो काफी हूं या सदस्यां के वास्ते।

माननीय उपाध्यक्षजी, जां की बात गड़बड़ी की है 30 साल मां, सम्माननीय सदस्यो ज का वी लाइन में बैठा है कीनी वा मूं, भुगत रह्यो हूं। बातां कही जाय वे वां के आज कस्यां समझ में आयी। फटको आच्यां बाद आयी। चीजां की खरीद फरोख्त करवा में मां को हाथ रह्यो है। माननीय उपाध्यक्षजी आप हमेशा देख्यो कि विदेश्यां मां हिन्दुस्तान की ज की कीमत ही वा 30 बर्षा में गिरी। आदमी की कीमत खत्म न करो। आदमी की कीमत होनी चाहिये।

चुनाव हुया अर चुनाव मां कांग्रेस नहीं जीती। लोगां ने पकड़ पकड़ आप ले गया। मूं या बात नहीं कहणों चाहूं लेकिन आप जोरा मर्दी सुणनो चाहो तो कहनी पड़ी या बात।

श्री सम्पत राम (मुख्य संचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों से अपने नाम वापस लेने की तिथि 28 सितम्बर, 1977 नियत की गयी थी, नामों के वापस लेने का समय आजी 4 बजे तक है। मेरा प्रस्ताव है कि…

श्रीमती सुमित्रा : मामला उलझ गया क्या ?

समिति का गठन नाम वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम : नाम वापस लेने का समय कल दिनांक 29 सितम्बर, 1977 के अपरान्ह 1 बजे तक बढ़ा दिया जाये। इन वित्तीय समितियों का निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो 30 सितम्बर, 1977 को करा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में मैं विचार करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी में कई घटक लड़ रहे हैं क्या ?

(विराम)

समय बढ़ना तो नहीं चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बारे में अपनी व्यवस्था दूं तब तक माननीय सदस्य अपना भाषण पूरा करें।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था 4 बजे के पहले-पहले ही दे दें क्योंकि उसके बाद फिर वित्त मंत्री जी का उत्तर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया अपना भाषण उसके पूर्व ही समाप्त कर देंगे मुझे आशा है।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977 पर विचार

श्री आलम अली खां : उपाध्यक्ष जी, राजस्थानी अर मारवाड़ी में बोलण वालो मूं एक-ही हूं ई वास्ते मने विशेष टाइम देने का ख्याल रखें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, म्हारा देश में जकी बात हैं इसी बात दूसरा मुल्क में न मिल सके। म्हारो मतलब यो है कि जितनो जोर आपने अठे खेती पर है उतनो किसी भी मुल्क में नहीं है। आपणा मुल्क मां खेती अर पशुपालन को काम होवे है ई वास्ते जब तक जोर खेती पर नहीं दियो जायेलो तब तक कोई व्यवस्था सही नहीं हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेती एक इसी चीज है कि जिस सूं हर आदमी ने फायदो मिले है। खेती नही हो तो चाहे इन्डस्ट्री कितनी ही बढ़ाओ खाली इन्डस्ट्री सूं इन्सान को पेट नहीं भर सके। ई वास्ते काश्तकारां के लिए जितनी भी बाता इस बजट में अब की बार अच्छे ढंग सूं रखी गई है उतनी शायद कभी नहीं रखी गई।

अब आगे में आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करणो चाहूं कि गांवों के लिए गांवों में बिजली देनी बहुत जरूरी है। खेती में बिजली और पानी के लिए 20 हजार रुपयो देनो पड़यो फिर भी पानी की पूर्ति नहीं हुई। आपने शहरां में सभी जगह बिजली दी है, गांवों में। बिजली जल्दी पहुंचे तो अच्छा हो।

माननीय उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं यह कहणो चाहूं हूं कि जो पिछली सरकार रही तीस साल तक वीं थोथा नारा ही दिया। माननीय उपाध्यक्ष जी, नेशनेलाइजेशन की बात भी म्हारे सामने आ रही है। नेशनेलाइजेशन बहुत कम हुयो है। मैं वीं को विरोधी नहीं हूं लेकिन गलत ढंग से करने का भी मैं पक्ष नहीं करूंला। कांग्रेस सरकार जिस तरहां डकैतियां करती रही और डकैतां का जिसा काम किया अर पहले के टाइम मे जिस तरह डाका डाल्या वीं तरह की जनता सरकार कोन तो नीति है अर न जनता सरकार यह बरदाश्त करेगी।

समितियों के गठन तथा वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये। अभी मुख्य सचेतक महोदय ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस प्रस्ताव के बारे मे मैं सदन की राय जानना चाहूंगा।

प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों से नाम वापस लेने का समय कल दिनांक 29-9-1977 को अपराह्न 1 बजे तक बढ़ा दिया जाये और इन वित्तीय समितियों का निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो 30 सितम्बर, 1977 को करा दिया जाये ?

(ध्वनि मत से स्वीकृत)

श्री मूलचन्द डागा : I claim divis- aion on this point.

श्री रतनलाल वर्मा : कहां 150 सदस्य और कहां अलीबाबा 40 चोर ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सम्बन्धित नियम है उसके अनुसार अगर मैं इस बात पर सन्तुष्ट हो जाता हूं कि कौनसा पक्ष जीता है तो मुझे उसके बारे में व्यवस्था देने का अधिकार होगा । मैं समझता हूं कि जो हां पक्ष में हैं वह बहुमत में है इसलिये मैंने व्यवस्था दी है कि हां पक्ष जीता ।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। दया धर्म का मूल है' ।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री आलमअली खां : उपाध्यक्ष जी, इनके लपट लगी जदी तो बैठ्या है नहीं तो उधर क्यों बैठता या लपट बहुत खराब है अर अभी तो आप लपट लगा रह्या हो वह आपके लिए ही नुकसानदेह है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत से रूटों का नेशनेलाइजेशन हुयो । वा रूटों पर जो चलने वाली बसा हैं वां की हालत को ध्यान नहीं रख्यो जावे है । 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बीच में पक्को रोड का नेशनेलाइजेशन हो गयो अर दूसरी गावों सूं जोड़ने वाला कच्चा रास्ता को बसां ने बन्द कर दियो इसलिए ···

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये । समाप्त कीजिये ।

श्री आलमअली : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बात तो मने कहनी पड़े है। अनपढ हूं

श्री मूलचंद डागा: कालीदास हैं आप ।

श्री आलमअली खां : श्री उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जितने भी हैं, वाने निवेदन करनो चाहूं कि प्रजातंत्र में जब तक तन मन धन परायो नहीं मानो जावे, तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सके । प्रजातंत्र मां कुर्सी छूटे नहीं तो छुड़वादी जावे । जीं तरहा कुर्सी छोड़ भाग्या वीं तरह महल छोडकर भागनो पड़ लो । एक बात और कहनो चाहूं नेताओं का और बड़ा बड़ा अफसरां का नाम लियो गयो है, कोई भी अफसर हिन्दुस्तान के बाहर का नहीं है सब हिन्दुस्तान के अन्दर का हैं । जिन्होंने जो कार्यवाही की है वा सब दोषी हैं या जीनें गलत कार्यवाही करवाई है वा दोषी है । दोषी वा है जीने गलत काम करवायो है । ई वास्ते मूं आपके द्वारा ···

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यह बात कहनी चाहूं हूं कि मूं बार बार लांछन लगानी ठीक नहीं समझूं । सब जाने हैं किसीसूं झगड़ो नहीं है कि भ्रष्टाचार है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शिक्षा के मामले में एक बात और कहणो चाहूं जितना भी स्कूलें हैं छोटा बड़ा स्कूल सब ने बन्द करके बड़ो स्कूल बनायो जायें वो स्कूल गांवसूं पांच मील दूर रहे ताकि सिनेमा का स्कूल के लड़कों पर असर नहीं

(श्री आलमअली)

पढ़े। लड़का और लड़कियां पढ़ाई करें हफ्ते में एक दिन अपने मां बाप से मिल सकें।

श्री मूलचंद डागा : आपके गांव की स्कूल बन्द कराओ।

श्री आलमअली: तो भलो हो सके है। माननीय उपाध्यक्ष जी, जितना भी नौकरी करने वाला है सब रिश्वत लेकर काम नहीं करे। समाज में जितना कार्यकर्त्ता हैं सब में भ्रष्टाचार मिलेगो।

श्री मूलचंद डागा: उधर तो नहीं है?

श्री आलमअली : उधर और इधर की बात नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। अब विश्राम कर लीजिये थोड़ा

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकारां पर टैक्स नहीं लगनो चाहिये। वित्त मन्त्री जी, आपको जो बजट है ई में किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहां, बहुत बढ़िया बजट है। जनता पार्टी के बजट को मूं समर्थन करूं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत 30 सालों में राजस्थान को जैसा यह बजट मिला है इस तरह का कोई बजट नहीं मिला। अन्त्योदय की योजना न केवल राजस्थान के अन्दर से बल्कि देश से गरीबी हटाने का प्रयास है और इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरुआत की है यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। देश के अन्दर गरीबी हटाने की बात तो सही मायने में राजस्थान से शुरू हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश से भ्रष्टाचार मिट गया तो निश्चित रूप से कहता हूं कि गरीबी अपने आप हट जायेगी। उसकी शुरुआत हमारे मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा के रूप में की है कि भ्रष्टाचार हटायेंगे। भ्रष्टाचार कैसे मिटे इसके लिये मैं कुछ सुझाव दूंगा। राजस्व और पुलिस नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार के बहुत बड़े अड्डे हैं। पुलिस से भ्रष्टाचार मिटाने के लिये, राजस्व के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये एक बहुत सरल सुझाव मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। अगर एस. डी. ओ. के साथ विधान सभा का सदस्य मिल कर क्षेत्र के राजस्व के मामलों और समस्याओं को निपटाने लगे तो निश्चित रूप से तहसील में, एस. डी. ओ. कोर्ट में राजस्व के मामले नहीं होंगे। राजस्व के मामले में कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को कहा कि एम. एल. ए. का कहीं जिक्र नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर कहता हूं कि मैं मेरे क्षेत्र में तहसीलदार के साथ, पटवारी के साथ में गया हूं और एक दिन में 150 मामले निपटाये हैं। जो दस साल से तहसील में चल रहे थे वे सारे मामले निपटा दिये। मैं यह बात निश्चित रूप से मानता हूं कि एम. एल. एज. को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। आज एस. डी. ओ. के यहां, तहसीलदार के यहां कलेक्टर के यहां जो रेवेन्यू के मामले हैं उनमें

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

एम. एल. एज. नहीं बोल सकते हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कानून में व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आपके मार्फत कि एस. डी. ओ. को एम. एल. ए. के साथ मिल कर क्षेत्र की समस्या का निपटारा करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एक दिन भी अगर एस. पी., एम. एल. ए. के साथ क्षेत्र में जायें, महीने में केवल एक दिन जायें तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ग्राम वासियों के अन्दर निडरता बढ़ेगी। पुलिस के प्रति जो भय का वातावरण है, काश्तकारों के अन्दर जो भय का वातावरण है पुलिस को लेकर, वह भय का वातावरण मिट जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है वह इससे मिट जाएगा। विधायक क्षेत्र का साथ होगा तो लोग अपनी बात खुल कर कह सकेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गत तीस सालों में ऊपर से भ्रष्टाचार चलता था, एम. एल. ए. और एस. पी. मिले हुए थे। अगर एम. एल. ए. भ्रष्ट होगा तो थानेदार इन्सपेक्टर, डी वाई एस. पी., एस. पी. सब भ्रष्ट हो जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम ईमानदार हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि नीचे से अगर हम भ्रष्टाचार मिटाने में पहल करें तो एक दिन राजस्थान से भ्रष्टाचार मिट सकता है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर एस. पी. एम. एल. ए. के साथ में क्षेत्र में टूर करे तो क्षेत्र की समस्याओं का निपटारा हो सकता है और भ्रष्टाचार भी मिट सकता है।

इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि नगरपालिका क्षेत्र में काश्तकारों की समस्या निपटाने के लिए राजस्थान के अन्दर जिला स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। सारे मामले जयपुर में फैसल होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर रेवेन्यू के मामले जिला स्तर पर निपटाये जायं। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे मांडल क्षेत्र के अन्दर कुछ किसानों के पास एक एक बीघा जमीन है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी हैं, उनके मामले तहसीलदार निपटाना चाहता है, एस. डी. ओ. निपटाना चाहता है लेकिन कानून में व्यवस्था नहीं है इसलिए नहीं निपट सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जिला लेवल पर ही उनके मामले निपट सकें।

इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि केवल कहने से गरीबी नहीं जायेगी। गरीबी मिटाने के लिए अन्त्योदय योजना के अन्दर निश्चित रूप से गरीब परिवारों को लिया जाना चाहिए और लिया जावेगा। हम विधायक इस बात के अन्दर पहल करेंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मेरा सबसे ज्यादा कांकरीट सुझाव लघु सिंचाई योजना के बारे में है। हर क्षेत्र के अन्दर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जो अभी तक नहीं है। पानी होने से पूर्ण रूप से हम

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
जमीनों को सिंचित नहीं कर सकते। हम जो कहते हैं कि हर खेत को पानी देंगे उसके लिए लघु सिंचाई योजना बनाना जरूरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ साथ मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अकाल राहत कार्यों में गत तीस साल से जो बन्दर-बांट हुई है राजनैतिक आधार पर जो भ्रष्टाचार हुए हैं इसके कारण करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी जो कार्य अधूरे हैं, उन अधूरे कार्यों को पूरा कराया जाय तो लघु सिंचाई योजना के जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं वे कार्य पूरे होंगे और लाखों करोड़ों रुपया जो उनमें नष्ट हुआ है उस सारे पैसे का उपयोग होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधूरे कार्य हैं, लघु सिंचाई योजना के अधूरे कार्य हैं उनको पहले पूरा कराया जाय।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली आज इतनी आवश्यक है कि हर व्यक्ति की यह मांग है कि प्रत्येक गांव तक पहुंचाई जाय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चाहे किसी बैंक से कर्जा लें, वर्ल्ड बैंक से लें, कॉमर्शियल बैंक से लें लेकिन प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके साथ ही जो अभी राजस्व अभियान चलाया जा रहे हैं यह राजस्थान का एक ऐसा कदम होगा जो सारे देश के लिए देखने की बात होगी। बन्धुओ, मैं आपके माध्यम से सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस अन्त्योदय योजना से गरीबी मिटाने का प्रयास किया जा रहा है (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टा) इस योजना को हर हालत में सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक महीने के अन्दर हजारों मामले इससे निपट सकेंगे। गांवों में ही तमाम मामलों का फैसला कर दिया जाय तो एक महीने के बाद ही अदालतें खाली हो जायेंगी। एस. डी. ओ. कोर्ट खाली हो जायेंगी। कलेक्टरी, रेवेन्यू ऑफिस और तहसीलों में मामले खत्म हो जायेंगे। हम एक नई दिशा दें जिससे लोगों को मालूम होगा कि जो लोगों को इन्साफ देना चाहते हैं, सस्ता न्याय सुलभ कराना चाहते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं अन्त में यह निवेदन कर रहा हूं—

श्री उपाध्यक्ष: मैंने आपको कहा ना कि आप बिराजिये। सवा चार बजे रिप्लाई होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने पहले भी बजट भाषण की बहस के समय कहा था कि डेयरी की स्कीम हर गांव और घर तक पहुंचाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री मादित्येंद्र (वित्त मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक, सन् 1977 पर चार घण्टे से विचार हो रहा है। सदन के कई माननीय सदस्यों ने बहुत ही उपयोगी और महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, इस बात की मुझे प्रसन्नता है परन्तु साथ में इस बात का खेद भी है कि कई माननीय सदस्यों ने केवल विरोध के लिए ही विरोध किया है और जो आलोचना की है उसमें कटुता है और केवल राजनैतिक प्रचार है। जहां तक बजट का सवाल है उसका सभी ने स्वागत किया है। सभी ने उसको ठीक बताया है। वैसे कोई चीज पूर्ण नहीं होती कमियां उसमें स्वाभाविक हैं। इसलिए इस बजट में भी काफी कमियां हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह बजट बीच में बनाया गया है। लगभग छः महीने हो गए हैं। तो कोई ज्यादा मौलिकता इस बजट में आना एक प्रकार से सम्भव नहीं था लेकिन जो कुछ भी बजट में रखा गया है वह ऐसा है जिसमें कुछ मौलिकता है।

यह अन्त्योदय की योजना ऐसी है जो एक मौलिक विचार है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से जो अभी तक तीस वर्ष बीते हैं इन वर्षों में इसकी ओर कोई ध्यान नहीं गया। यह अन्त्योदय की योजना है, जैसे और योजनाएं होती हैं उसी प्रकार की नहीं है बल्कि यह योजना एक प्रकार से वैचारिक क्रांति की है। इस योजना को अगर सच्चाई और ईमानदारी से क्रियान्वित किया जावे तो यह योजना जो कुछ भी हम चाहते हैं उसको पूरा कर सकती है, देश की काया पलट कर सकती है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके बारे में सन्देह प्रगट किया है। किसी किसी ने तो यहां तक कहा है कि यह योजना भ्रमपूर्ण है, इसमें जंजाल है, यह कभी पूरी हो नहीं सकती, असम्भव है जब कि मैं यह कहता हूं कि यह योजना ऐसी है कि जो वास्तव में एक मोड़ देने वाली योजना है।

माननीय सदस्यों को शायद स्मरण होगा कि मैंने वित्त मन्त्री की तरह से जो भाषण दिया था उसमें मैंने कुछ शब्द कहे थे। उन शब्दों को फिर दोहराना चाहता हूं। वह इस प्रकार से हैं :—

"बेरोजगारी और गरीबी से ग्रसित इस राजस्थान को हमने श्रमबहुल, विकेन्द्रित, गांधीवादी, ग्रामोन्मुखी अर्थव्यवस्था देने का संकल्प किया है। यह वास्तव में कठिन मोड़ है और इसका लक्ष्य भी दुर्गम है। इसका मार्ग दुस्तर और चुनौतीपूर्ण है। परन्तु हमें विश्वास है कि जनता के सहयोग एवं परिश्रम के बल पर हम इसे निकट भविष्य में ही प्राप्त करने में सक्षम होंगे।"

तो ये शब्द सभी एक तरह से चुने हुए शब्द हैं। व्यवस्था में जो कुछ भी हम मोड़ देना चाहते हैं वह गांधीवादी व्यवस्था के आधार पर देना चाहते हैं। वह ग्रामोन्मुखी हो, विकेन्द्रित हो और श्रमबहुल हो। अभी तक जो व्यवस्था हमारे देश में रही है, न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के लगभग समस्त देशों में रही है वह व्यवस्था विकेन्द्रित नहीं बल्कि केन्द्रित रही है। श्रम बाहुल्य नहीं मास प्रोडक्शन की रही है। प्रोडक्शन फोर मासेज की नहीं रही है इसी कारण से संसार में असन्तोष है, बेरोजगारी है और समाज में विषमता है।

(श्री आदित्येन्द्र)

कभी कभी सन्देह हो जाता है अच्छे से अच्छे आदमियों को और जिन्होंने अन्त्योदय की योजना रखी है, उन्हें भी। मैं मानता हूं कि इस योजना को सफल सिद्ध करना है तो हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और साथ में जनता का सहयोग लेना पड़ेगा। इस बात का ध्यान दिए बिना यह हमारा विरोधी है, यह हमारा मित्र है; सभी का सहयोग लेना पड़ेगा। सभी को इस काम में जुटाना पड़ेगा। जहां तक 5 निर्धनतम परिवारों के चयन का प्रश्न है एक गांव में, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा गांव हो, केवल कुछ क्राइटेरिया तय करने से ही उनका चयन नहीं हो सकेगा। इतना खर्चा हो, इतनी आमदनी है, या उसके पास कोई जमीन नहीं है, खाली तीन बातों का ध्यान रख करके ही उनका चयन नहीं होगा बल्कि गांव में जो लोग मौजूद हैं, वे सब एक जगह इकट्ठे हों, उनसे यह कहें कि आप सच्चाई और ईमानदारी से यह तय कर दें कि ऐसे आदमी कौन हैं जो सब से निर्धनतम हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है या जिनको खाने को नहीं मिलता है। तो मेरा विश्वास है कि अगर हम सब मिल कर सोचें......

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, बीच में थोड़ा सा व्यवधान कर रहा हूं, तकलीफ दे रहा हूं। इस विषय में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था—चयन तो हो जाएगा परन्तु उन के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो निर्धनतम हैं, वे तो मिल जाएंगे परन्तु उनके लिए स्पेशली आप क्या कर रहे हैं? क्या उनकी लड़कियों की शादी आप करेंगे? क्या उनके बच्चों की एजूकेशन फ्री होगी? लोन ऑन इन्ट्रेस्ट आप दे रहे हैं, उसकी जमानत कैसे होगी? उनके पास घर नहीं है। जायदादें नहीं हैं। ये सब बातें हैं। भूंगड़े की बोरी और गुड़ ले जाकर बांट आएंगे?

श्री आदित्येन्द्र : निर्धनतम परिवारों का चयन करना कोई कठिन बात नहीं है। हम सब लोग मिल कर के उस आदमी का चयन करेंगे...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : चयन तो कर लेंगे परन्तु देंगे क्या?

श्री आदित्येन्द्र : मैं उन्हीं बातों पर आता हूं, जो बातें कहनी चाहिये और बतानी चाहिये और जो मेरे विचार में हैं। हमने पूर्व में भी देखा है और हमारा पूर्व इतिहास बतलाता है कि कभी कभी हमने गरीबों की मदद की है। गरीबों की मदद खाली सरकार से ही नहीं होती है। गरीबों की मदद उन लोगों से भी होती है जो उनके आस पास रहते हैं। मेरा कहना यह है कि एक गांव में सौ परिवार रहते हैं। उन सौ परिवारों में से हम पांच परिवारों का चयन करते हैं तो जो 95 परिवार हैं वे भी उनकी मदद करेंगे। यह भावना सारे गांव में, उन 95 परिवारों में पैदा हो तो हम उन पांच परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा सकेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : जागीरदार भी यही करते थे। हमारे जो नौकर होते थे, उनको हम रोटी कपड़ा देते थे। क्या वह सिस्टम वापस लाया जाएगा?

श्री आदित्येन्द्र : आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले आपने भूदान आन्दोलन को देखा है। भू-दान के आन्दोलन में

115.

(श्री आदित्येन्द्र)

विनोबाजी ने सबसे पहले जमीन मांगना शुरू किया. जब तक वह आन्दोलन चला, उस आन्दोलन को हमने देखा. उस समय देश में एक अपूर्व जाग्रति थी और लोगों में बड़ा उत्साह था, उमंग थी। दूसरे देशों में भी इसके बारे में बड़ी भारी चर्चा थी। वह आन्दोलन एक वैचारिक क्रान्ति का आन्दोलन था। उसमें प्रारम्भ में सफलता मिली। बाद में इसलिए सफलता नहीं मिली कि जो काम करना था, वह काम बाद में नहीं किया गया, और गांधीजी के जो विचार थे, या गांधीजी ने जो हमें बतलाया था उसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया। मैं स्वयं पहले से ही इस बात में विश्वास करता रहा हूं कि गांधीजी की विचारधारा सर्वोत्तम है और वही विचारधारा संसार में, मानव जाति में शोषण का उन्मूलन कर सकती है। लेकिन जो इस विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग थे, उन्होंने विश्वास करते हुये भी उस पर अमल नहीं किया। इसका मुख्य कारण यह था कि हमारे जो नेता हैं, वे पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी देशों की सम्पन्नता से चकाचौंध हो गये और चकाचौंध होने के नाते बड़े बड़े काम हाथ में लिए गए, बड़ी बड़ी योजनाएं हाथ में ली गईं। उन योजनाओं पर काफी रुपया खर्च किया गया और वह व्यर्थ गया। जो अवधि इन योजनाओं की पूर्ति के लिए निर्धारित की गई थी, वह समाप्त हो गई लेकिन वे योजनाएं पूरी नहीं हुईं। अन्त में हम एक जाल में फंस गए और कुछ नहीं कर सके। जितनी हमने दवाई का बेकारी मिटाने के लिए, समाज की विषमता को दूर करने के लिए, उतनी ही विषमता बढ़ती चली गई और बेकारी भी बढ़ती चली गई। अब अगर हम बेकारी के आंकड़े देखें तो जो आंकड़े 1951-52 और 53 में थे मैं समझता हूं कि वह आंकड़े कई गुना ज्यादा बढ़ गये हैं। इन 25, 26, 27 वर्षों में आबादी बढ़ी है। ठीक है। लेकिन मेरा यह कहना है कि आबादी के अनुपात में भी बेकारी कई गुना बढ़ी है। इससे पता चलता है कि जो कुछ भी हमने उपाय किए, वे सब उपाय या तो व्यर्थ थे या बेकार थे। अब हमें इस ओर ध्यान देना है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस अन्त्योदय योजना की तरफ गया है। विरोधी दल के नेता, हमारे माननीय मदेरणा साहब और हमारे दूसरे माननीय वरिष्ठ सदस्य माथुर साहब ने भी अन्त्योदय योजना के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने, मैं ऐसा मानता हूं कि अन्दर से तो प्रशंसा की है, लेकिन ऊपर से एक तो इस कारण से कि विरोधी पक्ष में हैं या और दूसरे किसी कारण से उन्होंने कुछ सन्देह व्यक्त किया है इस योजना की सिद्धि में। परन्तु मेरा ऐसा मानना है, जैसा मैंने अभी पढ़ कर बताया, कुछ वाक्यांश, आज से पूर्व बजट सेशन के प्रारम्भ में मैंने यहां पढ़कर बताए थे उनमें मैंने यही कहा था कि यह तभी सिद्धि होगी जब हम जनता के सहयोग और परिश्रम पर विश्वास करेंगे। हमें परिश्रम पर पूरा विश्वास है। साथ ही हम ऐसा वातावरण बनायें जिसमें घृणा और द्वेष का कम से कम गुंजाइश हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम धीरे धीरे चलें तो हमें पता चलेगा कि यह अन्त्योदय योजना निश्चित रूप से सफल होगी। केवल आत्म विश्वास

(श्री ग्रादित्येन्द्र)
की जरूरत है इस बात की भी जरूरत है कि हमारे जितने भी काम हों, वह ऐसे होने चाहिये जिनसे स्वावलम्बन को बल मिले। हम ग्रात्म निर्भरता के सिद्धान्त की ग्रोर ग्रागे बढ़ें। वातावरण घृणा ग्रोर द्वेष का नहीं बल्कि ग्रापस में प्रेम का बनाया जाये। यह कहा गया कि इसके लिए बजट में 25 लाख रुपये का प्रावधान रखा है जो बहुत कम है राजस्थान में 33,000 गांव हैं हर गांव के हिस्से शायद 100 रु. भी नहीं ग्रायेंगे यदि हम छोटी सी इण्डस्ट्री चलाने के लिए पैसा देते हैं, किसी को हम भैंस दिला देते हैं किसी को जमीन दे देते हैं, किसी को 1,000 या 2,000 रुपया भी दे देते है तो उससे ज्यादा ग्रामदनी नहीं बढ़ती है। इसके लिए हमें कुछ ग्रोर भी करना होगा। उनके चारों ग्रोर रहने वाले जो लोग हैं, उनके ग्रन्दर भी सहयोग की भावना पैदा करनी होगी। सच्चाई ग्रोर ईमानदारी से वह लोग भी सहयोग कर सकते हैं ग्रब यह तय किया गया है कि गांव में जब किसी को मदद दी जाती है तो उससे ईर्ष्या ग्रोर द्वेष पैदा होता है इसलिए हम देखेंगे कि इससे कोई दुर्भावना तो पैदा नहीं होती है। ग्राखिर में इस संबंध में कुछ शब्द ग्रोर कहना चाहता हूं जो गान्धी जी के शब्द हैं। गान्धी जी ने यह कहा है कि मेरे लिए एक कदम काफी है। यह जरूरी नहीं है कि पूरी योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि काम करो ग्रोर ग्रागे बढ़ो। ग्रागे बढ़ेंगे तो जो ग्रंधकार है, वह मिटता जाएगा ग्रोर प्रकाश ग्राता जाएगा। ग्रागे चलते गये तो, हम ग्रपने लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे।

दूसरा सवाल है मद्य निषेध का। मद्य निषेध का भी ग्रावश्यक सवाल है। मद्य निषेध की एक योजना है उसमें ग्रभी तक हम ऐसा मानते रहे हैं कि इसका सम्बन्ध गरीबों से नहीं है। हमारा कहना यह नहीं है कि गरीबों से सम्बन्ध नहीं है। निर्धनता से इसका सम्बन्ध नहीं है। सभी ने यह कहा है कि यह एक भयंकर बुराई है। इसको हमने ग्राज से नहीं हिन्दुस्तान की ग्राजादी के पहले से माना है, यह सभी को मालूम होगा, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया उनका मद्यनिषेध मुख्य कार्यक्रम था। इस कार्य की सिद्धि के लिये लाखों ग्रादमी जेलों में गये। दस, बीस ग्रोर पचास हजार ग्रादमियों ने लाठियां खाईं। हजारों ने जानें दी हैं। हमने गांधीजी के मूल्यों पर विचार कर देखा है। इसलिये हमने जो मद्य निषेध का कार्यक्रम बनाया है इसको हमें ग्रोर ग्रागे बढ़ाना है। मैं मानता हूं, जहां तक जनता पार्टी का प्रश्न है, जो सत्ता में है, ग्रोर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जनता पार्टी में कांग्रेसी भी है दोनों गांधीजी को स्वीकार करती हैं। गांधीजी की विचारधारा को स्वीकार करती है। इधर भी जो लोग ग्राये हैं, वह कांग्रेस या सोशलिस्ट पार्टी से ग्राये हैं। कम्युनिस्ट पार्टी है वह भी कहती है कि यह विचारधारा ग्रच्छी है। तो मद्यनिषेध की विचारधारा ग्रच्छी है इसको हमें पूरा करना है। ठीक है, चार-पांच वर्षों से मद्यनिषेध लागू है 6 जिलों में, उदयपुर ग्रोर ग्रजमेर की कई तहसीलों में मद्यनिषेध लागू है पिछली बार जब हमने ग्रपना भाषण दिया था, उस समय 3 जिलों की कुछ ग्रोर तहसीलों में मद्यनिषेध किया गया था। जयपुर, कोटा की दो तहसीलें, किशनगंज ग्रोर शाहबाद, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ व उदयपुर जिले

(श्री ग्रादित्येन्द्र)

की सलूम्बर ली गई थी। अब कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इस मद्य-निषेध क्षेत्र को कुछ और आगे बढ़ाया जाये। मेरी ऐसी मान्यता है कि अगर कई जिलों में बढ़ा दें, कुछ और तहसीलों में बढ़ा दें तो ज्यादा लाभ नहीं होगा। कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कहा है कि मद्य निषेध सच्चाई और ईमानदारी से लागू करना चाहिए। इसलिए मैं भीलवाड़ा जिले की दो तहसील, मांडलगढ़ और जहाज़पुर पाली जिले की बाली तहसील, को भी मद्यनिषेध क्षेत्र में जोड़ता हूं। इनमें भी मद्यनिषेध लागू होगा।

श्री मूलचन्द डागा : पाली को क्यों नहीं लिया? बिना पाली के बाली बेकार है।

श्री आदित्येन्द्र : वह भी समय पर लिया जायेगा। इस समय पाली जिला ऐसा है कि उन जिलों से लगा हुआ है जिनमें पहले से मद्यनिषेध लागू है। तो मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में भी प्रगति होगी।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय वित्त मन्त्री महोदय, जनता पार्टी के माननीय सदस्यों की बात तो मानते हैं। लेकिन इधर से रेडीमेड कपड़ों के बारे में कहा गया, उसे नहीं माना।

श्री आदित्येन्द्र : रेडीमेड वस्त्रों का विषय आज का विषय नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : वह कल का विषय है।

श्री आदित्येन्द्र : वह कल का विषय है। आज से उसका सम्बन्ध नहीं है। आज का विषय तो एप्रोप्रिएशन बिल है। इस एप्रोप्रिएशन बिल पर मैंने आपसे वोट मांगा है। सदन में और मांगों पर तो वोट से अलग अलग निर्णय हो गया है। एप्रोप्रियेशन पर आज वोट मांगा जाएगा। इसलिए आज मुझे मद्य निषेध के सम्बन्ध में कहना था।

श्री मूलचन्द डागा : एक सवाल मैंने तनख्वाह का उठाया था। 14 तारीख को एम. एल. एज. ने शपथ ली है। तनख्वाह दे रहे है, 21 तारीख से। इस सम्बन्ध में घोषणा कर दीजिए। कल अखबारों में नाम आयेगा।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य श्री डागा साहब की ओर से जो प्रस्ताव आया है, उस पर हम विचार करेंगे।

श्री आदित्येन्द्र : तीसरा मुख्य प्रश्न जो माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में उठाया वह भ्रष्टाचार का है मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता, यह खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाय तो भी लोग यह कहेंगे कि यह असत्य बात है इसलिए जो भी चीज सामने है उसको मानना पड़ेगा। लेकिन आप यह देखेंगे कि यह भ्रष्टाचार क्यों होता है? इसके कारणों में तो मैं नहीं जाना चाहता लेकिन एक बात जरूर है कि भ्रष्टाचार पिछले दो वर्षों में बढ़ा है, शायद दो वर्ष पहले इतना भ्रष्टाचार नहीं था। इसका एक मुख्य कारण मैं तो ऐसा मानता हूं कि बीच में जो आपातकालीन स्थिति आई उस आपातकालीन स्थिति में कोई बोल नहीं सकता था, हर एक व्यक्ति के मुह पर ताला हुआ था, सभी लोग मौन थे, अखबारों पर भी

(श्री आदित्येन्द्र)

पाबन्दी थी, मीटिंग नहीं कर सकते थे, इसीलिए जो लोग भ्रष्टाचारी थे उनको उस समय मनमानी करने का मौका मिल गया। उस समय ऐसा मालूम पड़ता था कि भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार दबा हुआ था। इमर्जेन्सी हटने के बाद सब मामले सामने आये, लेकिन इससे हमें चिन्ता करने की बात इसलिए नहीं है कि यदि हम लोग दिल से और ईमानदारी से, पूरे विश्वास के साथ इस भ्रष्टाचार के उन्मूलन की ओर अग्रसर होते हैं तो मेरा विश्वास है पूरा तो नहीं लेकिन बहुत अधिक मात्रा में इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। इसको समाप्त करने की इस समय परम आवश्यकता है। परम आवश्यकता उस समय होती है जब कोई बुराई चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इस समय हमें इस ओर सतर्क रहना चाहिए। जिस क्षेत्र में जिस स्तर पर भी भ्रष्टाचार को देखें तो उसको मिटाने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा और सबसे पहले मैं अपने आपको सम्बोधित करूंगा और आत्मोन्मुख होकर कहूंगा कि पहले मुझमें कोई बुराई है तो उसको समाप्त करना है। यह सोचना चाहिए, यह हो जायगा तभी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर सकूंगा। जब मेरे दिल में यह विश्वास हो जायगा कि मैं बुराई को समाप्त करने के लिए तैयार हूं तो मेरा मानना है कि माननीय सदस्य भी यह मान लेंगे कि इसको समाप्त करना है तो जरूर यह काम पूरा होगा।

इसी तरह से एक प्रश्न जो मुख्य प्रश्न हमारे सामने वह है शान्ति और व्यवस्था का। यह ठीक है कि यह विषय ऐसा है जिसकी ओर ध्यान दिया जाना परमावश्यक है। आज अशान्ति और अव्यवस्था है मैं मानता हूं लेकिन यह अशान्ति और अव्यवस्था मेरा यह मानना है कि अस्थायी है, स्थायी नहीं है। अशान्ति और अव्यवस्था इस कारण से हुई है कि एकदम लोगों को स्वतन्त्रता मिली है, स्वतन्त्रता मिलने के बाद लोगों ने यह महसूस किया है कि हम बोल भी सकते हैं, हमको बोलने का अधिकार है मीटिंग करने का अधिकार है। माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि सभी जिलों में विद्यार्थियों में असन्तोष है और कहीं कहीं अशान्ति और अव्यवस्था है। लेकिन यह अशान्ति और अव्यवस्था अगर हम लोग चाहें तो जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है बहुत जल्दी दूर हो सकती है। विद्यार्थियों की एक ऐसी आयु होती है कि जिस आयु में जिस तरह की शिक्षा दी जायगी उस तरह का असर पड़ेगा, यह स्वाभाविक बात है। इस ओर हमको ध्यान देने की जरूरत है, इस फील्ड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल सरकार ही पूरी तरह शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं रख सकती इसके लिए जरूरत इस बात की भी है कि जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, प्रशासन में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं सभी शान्ति और व्यवस्था कायम रखने में किसी प्रकार से पीछे नहीं रहें। इस सम्बन्ध में इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि कौन किस दल का है।

जहां तक मजदूरों का सवाल है, ठीक है जो भी ट्रेड यूनियन हैं अगर ठीक तरह से उनका संचालन किया जाय, उनको सही ट्रेनिंग दी जाय तो इस समय जो एक प्रकार का असन्तोष है, जो उनमें नाराजगी

(श्री आदित्येन्द्र)

है, वह बहुत कम हो सकती है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए अन्त में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस बजट भाषण में जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने समय समय पर सुझाव दिये हैं, या समय समय पर जो बातें कही हैं, वह वास्तव में ऐसी हैं जिनसे हमें शिक्षा लेनी है, हमको सजग रहना है और उन चीजों को जहां तक हो सके वहां तक हमें पूरा भी करना है। इन तमाम बातों के बाद मैं सदन से निवेदन करता हूं कि यह जो विनियोग विधेयक आपके समक्ष है इसको आप पारित करें।

श्री रामनारायण चौधरी : एक छोटा सा सवाल।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अन्त्योदय की योजना में आप क्या विशेष रूप से रियायत, सहूलियत और सुविधा देना चाहते हैं? इसमें नई बात क्या है? यह आपके जवाब में आनी चाहिए था वैसे आपका जवाब बहुत अच्छा है मौलिक है लेकिन सरकार के ऊपर जो चार्जेज लगाये गये हैं उनके बारे में कोई जवाब नहीं आया।

दूसरा करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्पेसिफिक चार्ज लगाया था कि रेपसीड मिलाकर तेल बेचा जा रहा है उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं है। इस लिए आप एक तो इसका जवाब दे दीजिये और दूसरा अन्त्योदय की योजना को और स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत सी बातें कहीं। मुख्य मंत्रीजी भी मानते हैं कि शिक्षा का प्रतिशत केवल 18 प्रतिशत है। पिछली सरकार ने एक हजार स्कूल खोलने की व्यवस्था की थी। मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक आप प्राइमरी स्कूल नहीं खोलेंगे तब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। लेकिन आपने उसको घटाकर 520 कर दिया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रसार करेंगे और आप आगे बढ़ रहे हैं? और भी बहुत से प्रश्न हैं लेकिन मैं इस समय एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1 हजार स्कूलों की व्यवस्था की गई थी वह घटा कर आपने 520 क्यों कर दी?

श्री मदनसिंह दांता : वह बारह महीने के लिए थी और यह 6 महीने का बजट है।

श्री आदित्येन्द्र : पहले तो मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो माननीय सदस्या ने उठाया है कि रेपसीड को सरसों के तेल में मिलाकर बेचा जा रहा है

मुझे भी मालूम है कि इसमें मिलावट राजस्थान के कुछ जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में हुई है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार की ओर से रेपसीड आइल को सरसों का तेल माना है। आप कहेंगे कि अब तो जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जनता पार्टी सरकार से पहले के जो नियम हैं, कानून हैं, उसमें रेपसीड आइल को सरसों का तेल ही माना है, उसमें कोई अंतर नहीं माना है। दूसरी बात यह है कि इस पर कोई उस समय पाबन्दी नहीं थी। इसलिए सभी लोगों ने जो कुछ भी किया है, वह नैतिक दृष्टि से गलत किया है यह ठीक है लेकिन कानूनी

(श्री आदित्येन्द्र)

दृष्टि से कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने यह काम किया हम उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सके। इतना जरूर किया.......

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दूध में पानी मिलाया जाए तो कोई दोष नहीं किया ?

(व्यवधान)

श्री आदित्येन्द्र : हमने 16 लाख रुपये का माल जब्त किया। आप जो कह रही हैं, दूध में पानी मिलाने का सवाल है या और जो मिलावट करने का सवाल है, यह ठीक है, मिलावट है। यह मिलावट आजकल जो भ्रष्टाचार है उसके ही कारण है चाहे छोटे के पास जायं चाहे बड़े के पास जायं। मिलावट के लिए मैंने अपील की है कि समय आ गया है जब कि इसके लिए पूरे तौर से प्रयत्न करना चाहिए।

शिक्षा का सवाल ठीक है कि जो पिछली सरकार थी, उस समय के जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपने बजट भाषण में एक हजार स्कूल खोलने के लिए कहा था, उसकी जगह हमने 520 स्कूल खोले हैं लेकिन इसके अलावा जो दूसरे स्कूल हैं, आठवीं तक के, माध्यमिक स्कूल........

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वे इतने जरूरी नहीं हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर पहले चर्चा हो चुकी है।

श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विनियोग विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि समय बढ़ाने की आवश्यकता है, अभी 5-10 मिनट हैं।

श्री सुरेश कुमार : व्यवस्था का प्रश्न है। रेपसीड और सरसों का तेल.......

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977 विचारार्थ लिया गया।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1977 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल बृहस्पतिवार 29 सितम्बर, 1977 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.55 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 29 सितम्बर, 1977 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

Page No 116

(121)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 463 का विवरण)

परिशिष्ट (1) : ग्राम पंचायत सारड़ी को दिये गये अनुदान, अनुदान की राशि के उपयोग, निर्माण कार्यों को पूर्ण होने सम्बन्धी विवरण ।

नाम सरपंच जिनको अनुदान दिया गया	कार्य का नाम	राशि व दिनांक देने की	उपयोगिता सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गये
1	2	3	4
श्री सोहनसिंह, पंच ग्राम पंचायत, सारड़ी	सेनेटरी कुआ सारड़ी	300/- 24-1-57	—
"	"	700/- 29-3-57	—
"	सेनेटरी कुआ छपारा	800/- 24-1-57	—
"	"	700/- 2[illegible]-3-57	—
श्री पूरणाराम, सरपंच सारड़ी	अनेसरिया कुआ	1000/- 12-3-59	—
"	"	800/- 23-7-59	—
"	बुरिली-की-ढाणी के कुए की मरम्मत	500/- 20-8-59	—

1	2	3	4
श्री पूरणाराम सरपंच सारड़ी	कुआ धोलिया	1000/- 12-9-59	—
,,	,,	500/- 23-3-59	—
,,	स्कूल भवन छपारा	500/- 1959	सी. सी. इस्यूड 3154-57, दिनांक 26-11-63
,,	,,	400/- 1959	—
,,	विविध कार्य हेतु	500/- 4-3-59	—
,,	,,	400/- 1-6-59	—
,,	प्रोटेक्शनवाला सारड़ी	15001 12-3-59	—
,,	,,	1200/- 27-12-61	—
,,	आउटलेट छपारा	525/- 28-2-59	—
,,	सावराद रेलवे स्टेशन से सारड़ी प्याऊ तक सड़क निर्माण व गांव तक	2429-73 31-3-59	—

(123)

1	2	3	4
श्री पूरणाराम सरपंच सारड़ी	सावराद रेलवे स्टेशन से सारडी प्याऊ तक सड़क निर्माण व गांव तक	1461-06 / 10-6-59	—
,,	,,	1262-25 / 2-7-60	—
,,	,,	1857.75 / 31-3-62	—
,,	,,	2496/- / 1-5-62	—
,,	सारड़ी कुआ	2750/- / 23-2-59	सी. सी. इस्यूड 13651-62, बाई ए.ई.एन. सी.डी. जोधपुर।
,,	,,	800/- / 23-7-59	—
,,	,,	1500/- / 19-4-61	—
,,	,,	500/- / 18-8-61	—
,,	सारड़ी कुआ	1600/- / 29-9-61	सी. सी. इस्यूड 13651--62 बाई ए. ई. एन. सी. डी. जोधपुर
,,	,,	400/- / 23-11-61	,,

1	2	3	4
श्री पूरणाराम सरपंच सारडी	सारडी कुमा	2000/- ——— 5-3-60	,,
,,	झैकरिया कुमा	500/- ——— 31-3-60	यू. सी. इस्यूड 390-62, दिनांक 30-5-67
,,	छपारो तालाब की दिवार सुरक्षा हेतु	450/- ——— 12-9-60	ऑडीटर एतराज संलग्न है ।
,,	नया कुआ मिड़ासरी	1000/- ——— 2-8-61	सी. सी. इस्यूड 3000/- दिनांक 3-2-66
,,	,,	800/- ——— 13-2-62	,,
श्री चतुर्भुज शर्मा, सरपंच सारड़ी	,,	200/- ——— 13-2-66	,,
श्री पूरणाराम सरपंच सारड़ी	स्कूल होज मिडासरी	500/- ——— 19-5-61	—
,,	भोमियों का होज सारड़ी	1500/- ——— 2-4-65	—
,,	भामियों का होज मनेसटिया	1500/- ——— 2-4-65	सी. सी. इस्यूड 3789-49 दिनांक 18-11-67

1	2	3	4
श्री मनरूपाराम उप-सरपंच सारड़ी	भाभियों का हौज आनेसरिया	1000/- 24-6-67	,,
,,		142/- 30-11-67	,,
श्री पूरणाराम सरपंच सारड़ी	सार्वजनिक हौज भाभियों का बास, भिडासरी	1500/- 2-4-65	—
,, ,,	हरिजनों का हौज सारड़ी	1500/- 2- -65	—
	नया हौज अनेसटिया	1500/- 11-2-65	यू. सी. इस्यूड 1500/- दिनांक 6-6-67
श्री चतुर्भुजसरपंच सारड़ी	कुआ भिडासरी	2000/- 20-4-66	सी. सी. इस्यूड 8848/- दिनांक 13-2-74
,,	,,	1600/- 12-10-66	,,
श्री मनरूपाराम सरपंच सारड़ी	सांडशाला, अनेसटिया	250/- 9-2-67	—
,,	कुए की मरम्मत, अनेसटिया	500/- 9-2-67	सी. सी इस्यूड 1731/- दिनांक 11-11-67
,,	,,	550/- 18-11-67	,,
,,	सांडशाला सारड़ी	250/- 9-2-67	—

1	2	3	4
श्री चतुर्भुज शर्मा सरपंच सारड़ी	सारड़ी कुए की मरम्मत	1500/- 25-2-72	—
,,	कुए की मरम्मत अनेसरिया	1500/- 25-2-72	यू. सी. इस्यूड 2495/- दिनांक 15-2-74
,,	शाला निर्माण अनेसटिया	1000/- 29-3-72	सी. सी. इस्यूड 3015/- दिनांक 15-2-74
,,	मीठे पानी का कुआ गहरा कराना व मरम्मत भिडासरी	1000/- 29-6-73	यू. सी. इस्यूड 1005/- दिनांक 31-74
श्री चतुर्भुज शर्मा सरपंच, सारड़ी	मीठे पानी का कुआ गहरा करवाना व मरम्मत, भिडासरी	800/- 30-3-74	—
,,	सार्वजनिक कुआ पूरा करवाना, भिडासरी	1250/- 29-6-76	—
,,	कुआ गहरा कराना व मरम्मत करवाना सारड़ी	1,000/- 29-6-73	यू. सी. इस्यूड 1,035/- 3-74
,,	,,	800/- 30-3-74	—
,,	सार्वजनिक कुआ पूरा करवाना, सारड़ी	1,367/- 29-6-76	—
,,	शाला भवन, अनेसटिया	1,000/- 14-3-77	—
,,	शाला भवन, भिडासरी	1,500/- 14-3-77	—

परिशिष्ट-2 ऑडिट आक्षेपों का विवरण

आडिट रिपोर्ट ग्राम पंचायत सारड़ी वर्ष 1973-74 अनुच्छेद संख्या 10 की सत्य प्रतिलिपि

राशि का अग्रिम भुगतान:—पंचायत को पंचायत समिति से कूप, कूप भिड़ासरी तथा सारड़ी निर्माण के लिए क्रमश: 1000, 1000 कुल दो हजार रुपया प्राप्त हुआ।

यह राशि वाउचर संख्या 152 दिनांक 13-8-73 से श्री दीपाराम मेघवाल निवासी सारड़ी को दिया गया। परन्तु भुगतान के बाद जांच समय तक खर्च का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त भुगतान का औचित्य ज्ञात नहीं हो सका। अतः भुगतान बताई गई राशि 2,000/- सम्बन्धित व्यक्तियों से 12 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज सहित वसूल किये जावें क्योंकि नियम 300 में हुये संशोधन के अनुसार 5 दिवस से अधिक अवधि तक अग्रिम राशि नहीं रखा जा सकता है। अतः ऊपर बताई गई राशि वसूल की जावे। अन्यथा राशि का हिसाब प्राप्त कर आगामी जांच में अवगत कराया जावे। अन्यथा ऊपर बताया समस्त व्यय आक्षेप में रहेगा।

ऑडिट रिपोर्ट ग्राम पंचायत सारड़ी सन् 62-63 को अनुच्छेद संख्या 6 की सत्य प्रतिलिपि :

6—अनुदान को रोकड़ से बाहर रखना:—दिनांक 22-9-60 को रुपये 450/- पंचायत समिति, लाडनू से कपारा की दीवार के निर्माण हेतु श्री पूरणाराम सरपंच की मार्फत इस पंचायत को प्राप्त हुए। उक्त रकम पंचायत की राकड़ में जमा नहीं किया गया। ग्रामीण चन्दा भी अलग से एकत्रित किया गया बताया। परन्तु चूंकि जाँच के समय कोई हिसाब पेश नहीं किया गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वस्तुतः रकम का सदुपयोग ही हुआ है। इसके अतिरिक्त अनुदान पंचायत की रोकड़ में जमा की जाकर पंचायत के द्वारा ही व्यय की जानी चाहिये। तथा हिसाब सामुदायिक विकास पुस्तिका के पृष्ठ 46-47 में बताये गये तरीके से रखा जाना चाहिये। गत वर्ष भी इस सम्बन्ध में आक्षेप उठाया गया था। कृपया पूरा हिसाब आगामी जांच में पेश करें तथा भविष्य में अनुदान पंचायत की रोकड़ के माध्यम से खर्च करें।

परिशिष्ट—ब

ऑडिट रिपोर्ट ग्राम पंचायत सारड़ी वर्ष 62-63 का अनुच्छेद संख्या 8 की सत्य प्रतिलिपि:—

8. अनुदान की राशि का भूतपूर्व सरपंच द्वारा सम्भावित गबन:—

दिनांक 1-5-62 को रुपया 2496-00 की राशि सड़क निर्माण हेतु पंचायत को दी गयी थी। वर्तमान सरपंच ने बतलाया कि यह राशि भूतपूर्व सरपंच द्वारा न ता

उन्हें संभलाई गयी है एवं नही व्यय की गयी है, न व्यय का हिसाब सम्भाला गया है। यह राशि भूतपूर्व सरपंच द्वारा उपयोग में लाने से गबन किये जाने का संदेह है; अतः रुपये 2496-00 की राशि मय 12 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज श्री पूर्णाराम भूतपूर्व सरपंच से वसूल की जावे। व उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे।

Copy of Para 2 of audit report for the period 9/63 to 3/68

Office of the Accountant General, Rajasthan, Jaipur

It was however observed that a sum of Rs. 3000/- was sanctioned by the standing committee in its meeting held on 30-7-67 to Gram Panchayat Sardi for the construction of manure plant, The amount was paid to Shri Chatarbhuj Sarpanch vide bill No. 24 dated 20-9-68 as a grant-in-aid.

The grant for the aforesaid purpose was not covered under the scheme and was therefore irregular and needs recovery. The amount was also not been utilised by the Panchayat so far (3/69) No technical estimate etc. were prepared and got approved. The balance of Rs. 2000/- is still lying with the samiti unutilised The Non/Mis-Utilisation of Free fund is brought to notice of the Additional Dev. Commissioner, Jaipur.

(129)

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सम्बन्धित खादी भण्डारों की सूची

नाम संस्थान/समिति	स्वीकृत खादी भण्डारों का स्थान
1. ग्राम सेवा मण्डल, अजमेर	सिहारी, श्रीनगर, रामसर, पीसांगन, जैतारण, पुष्कर, नसीराबाद, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, मोराई और सागावास
2. खादी ग्रामोद्योग मण्डल, अमरसर	मनोहरपुर, अमरसर, बौंली
3. खैराड़ ग्रामोदय संघ, सावर	सावर, केकड़ी, अजमेर, सरवाड़, देवली, राजमहल और कोटा
4. ग्रामोद्योग विकास समिति, जयपुर	जयपुर और सांगानेर
5. पं. समिति जयपुर झोटवाड़ा खादी ग्रामोद्योग संघ, झोटवाड़ा	झोटवाड़ा
6. ग्रामसेवा मण्डल, आइदानका-वास	दूदू, नरायना, मौजमाबाद, आसलपुर, साथून और महलां
7. हिन्डौन क्षेत्रीय खादी ग्रामो. समिति	महुआ, हिन्डौन और सवाई माधोपुर
8. महादेव देसाई खादी मंदिर, बनस्थली	बनस्थली
9. खादी ग्रामोद्योग समिति, मालपुरा	मालपुरा, टोडारायसिंह, पचेवर, लावा, माधोराजपुरा और लांवाहरिसिंह
10. खादी ग्रामोद्योग समिति, मुकुन्दगढ़	मुकुन्दगढ़, मंडावा और झुन्झुनू
11. लोकसेवा संघ, सीकर	सीकर
12. ग्राम विकास मंडल, खण्डेला	खण्डेला और कांवट
13. ग्रामोद्योग विकास मण्डल, देवगढ़	देवगढ़, भीम, केलवाड़ा, चारभुजा, उदयपुर, आमेट, और सरदारगढ़
14. खादी ग्रामोद्योग केन्द्र, धाकड़खेड़ी	मांडलगढ़, बीगोद, बरून्दनी, बिजोलिया और काछोला
15. जहाजपुर ग्राम सेवा समिति	जहाजपुर, रोमां, शाहपुरा और फूलिया

नाम संस्थान/समिति	स्वीकृत खादी भण्डारों का स्थान
16. चित्तौड़ जि. खादी ग्रामो. संघ, कपासन	कपासन, चित्तौड़गढ़, घोसुन्डा, बस्सी, मदेसर, निम्बाहेड़ा, भैंसराड़गढ़, रावतभाटा बड़ीसादड़ी, बेगू और डूंगला
17. जन सेवा मंडल, पहुंना	पहुंना, राशमी, गंगरार, चित्तौड़गढ़, भूपालसागर और अकोला
18. बांसवाड़ा जि. सेवा संघ, परतापुर	परतापुर, बांसवाड़ा, परतापगढ़
19. ग्रामोदय समिति, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
20. राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर	डूंगरपुर और सागवाड़ा
21. गांधी आश्रम, सुजानगढ़	चूरू, सुजानगढ़, श्री डूंगरगढ़, रतननगर, बीदासर
22. मारवाड खादी संघ, जोधपुर	जोधपुर, बिलाड़ा, ओसियां और बाड़मेर
23. मरुधर विकास मण्डल, खींचन	खींचन, चौहटन, शेरगढ़ और जोधपुर
24. मरुस्थल खादी ग्रामोद्योग संघ, फलौदी	जोधपुर, फलौदी, बाप, बालेश्वर
25. नागौर जि. खादी ग्रामोद्योग संघ	नागौर मेड़ता, डेगाना गोटन, डीडवाना, गुडा भगवान और बाजाजी
26. ग्राम स्वराज्य समिति, लाडनूं	लाडनूं
27. ग्राम स्वराज्य समिति, मकराना	नारायना, मौजमाबाद, आसलपुर, महुआ, साखून, बिधुना
28. खादी ग्रामोद्योग समिति, कुचामन सिटी	कुचामन सिटी
29. वीरम खादी ग्रामोद्योग संघ जालौर	जालौर, भीनमाल, सांचोर, आहोर
30. जैसलमेर जिला खादी ग्रामोद्योग परिषद	जैसलमेर, मंडार, पोकरण, रामदेवरा, नोखा और फलसूड
31. सीमा ग्राम स्वराज्य संघ, जैसलमेर	जैसलमेर
32. नया उद्योग मंडल, सिरोही	सिरोही, आबूरोड़, पाली, शिवगंज, सोजत सिटी
33. बैराठ तहसील ग्रामोद्योग संघ, शाहपुरा	शाहपुरा, देवन, साइवाड़, नाथावाला, बाडीगोडी

(131)

नाम संस्थान/समिति	स्वीकृत खादी भण्डारों का स्थान
34. पोकरण खादी ग्रामोद्योग संस्थान	रामदेवरा और पोकरण
35. खादी ग्रामोद्योग संघ, गंगानगर	हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और नोहर
36. शेखावाटी खादी आश्रम, फतहपुर	फतहपुर
37. मेरवाड़ा खादी ग्रामोद्योग समिति, ब्यावर	विजयनगर और मसूदा
38. आदर्श खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति, जयपुर	जयपुर
39. तहसील बौंली खादी ग्रामोद्योग उत्पादन सहकारी समिति, बौंली	बौंली, पीपलदा, मित्रपुरा, मलारनाचौड़
40. सपोटरा खादी उद्योग सहकारी समिति	सपोटरा
41. सर्वोदय दरी उत्पादक सहकारी समिति, टौंक	टौंक और कोटा
42. रूपाहेली खादी ग्रा. उत्पादक सहकारी समिति	रूपाहेली और कर्यालियावास
43. खादी ग्रा. उत्पादन सहकारी समिति, बालोतरा	बालोतरा
44. राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर	बीकानेर, बाड़मेर और जयपुर

खादी ग्रामोद्योग कमीशन से सम्बन्धित भण्डारों की सूची

नाम संस्थान/समिति	स्वीकृत खादी भण्डारों का स्थान
1. राजस्थान विकास मंडल, गोविन्दगढ़	जमनापुरी, ब्यावर, उदयपुर, सीकर, नाथद्वारा, फुलेरा, जयपुर, उदयपुरवाटी, हनुमानगढ़, बांसा, बागावास, माधाराजपुरा, गोविन्दगढ़ और नवलगढ़
2. सघन क्षेत्र योजना समिति, सीमेल	सादड़ी, सीमेल, रानी, पाली
3. क्षेत्रीय खादी ग्रामो. समिति, दौसा	दौसा और जयपुर
4. गांधी सेवा सदन, बयाना	बयाना; बरखेड़ा, बरेठा और खरेरी

नाम संस्थान/समिति	स्वीकृत खादी भण्डारों का स्थान
5. सघन विकास खादी ग्रामो. समिति, वस्सी	जयपुर, बांसखो, माधागढ़, वस्सी और वड़वा
6. खादी मंदिर, बीकानेर	बीकानेर, हनुमानगढ़ और खारा
7. ग्राम सेवा मंडल, करौली	करौली, अलवर और गंगापुर
8. क्षे. खादी ग्रामो. समिति, लालसोट	लालसोट और जयपुर
9. अलवर जि. खादी ग्रामो. संघ	अलवर, राजगढ़, थानागाजी, खैरथल और खेरली
10. नव निर्माण संघ, उदयपुर	उदयपुर, भिंडर, नाथद्वारा, आमेट, वल्लभनगर, कानोड़, भोपालसागर, कुरावड़ और कांकोला
11. सघन क्षे. विकास समिति, राजसमंद	सनवाड़, खटायला, केलवा, राजसमंद कुमारिया और पड़ासली
12. सर्वो. साधना संघ, चंदेरिया	घटियावली, वोरेदा और विजयपुर
13. राज. खादी संघ, चौमूं	जयपुर, चौमूं, चिड़ावा, झुन्झुनूं, पिलानी, सरदारशहर, जोधपुर, पाली, पाटन, अजमेर नसीराबाद, आबूरोड़, रामपुरा, भीमगंज, रतनगढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और केशोराय पाटन
14. उद्योग मंदिर, आमेर	जयपुर, कोटपूतली अचरोल, कोटा, भवानीमंडी, बारां, टौंक, भरतपुर, माउन्ट आबू, जोवनेर, रेनवाल, आमेर, किशनगढ़ और अजमेर
15. राज. आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	शाहबाद, सेमरी और जयपुर
16. क्षे. खादी ग्रामो. समिति, वांदीकुई	वांदीकुई
17. सिकराय क्षे. ग्राम स्वराज्य समिति सिकंदरा	सिकंदरा, गीजगढ़ और सिकराय
18. टौं. जि. खादी ग्रामो. समिति, टौंक	टौंक, दूनी, कोटा, मान टाउन, निवाई और नैनवा
19. खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान, बीकानेर	बीकानेर, नोखा, गंगानगर और नादरा

(133)

नाम संस्थान/समिति	स्वीकृत खादी भण्डारों का स्थान
20. ऊनी खादी ग्रामो. संस्थान, बीकानेर	बीकानेर, नाल और कालायत
21. सेवा सदन, भीलवाड़ा	आसीन्द, बदनोर, दौलतगढ़, निम्बाहेड़ा, हमीरगढ़ और भीलवाड़ा
22. भरतपुर जि. खा. ग्रामो. समिति	भरतपुर, रूपवास, सरमथुरा, डीग, कुम्हेर, कामां, नदबई और धौलपुर
23. सीकर जि. खादी ग्रामो. समिति, रींगस	रींगस, फतेहपुर, श्रीमाधोपुर, रामगढ़, सीकर, लक्ष्मणगढ़ और जयपुर
24. कासी-का-वास खादी ग्रामोद्योग समिति, सीकर	सीकर
25. क्षेत्रीय सीमा विकास कार्यालय खादी कमीशन, बीकानेर	बाड़मेर, बीकानेर और श्रीकरनपुर

नोटः—जो भण्डार बन्द हैं उनके स्थान के नाम के नीचे अण्डरलाइन किया गया है।

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

प्राणिशास्त्र विभाग में प्राध्यापकों का शिक्षक विद्यार्थी के रूप में चयन

475. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताये की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राजकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को संकाय सुधार योजना के अन्तर्गत तीन वर्ष के लिए डाक्टरेट करने के लिए छुट्टी प्रदान कर शोध-अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में भेज रहा है ? यदि हां, तो जोधपुर विश्वविद्यालय में ऐसे कितने प्राध्यापकों को प्राणिशास्त्र विभाग में शिक्षक विद्यार्थी के रूप में चयन करने का निर्देश था और कुल स्थानों में से कितने स्थान भरे गये ?

(2) इन शिक्षक विद्यार्थियों के चयन का क्या मापदण्ड व स्तर रखा गया ? ऐसे मापदण्ड एवं स्तर सम्बन्धी नियमों की पालना क्या इस विभाग में की गई ? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में प्रवेश आवेदन-पत्र की अन्तिम तिथि 7-1-77 थी ? क्या उसके बाद भी किन्हीं विशिष्ट विद्यार्थी के या विद्यार्थियों के आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा जोधपुर विश्वविद्यालय ने प्राणिशास्त्र विभाग को किसी एक समय में ऐसे कम से कम 5 व अधिक से अधिक 10 प्राध्यापकों के चयन का अधिकार दिया गया है। इस सत्र में विश्वविद्यालय ने प्राणिशास्त्र विभाग के लिए 5 प्राध्यापकों का टीचर फैलोशिप के लिए चयन किया है।

(2) चयन का मापदण्ड मूलतः योग्यता तथा परफोर्मेन्स रखा गया जिसके अनुसार चयन किया गया। यह सही है कि प्रवेश आवेदन-पत्र की अंतिम तिथि दिनांक 7-1-1977 थी लेकिन 7-1-1977 तक बहुत कम आवेदन-पत्र आये थे इसलिये उन समस्त अध्यापकों को साक्षात्कार के लिये बुला लिया गया या जिनके प्रार्थना-पत्र साक्षात्कार तिथि से पूर्व आ गये थे। इनमें किसी विशिष्ठ विद्यार्थी का प्रश्न नहीं है।

प्राथमिक पाठशाला, रानीवाड़ा कला को क्रमोन्नत करने की मांग

476. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा कला प्राथमिक पाठशाला को माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करने के लिये वहां की जनता की मांग थी ? अगर हां, तो उसे अब तक क्रमोन्नत क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि माध्यमिक पाठशाला के लिये रानीवाड़ा कला में

(श्री रतनाराम चौधरी)
स्कूल के लिये भवन उपलब्ध है, विद्यार्थियों की संख्या भी लगभग 500 है ? यदि हां, तो उस पाठशाला को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । विद्यालयों की संख्या सीमित होने के कारण सभी इच्छित स्थानों पर स्कूल नहीं खोले जा सके ।

(2) जी हां । यहां 332 छात्र पढ़ रहे हैं । जब भी राज्य सरकार नये स्कूल खोलेगी तब इस प्रस्ताव के औचित्य पर विचार किया जायेगा ।

सहकारी संगठनों एवं संस्थाओं के चुनाव

477. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सहकारी संगठनों एवं संस्थाओं के नये चुनाव कराने बाबत राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या चुनाव से पूर्व राज्य के को-ऑपरेटिव एक्ट में किसी प्रकार का संशोधन लाने की राज्य सरकार की मन्शा है ?

(3) सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये विभाग द्वारा क्या नये कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) सहकारी संस्थाओं में निर्वाचन हेतु सहकारी संस्था अधिनियम एवं नियमों में प्रक्रिया वर्णित है जिसके अनुसार निर्वाचन कराये जाते हैं । चुनाव शीघ्र कराने की तैयारियां प्रारम्भ कर दी गई है ।

(2) फिलहाल कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है ।

(3) विभाग द्वारा निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं:—

1. विभिन्न प्रकार के ऋणों का विस्तार एवं समय पर वसूली ।
2. सहकारी विपणन, भंडारण एवं मालसंधारण का विस्तार ।
3. कृषि उत्पादन हेतु कृषि वस्तुओं के वितरण की समुचित व्यवस्था ।
4. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की वितरण व्यवस्था ।
5. लघु सिंचाई, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन व अन्य उद्योगों एवं योजनाओं की क्रियान्विति ।
6. पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार ।
7. ऑडिट की समुचित व्यवस्था ।
8. सदस्यता वृद्धि के लिए विशेष अभियान ।

अजमेर में चिकित्सा की व्यवस्था

478. श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर में जवाहरलाल नेहरू (एलोपैथिक) चिकित्सालय के अलावा

(श्री कल्याणसिंह सांखला)
नगर में राजकीय (एलोपैथिक) चिकित्सालय किस-किस स्थान पर है और उनमें क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(2) अजमेर नगर की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार की एलोपैथिक चिकित्सा सुविधाओं हेतु क्या योजना है ?

उत्तर

(1) "जवाहरलाल नेहरू" राजकीय चिकित्सालय के अलावा नगर में राजकीय (एलोपैथी) चिकित्सालयों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(1)	आदर्श नगर डिस्पेन्सरी	सामान्य चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं।
(2)	पुलिस अस्पताल, अजमेर	पुलिस कर्मचारियों हेतु सुविधायें उपलब्ध।
(3)	जेल अस्पताल, अजमेर	जेल कर्मचारियों हेतु सुविधायें उपलब्ध।
(4)	जी. आर. पुलिस, डिस्पेन्सरी	रेल्वे पुलिस कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं।
(5)	ई. एस. आई. डिस्पेन्सरी नं. 1	मजदूरों हेतु सामान्य चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं।
(6)	ई.एस.आई. डिस्पेन्सरी नं. 2	मजदूरों हेतु सामान्य चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
(7)	टी. बी. डिमान्सट्रेशन एवं ट्रेनिंग सेन्टर, अजमेर।	क्षय रोगियों के निदान एवं अन्य उपचार की व्यवस्था है।
(8)	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र तोपदड़ा, अजमेर।	प्रसूतियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं।
(9)	अर्बन परिवार कल्याण केन्द्र, मदनगंज, अजमेर।	परिवार नियोजन सम्बन्धी व सामान्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।
(10)	अर्बन परिवार कल्याण केन्द्र, उसरीगेट	

(2) अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

(137)

राज्य में उच्च जलाशयों के निर्माण पर व्यय की गई राशि

480. श्री राम रघुनाथ चौधरी : (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत उच्च जलाशय बनाये जाते हैं और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

(2) अगर ऐसे जलाशयों की कोई आवश्यकता नहीं है तो क्यों बनाये जाते हैं? और अगर आवश्यकता है तो इनका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है ?

(3) राजस्थान में इस तरह के उच्च जलाशय, जो कई वर्षों से बेकार पड़े हुए हैं, कितने हैं और उनके निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ? इसमें से कितनी टंकियां राज्य सरकार के विभाग ने बनवाई हैं और कितनी ठेकेदारों ने बनायी हैं? ठेकेदारों को कुल मिलाकर कितना भुगतान किया गया है और कितना शेष है ?

(4) राजस्थान में कितने ऐसे उच्च जलाशय हैं जो प्रयोग में लिये जाने से पहले या प्रयोग में लाते समय ढह गये ? इस तरह के जलाशयों पर कितनी लागत लगी थी ? ऐसे जलाशय क्या ठेकेदारों ने बनाये थे ? यदि हां, तो क्या उनका भुगतान कर दिया गया है । और हां, तो उन्हें कितना भुगतान किया गया है ?

उत्तर

(1) साधारणतः यह सही नहीं है । कुछ स्थानों पर टंकियां बनी हुई हैं लेकिन वे काम में नहीं आ रही हैं ।

(2 व 3) प्रश्न (2) व (3) की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

प्रश्न 2 व 3 की सूची

(टंकियाँ जो कि काम में नहीं ली जा रही हैं)

क्र. सं.	योजना का नाम	स्थान	टंकी की क्षमता गैलन में.	ऊंचाई	कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया अथवा विभाग द्वारा	किया गया भुगतान	बकाया भुगतान	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जिला नागौर							
1.	जल योजना, रताऊ	रताऊ	10,000	20″	ठेके पर	15,834/-	—	टंकी बनाने के उपरान्त नींव के असमान रूप से बैठ जाने के कारण काम में नहीं ली जा सकी। इसे ठीक करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।
2.	जल योजना, पांचोड़ी	पांचोड़ी	8,000	20′	ठेके पर	11,667/-	—	यह टंकी ग्राम की जलप्रदाय योजना के लिए जलस्रोत पर्याप्त न होने के कारण काम में नहीं ली जा सकी। जल वितरण सिर्फ जल स्रोत से ही किया जा रहा है। टंक की चार लोड बियरिंग लीनटलस में ब्रेक आगये हैं अतः उनकी मरम्मत करवाई जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	क्षेत्रीय मोगास जासलू	मोगास	50,000	80'	ठेके पर	95,809/-	—	उक्त टंकी ठेकेदार द्वारा अभी तक टैस्ट करवा कर विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गई है । ठेकेदार के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।
4.	क्षेत्रीय जल योजना मारवाड़ छापरी	मारवाड़ छापरी	70,000	80"	ठेके पर	1,23,000/-	6500/-	" " "
5.	पम्प व टैंक योजना मींथड़ी	मीथड़ी	25,000	30'	ठेके पर	19,675/-	19,675/-	सीमेन्ट की कमी के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका । ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया, अब पूरा करने के लिये ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।
जिला भरतपुर								
6.	जल योजना सेपऊ	सेपऊ	30,000	40"	ठेके पर	—	—	यह टंकी गत तीन माह से दरारें पड़ जाने के कारण काम में नहीं ली जा रही है । इसे शीघ्र ही काम में लिये जाने की विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जिला झालावाड़							
7. जल योजना मनोहरथाना	मनोहरथाना	74,000	—	ठेके पर	—	—	इस टंकी के खम्बे में सैटलमेंट के कारण दरार पड़ गई जिसके कारण काम में नहीं ली जा रही है।
जिला जालोर							
8. क्षेत्रीय जल योजना मेघलवा जीवाना	जीवाना	10,000	40'	ठेके पर	33,075/-	3,675/-	इस टैंक का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया जा सका व शीघ्र ही टेस्टिंग की जानी है। ठेकेदार को अभी अन्तिम भुगतान नहीं किया गया है।
9. जल योजना उम्मेदाबाद	उम्मेदाबाद	20,000	20'	ठेके पर	—	—	वर्ष 1973-74 में जालोर जिले में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ में टंकी क्षतिग्रस्त हो गई जिससे अत्यधिक लीकेज होने लगें। इस टंकी की पुनः मरम्मत कर काम में लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
10. क्षेत्रीय जल योजना सीलू छजरा	सीलू	75,000	60'	ठेके पर	1,37,750/-	7,250/-	यह टैंक ठेकेदार द्वारा अभी तक टैस्ट करवा कर विभाग को नहीं सम्भलाया गया है इसके लिए ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। एवं टेस्टिंग की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	क्षेत्रीय जल योजना डिगांव पूनासर	पूनासर	75,000	60'	ठेके पर	1,37,750/-	7,250/-	यह टैंक ठेकेदार द्वारा अभी तक टेस्ट करवा कर विभाग को नहीं सम्भलाया गया है इसके लिए ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं टैस्टिंग की जा रही है।
12.	जल योजना बलवाड़ा	बलवाड़ा	15,000	30'	ठेके पर	17,812/-	938/-	यह टैंक भी अतिवृष्टि एवं बाढ के कारण क्षतिग्रस्त है जिसके कारण लीकेज हो गया। टैंक को ठीक कर कार्य में लिए जाने की व्यवस्था की जा रही है।
13.	जल प्रदाय योजना मोरसीम	मोरसीम	3,0000	40'	ठेके पर	53,398/-	1,000/-	जल स्रोत असफल हो जाने के कारण टंकी को काम में नहीं लिया गया। अब नया जल स्रोत बनाया जा चुका है। नये जल स्रोतसे टंकी को टेस्ट किया जा रहा है।

प्रश्न 4 की सूची

टंकियां जो धराशायी हो गई हैं।

क्र. सं.	योजना	स्थान	टंकी की क्षमता गैलन में	ऊंचाई	कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया अथवा विभाग द्वारा	किया गया भुगतान	बकाया भुगतान	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जिला नागौर							
1.	क्षेत्रीय जल योजना रोल	रोल	80,000	80″	ठेके पर	1,26,550/-	13,450/-	टंकी टेस्टिग करते समय ही धराशायी हो गई थी जिसके कारणों की जांच की जा रही है। ठेकेदार का अन्य कार्यों के तहत 3,89,200/- रोक रखा है।
	जिला सिरोही							
2.	जल योजना जवाल	जबाल	30,000	40″	ठेके पर	43,790/-	कुछ नहीं	यह जलाशय टेस्टिग करते समय धराशायी हो गया था लेकिन ठकेदार ने पुन: स्वयं के खर्चे पर बनाकर विभाग को दे दिया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पाली								
3.	क्षेत्रीय जल योजना, जवाई–हेमावास कैनाल	गुन्दोज	2,00,000	80'	ठेके पर	2,82,936/-	30,875/-	यह टंकी टेस्ट करते समय धराशायी हो गई थी जिसके कारण काम में नहीं ली जा सकी। टंकी के धराशाही होने के कारणों की विभागीय जांच की जा रही है।
जोधपुर								
4.	क्षेत्रीय जल योजना जवाई–हेमावास कैनाल	खेजड़ली कलां	50,000	70'	ठेके पर	94,061/-	10,439/-	यह टंकी टेस्ट करते समय धराशायी हो गई थी जिसके कारण काम में नहीं ली जा सकी। टंकी के धराशायी होने के कारणों की विभागीय जांच की जा रही है।
जयपुर								
5.	जल योजना भांडारेज	भांडारेज	45,000	50"	ठेके पर	—	—	प्रयोग में आने के तीन वर्ष बाद सन् 1975 में अत्यधिक वर्षा के कारण धाराशायी हो गई थी। धाराशायी होने के कारणों की विभागीय जांच की जा रही है।
सीकर								
6.	सीकर	सीकर	—	—	ठेके पर	1,18,275/-	6,225/-	टंकी टेस्ट करते समय धराशायी हो गई थी। धराशायी होने के कारणों की विभागीय जांच की जा रही है।

चांदेरा तथा सखण्डला ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन के मामले

481. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिकराय तहसील में चांदेरा तथा सखण्डला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मंत्री सर्वश्री रामजीलाल गुप्ता तथा श्री राधेश्याम जांगिड़ (खाती) ने गबन व रिकार्ड में घोटाले करके इन संस्थाओं के कागजात जान-बूझ कर छिपा रखे है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करा के पुलिस केस दर्ज कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) सिकराय पंचायत समिति की अन्य सहकारी समितियों में कितने-कितने घोटाले व गबन हुये हैं क्या राज्य सरकार उनकी भी जांच करायेगी? यदि हां, तो यह जांच कब तक राज्य सरकार करा लेगा?

उत्तर

(1) जी हां, इन दोनों समितियों में सर्व श्री रामजीलाल गुप्ता तथा राधेश्याम जांगिड़ द्वारा गबन एवं घोटाले करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं किन्तु कागजात छिपाने के बाबत कोई शिकायत नहीं है। शिकायतों के बाबत जांच के आदेश दिये जा चुके हैं एवं राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही करना संभव होगा।

सिकराय पंचायत समिति के सहकारी समितियों के 6 वर्षों में गबन व घोटाले के 55 मामले जानकारी में आये हैं जिनमें कुल राशि 1,09471.53 रु पाई गई है। इन मामलों में 41 मामले 71257-52 रुपये के निर्णीत किये जा चुके हैं तथा शेष राशि के 14 मामले विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त इस पंचायत समिति की समस्त सहकारी समितियों के निरीक्षण हेतु आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

कालन्द्री—वलदरा सड़क का कार्य

482. श्री माधोसिंह (रेवदर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कालन्द्री से ग्राम वलदरा सिरोही तक सड़क निर्माण का कार्य कौन से सन् में शुरू हुआ था और अब तक सड़क व नालों पर कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है?

(2) इस सड़क पर कितने नाले पड़ते हैं? कितने नालों पर रपट का निर्माण हो चुका है और कितने नालों पर निर्माण बाकी है?

(3) बाकी रहे नालों पर रपट बनाने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी व इन नालों पर रपट बनाने के लिये स्वीकृति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार कब तक सोचेगी?

(4) क्या राज्य सरकार राज्य के अधूरे कार्यों, जिन पर सरकार का काफी

145

(श्री माधोसिंह)
धन खर्च हो चुका है, को पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बालन्द्री से बलदरा सड़क का निर्माण कार्य 1971-72 में आरम्भ किया गया था। इस कार्य पर 1,12,073 रुपये व्यय किए गये थे।

(2) इस सड़क पर 4 नाले पड़ते हैं। इनमें से दो नालों पर रपट का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष दो नालों का रपट का कार्य बाकी है।

(3) दो नालों के रपट के कार्य के लिए 80,000) रुपये की आवश्यकता होगी। धनाभाव के कारण इस कार्य को हाथ में लेना सम्भव नही है।

(4) धनाभाव के कारण सारे अधूरे कार्यों को पूरा करवाया जाना सम्भव नहीं है।

उदयपुर में रॉक फास्फेट के शुद्धिकरण का कारखाना

484. श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खनिज व उद्योग निगम उदयपुर में एक रॉक फास्फेट के शुद्धिकरण का कारखाना लगाने का विचार कर रहा है? यदि हां, तो यह कारखाना कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

उत्तर

राजस्थान सरकार शुद्धिकरण यन्त्र लगाने पर विचार अवश्य कर रही है परन्तु यन्त्र लगाना तकनीकी विश्लेषण पर निर्भर है? यदि तकनीकी विश्लेषण के पश्चात् आर्थिक दृष्टि से यन्त्र लगाना उचित समझा गया तो जल्दी ही संयत्र लगा दिया जायेगा।

सहकारी मिल गुलाबपुरा के चेयरमैन

485. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में सहकारी मिल स्थापित हुए कितने वर्ष हुये हैं ?

(2) जब से मिल स्थापित हुई तब से कौन कौन व्यक्ति कितने वर्षों तक चेयरमैन रहे ?

(3) जो जो व्यक्ति चेयरमैन रहे उनके जिम्मे केवल मिल का ही काम था या अन्य पद पर भी वे थे ?

(4) जो जो व्यक्ति चेयरमैन रहे क्या उनके लिए मिल की ओर से कार भी अलॉट की हुई थी ?

(5) कार सहित सब प्रकार की सुविधा, दैनिक भत्ता, कार का सब खर्च आदि पर वर्ष भर में कितना खर्च होता है ? हर साल का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

(6) क्या चेयरमैन को टेलीफोन की सुविधा भी मिली हुई है ? यदि हां, तो हर साल उस पर कितना खर्च होता है ?

(7) क्या सहकारी मिल में काम करने वाले मजदूर तथा उनके परिवार में अन्य मिल के मजदूरों के मुकाबले में स्पष्ट रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक अन्तर नजर आता है ?

(8) क्या चेयरमैन का सब मजदूरों से अच्छा सम्पर्क है ? मिल में कितने मजदूर काम करते हैं ?

(9) जब से मिल स्थापित हुआ तब से कितना मुनाफा मजदूरों में तकसीम किया गया और कितना मुनाफा रिजर्व तथा अन्य फण्डों में डाला गया ?

(10) क्या इसकी आय से सहकारिता को बढ़ावा देने वाले अन्य काम भी किए जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) गुलाबपुरा में सहकारी मिल की स्थापना को 12 वर्ष हो गए हैं।

(2) मिल में नियुक्त अध्यक्ष का विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(3) इस मिल में जो जो भी उपरोक्तानुसार चेयरमैन रहे हैं उनके जिम्मे मिल के अलावा भी अन्य पद का कार्य रहा है। क्रमांक 2 व 3 पर अंकित अध्यक्ष राजकीय अधिकारी हैं। शेष अध्यक्षों के लिए विभाग के पास इस संबंध में जानकारी नहीं है।

(4) जो व्यक्ति मिल के चेयरमैन रहे हैं। उन्हें कोई कार अलॉट की हुई नहीं थी। परन्तु आवश्यकतानुसार मिल के कार्य से वे मिल की कार का प्रयाग करते रहे हैं। श्री भंवरलाल भदादा को मिल के संचालक मण्डल के प्रस्ताव दिनांक 6-5-1975 के द्वारा अवश्य कार अलॉट की गई है।

(5) अध्यक्ष को मिल द्वारा दी गई सुविधाओं पर किए गए खर्च का विवरण संलग्न सूची में अंकित है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी हां। दिनांक 23-9-1974 के संचालक मण्डल के प्रस्तावानुसार टेलीफोन की सुविधा दी हुई है। टेलीफोन का विवरण निम्न प्रकार है:—

1973-74	1029.00
1974-75	2346.45
1975-76	5525-80
1976-77	6162.00
1977-78 (31-8-77 तक)	791.80

(7) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(8) सामान्यतः चेयरमैन मजदूरों से सीधा सम्पर्क नहीं रखते। मिल में वर्तमान में 463 नियमित श्रमिक कार्य करते हैं एवं विस्तार योजना के अन्तर्गत 290 श्रमिक अस्थाई तौर पर कार्य कर रहे हैं।

(9) मजदूरों को मुनाफा नहीं बांटा गया है। मिल द्वारा अभी तक कोई लाभ वितरण नहीं किया गया है। अतः रिजर्व एव अन्य फण्ड में कोई राशि नहीं डाली गई है।

(10) जी हां।

(142)

मिल के अध्यक्षों की सूची

क्र. सं.	नाम अध्यक्ष	अवधि
1.	श्री भीमसिंह	23-9-65 से 3-11-67
2.	पंजीयक सहकारी समितियां, राजस्थान	4-11-67 से 22-8-72
3.	कृषि उत्पादन सचिव, राजस्थान जयपुर	23-8-72 से 2-5-73
4.	श्री यशवंतसिंह नाहर	3-5-73 से 8-8-74
5.	श्री भंवरलाल भदादा	9-8-74 से अब तक

अध्यक्ष को दी गई समस्त प्रकार की सुविधा पर हुए खर्चे का विवरण

क्र. सं.	विवरण	वर्षवार राशि			
		74–75	75–76	76–77	77–78 (31-8-77 तक)
1.	पेट्रोल तेल आदि	2,663.59	19,024.05	16,900.58	1,223.91
2.	मरम्मत कार्य	665.92	1,694.34	2,034.40	799.44
3.	यात्रा भत्ता अध्यक्ष	1,907.90	4,473.32	4,772.40	725.02
4.	यात्रा भत्ता ड्राईवर	305.00	2,257.72	2,437.50	250.00
5.	मीटिंग शुल्क	50.00	788.00	1,299.00	50.00
6.	ड्राईवर वेतन खर्च	1,275.65	3,912.24	3,571.32	640.84
7.	टेलीफोन अध्यक्ष	2,346.45	5,525.80	6,162.00	791.80
8.	क्लर्क व चतुर्थ श्रेणी वेतन खर्च	960.00	7,932.26	8,781.98	1,316.18

रामगंज मंडी क्षेत्र की अधूरी सड़कें

486. श्री हरिशकुमार शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी क्षेत्र की निम्नलिखित गांवों को मिलाने वाली सड़कें अधूरी बनी पड़ी हुई हैं? रामपुर, गोपालपुरा, रांवठा, पदमपुरा, गोविन्दा, जुल्मी, खेंराख्दा, कुम्भ कोट, सुकेत, पिपल्या आदि? यदि हां, तो इन्हें पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार क्या प्रयत्न कर रही है तथा इन्हें कब तक पूरी करा देगी?

उत्तर

जी हां।

धनाभाव के कारण इन सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं है।

सीलिंग सम्बन्धी कानून

487. श्री मावजी (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सीलिंग सम्बन्धी कितने मामले भूतपूर्व राज्य सरकार ने पुनः खोलने के आदेश दिये थे?

(2) क्या भूतपूर्व राज्य सरकार ने सीलिंग के मामलों को पुनः खोलने के आदेश गत विधान सभा चुनाव के पूर्व वापस ले लिये थे?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त आदेशों का पालन करेगी अथवा उन्हें निरस्त करेगी?

उत्तर

(1) भूतपूर्व राज्य सरकार ने 601 सीलिंग सम्बन्धी मामलों को पुनः खोलने के आदेश दिये थे।

(2) जी हां।

(3) अभी यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन

488. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिक्षा विभाग में सेवारत वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान में लाभकारी संशोधन सन् 1955 के पश्चात् कब कब किया गया?

(2) क्या इस प्रकार के संशोधन में शिथिलता एवं अरुचिपूर्ण व्यवहार से यह वर्ग अन्य वर्ग में सेवारत कर्मचारियों एवं अधिकारियों से पीछे नहीं रह गया?

(3) सन् 1955 में कॉलेज प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अध्यापक के वेतनमान क्या थे एवं आज क्या हैं? क्या इन दोनों में बढ़ता अन्तर वरिष्ठ अध्यापकों के असंतोष का कारण नहीं?

(4) अधिकतम पर वर्षों से रुके हुए ऐसे कर्मचारियों हेतु चयन वेतन शृंखला का सृजन क्यों नहीं किया जाता जब कि आई. ए. एस. एवं आर. ए. एस. अधि-

Page No 144

149

(श्री नवरंगसिंह)
कारियों के लिये ऐसी वेतन श्रृंखला का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग में सेवारत वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान में 1955 के पश्चात सन् 1956, 1961, 1968 व 1976 में लाभकारी संशोधन किये गये।

(2) जी नहीं।

(3) सन् 1955 में वरिष्ठ अध्यापक और इन्टर कॉलेज के लेक्चरार के वेतनमान रु. 200-400 थे तथा आज वरिष्ठ अध्यापक रु. 550-1010 की वेतन श्रृंखला में हैं एवं व्याख्याता की वेतन श्रृंखला रु. 750-1350 है।

(4) चयन वेतन श्रृंखलाएं राज्य सरकार द्वारा सभी सेवाओं में समाप्त कर दी गई है। जहां तक आई. ए. एस. व आर. ए. एस. में अधिकारियों को चयनित वेतन श्रृंखला देने का प्रश्न है वह उनकी पदोन्नति के रूप में दी जाती है। वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति प्रधानाध्यापक व उससे आगे के उच्चमान वाले पदों पर की जाती है।

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या 166 की सूची)

क. सं.	नाम अतिक्रमी	नाम ग्राम	खं. नं.	रकबा	किस्म भूमि
1.	श्री बृजमोहन पुत्र समबन्द महा. श्री पावड़ोद	बीगोद बालदा	281	10 बिस्वा	मे.मु.सड़क
2.	कलमा पुत्र रामलाल भती व मंगीलाई मूली बाई भत्ती	,,	281	5 बिस्वा	,,
3.	गणेशीलाल जाट व छीपाबड़ोद	,,	281	3 बिस्वा	,,
4.	श्री भमर पुत्र नन्दा मोदा	,,	281	5 विस्वा	,,
5.	जुम्मा शाह मुसलमान नि. छीपाबड़ोद	,,	281	5 बिस्वा	,,
6.	श्री रहीम खां ,, ,,	,,	281	2 विस्वा	,,
7.	जिनेन्द्र सिंह मगंर गिरधारी सुख लाल महाजन नि. छीपाबड़ोद	,,	281	5 विस्वा	,,
8.	रामनाथो बलो नि. छीपाबड़ोद	,,	309	2 बिस्वा	भजेड़ा
9.	अमरा पुत्र बिरधा चमार	,,	309	1 बिस्वा	,,
10.	नन्दा पुत्र मोती मेघा	,,	322	5 विस्वा	भजेड़ा
11.	प्रेमचन्द पुत्र विशन लाल जाटव	,,	322	5 विस्वा	,,
12.	प्यारा पुत्र मोती लाल यादव	,,	322	10 बिस्वा	,,
13.	पूनम पुत्र घासी तेली	,,	323	10 बिस्वा	,,
14.	पंचायत समिति छीपाबड़ोद	,,	296/1	1-18 बीघा	भजेड़ा
15.	ओंकार पुत्र माना शामार छीपा	,,	307/1	1-7 बिस्वा	भजेड़ा
16.	बद्री पुत्र भाग चन्द जाटव	,,	317/1	1-9 बीघा	,,
17.	बिहारी पुत्र गिरधार	,,	307/1	7 बिस्वा	,,
18.	मोग्या पुत्र रामचन्द्र	,,	307/1	7 बिस्वा	,,
19.	अमरा पुत्र किशना	,,	307/1	10 बीघा	,,
				8-6 बीघा	

(151)

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की प्रति)

निजी सम्पत्ति पत्रावली जागीरदार श्री कल्याण सिंह सुनेल, तहसील रायपुर, जिला पाली

नकल फर्द अहकाम दिनांक 29-6-61 :

एल. ए. एवं वकील जागीरदार हाजिर-पट्टा हवेली का पेश नहीं हुआ-लिहाजा हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार जो जो विवादग्रस्त बताए हैं उनके अलावा आइटम्स को जागीरदार की पर्सनल प्रॉपरटी में करार दिए जाने की मान्यता दी जाती है। एल. ए. एवं जागीरदार सूचित हों निर्णय दिया गया।

ह.
आर. एल. गांधी
29-6-61

सेवा में,

श्री तहसीलदार साहब रायपुर

ए 3/1

बाबत:—पर्सनल प्रॉपर्टी की लिस्ट ठिकाना सुमेल तहसील रायपुर

श्रीमान,

ठिकाना श्री सुमेल का पर्सनल प्रॉपर्टी की लिस्ट निम्नलिखित है:—

मकानात व नोहरे व दुकानें असब जेल है जिनके पडोस वह बिगत वार है।

1. किला पुराणा पाडी पर चारों तरफ पाडा है गांव सूं आथूणो।

2. गड़ जिसका पड़ोस नीके मुजब है।

   1. पूरब में आम रास्ता वो आबादी ।
   2. पश्चिम में पहाड़ी ।
   3. दक्षिण में पहाड़ी ।
   4. उत्तर में ठिकाणा का बाड़ा वो भील का मकान ।

3. तबेला

1. पूरब में छुटभायों का रावला ।
2. पश्चिम में ग्राम रास्ता ।
3. दक्षिण में पड़तल थाला ठिकाणें का ।
4. उत्तर में ग्राम रास्ता व चौक ।

4. कोठार

1. पूरब में सुनार सुवालाल का मकान ।
2. पश्चिम में ग्राम रास्ता ।
3. दक्षिण में कबूतरो का चबूतरा व सुनार सुवालाल का मकान ।
4. उत्तर में बाजार व चौक ।

5. मकान

1. पूरब में भंसाली मिश्रीलाल का बाड़ा ।
2. पश्चिम में चौक व ग्राम रास्ता ।
3. दक्षिण में ग्रमोलक चन्द नींबाजीया का मकान ।
4. उत्तर में खुला चौक ।

6. मकान

1. पूरब में ग्राम रास्ता ।
2. पश्चिम में ग्रबेसिंग राजपूत का मकान ।
3. दक्षिण में गली
4. उत्तर में मांगीलाल खींचा की दुकान ।

7. मकान

1. पूरब में कुम्हार राजू का मकान ।
2. पश्चिम में चारभुजा का मन्दिर ।
3. दक्षिण में कोठारी बगतावर मल का खेत ।
4. उत्तर में ग्राम रास्ता ।

8. मकान

1. पूरब में गोपालादरोगा का मकान ।
2. पश्चिम में गली का रास्ता ।
3. दक्षिण में मांगीलाल खींचा का मकान ।
4. उत्तर में पारसनाथ जी का मन्दिर

(153)

9. मकान

1. पूरब में आम रास्ता ।
2. पश्चिम में सायर थाना वाला मकान ।
3. उत्तर में कुमार वाला मकान ।
4. दक्षिण में आम रास्ता ।

10. मकान

1. पूरब में आम रास्ता
2. पश्चिम में पड़त जमीन व पहाड़ी
3. उत्तर में पड़त जमीन
4. दक्षिण में भील हमीरा का मकान

11. मकान

1. पूरब में लवार हमीरा का मकान
2. पश्चिम में गंगालहरी साल ।
3. उत्तर में लवार बाबुड़ा का मकान ।
4. दक्षिण में नाई हजारी की बाड़ी

12. मकान

1. पूरब में आम रास्ता ।
2. पश्चिम में दरोगा भागरा का मकान ।
3. उत्तर में शुवा ढोली रो मकान ।
4. दक्षिण में गली ।

13. दुकान

1. पूरब में नोबाजीया अमोलकचन्द रा मकान ।
2. पश्चिम में आम रास्ता ।
3. उत्तर में ठीकाणारी बाड़ी ।
4. दक्षिण में ठीकाणारी दुकान ।

14. दुकान

1. पूरब में आम रास्ता ।
2. पश्चिम में गोपाल दरोगा री साल ।
3. उत्तर में गोपाल दरोगा री पोल ।
4. दक्षिण में भनसाली मिश्रीलाल की कच्ची दुकान ।

15. दुकान

1. पूरब में अमोलकचन्द नीबाजीयों का मकान।
2. पश्चिम में ग्राम रास्ता।
3. उत्तर में ठिकाणा री दुकान नम्बर 1।
4. दक्षिण में ठीकाणा री दुकान नम्बर 4

16. दुकान

1. पूरब में पंचायती की फाटक।
2. पश्चिम में ग्राम रास्ता।
3. उत्तर में ठिकाणा री दुकान नम्बर 3।
4. दक्षिण में ठिकाणा री दुकान नम्बर 5।

17. दुकान

1. पूरब में पंचायती कोर्ट की फाटक।
2. पश्चिम में ग्राम रास्ता।
3. उत्तर में ठिकाणा री दुकान नं. 4।
4. दक्षिण में खीचा चम्पालाल की दुकान पड़त।

18. दुकान

1. पूरब में पंचायत कोर्ट की फाटक।
2. पश्चिम में ग्राम रास्ता।
3. उत्तर में खीचा चम्पालाल की दुकान।
4. दक्षिण में ग्राम रास्ता।

19. दुकान

1. पूरब में ग्राम रास्ता।
2. पश्चिम में दरोगा जयनारायण का मकान।
3. उत्तर में मनसाली मिश्रीलाल कच्ची दुकान।
4. दक्षिण में खीचा मांगीलाल पडत दुकान।

20. दुकान

1. पूरब में ग्राम रास्ता।
2. पश्चिम में खीचा चम्पालाल का मकान।
3. उत्तर में सुबालाल की दुकान।
4. दक्षिण में मनसाली मिश्रीलाल की दुकान।

155

21. नोरा

1. पूरब में दरोगा गोपाल वे हरिकृष्ण मकान
2. पश्चिम में गली
3. उत्तर में मनसाली मिश्रीलाल का पड़त वाला
4. दक्षिण में आम रास्ता

22. कोटड़ी गांव प्रतापगढ सुमेल में

1. पूरब में जफरीया लवार का मकान
2. पश्चिम में गली
3. उत्तर में गली व लछया कुमार का मकान
4. दक्षिण में आम रास्ता

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची)

परशिष्ट 'अ'

अलवर मुख्यालय	—	अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर
उदयपुर	—	चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर
टोंक मुख्यालय	—	टोंक, झालावाड़ बूंदी, कोटा (नॉन कमान्ड)
जयपुर	—	जयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं ।

(152)

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 35 की प्रतिलिपि)

शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

प. 22 ( ) शिक्षा/ग्रुप-5/75 दिनांक 29 जुलाई, 74

निदेशक,
प्राथ. एवं माध्य. शिक्षा, राज.
बीकानेर।

विषय:—बेसिक प्राथ. शाला सूरजगढ़ (झुंझुनू) के भवन किराये के भुगतान के क्रम में।

संदर्भ—आपका पत्र सं. शिविरा./साप्र./बी./2001/47/73, दिनांक 11-6-74।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में निदेशानुसार लेख है कि चूंकि मकान मालिक अब किराये की मांग कर रहा है अतः भवन का किराया देना पड़ेगा।

यदि इसी स्थान पर स्कूल चलाना आवश्यक हो तो नियमानुसार किराया निर्धारित करवाकर, किरायानामा लिखवाकर आगे से किराया देना शुरू कर दें। मालिक मकान को कृपया सूचित कर दें कि किराया निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय,
ह.
(मायाराम)
शासन उप-सचिव।

(158)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, झुंझुनूं

सं. विनिझु./सा.-1/73-74/4226 दिनांक 25-4-74

श्री निदेशक महोदय,
प्राथमिक एवं मा. शिक्षा,
राज. बीकानेर।

विषयः—राजकीय बुनियादी प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़ हेतु भवन किराये की स्वीकृति के क्रम में।

सन्दर्भः—प्र. शा. पत्र सं. /2901/132/76, दिनांक 19-3-74

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि जिस भवन में राजकीय बुनियादी प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़ चल रहा है वह एक धर्मशाला है जो लगभग 107-108 वर्ष पूर्व की बनी हुई है और इसमें गत 50 वर्षों से विद्यालय ही चलता आ रहा है। यह भवन मं. पालीराम लक्ष्मीनारायण ट्रस्ट का था जिन्होंने स्थानीय जनता की मांग पर इसे विद्यालय चलाने हेतु बिना किसी किराये के दिया था और अभी तक कभी भी किराये की मांग नही की गई थी। ट्रस्टियों ने भी अपने विभिन्न पत्रों में इस बात को स्वीकार किया है कि पहले तो यह भवन बिना किराये ही दिया गया था किन्तु चूंकि अब ट्रस्ट की आर्थिक हालत कमजोर हो गई है इसलिए किराया लेना आवश्यक हो गया है। स्थानीय नगरपालिका के 3-4 भूतपूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष महोदय ने भी यही लिखकर दिया है कि भवन बिना किराये दिया गया था।

इस भवन में जिस समय प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ किया गया था उस समय इस भवन की हालत अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण थी और स्थानीय जनता की ओर से इसकी मरम्मत पर अब तक हजारों रुपये तथा विभाग द्वारा भी करीब एक हजार रुपये खर्च किये गये हैं, भवन में पानी की व्यवस्था भी स्थानीय जनता की मांग पर वहां के ही निवासी श्री केदारमल केडिया द्वारा नल लगवाकर की गई है। कुछ ही समय पूर्व इसकी एक ओर की दीवार गिर गई थी जिसको ठीक करवाने हेतु स्थानीय नागरिकों ने मालिकों से सम्पर्क स्थापित किया किन्तु कोई सार नहीं निकला तो स्थानीय नागरिकों ने ही करीब 500-00 रुपये लगाकर उसे ठीक करवाया।

अतः यह स्पष्ट है कि भवन विद्यालय को बिना किराये दिया गया था।

रिछपाल सिंह,
विद्यालय निरीक्षक, झुंझुनूं

(154)

राजस्थान सरकार

ओर से	को
निदेशक,	शिक्षा आयुक्त,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,	शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग,
राज., बीकानेर ।	राज., जयपुर ।

क्रमांक:—शिविरा/सा. प्र./बी./2901/73 दिनांक

विषय:—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़ के भवन किराये के भुगतान के बाबत

प्रसंग:—आपका पत्रांक एफ. 22 (12) शिक्षा-5/73 दिनांक

संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर ने सूचित किया है कि राजकीय बुनियादी प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं एक धर्मशाला के भवन में संस्थापित है । वह भवन 107-108 वर्ष पुराना है, उसमें लगभग 50 वर्ष से यह शाला चल रही है। स्थानीय नगरपालिका के रेकार्ड के अनुसार यह भवन एक सार्वजनिक संस्था धर्मशाला के नाम से है। नल व्यवस्था एवं भवन मरम्मत इत्यादि का कार्य वहां की स्थानीय जनता एवं स्थानीय संस्था द्वारा समय-समय पर कराया जाता रहा है और उनकी ओर से इस सम्बन्ध में हजारों रुपये व्यय किये जा चुके हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस भवन का मूल्यांकन किया था। (Blue Print) में भी भूरालाल ने धर्मशाला शब्द काटकर भवन अंकित कर दिया है और अपने हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं परन्तु इस भवन पर उनका कोई अधिकार (Right) नहीं है ।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुनूं ने भी यह टिप्पणी दी है कि यदि इस संस्था को इस भवन में रखकर किराया चुकाया गया तो एक बड़ी विकट समस्या सामने आ जायेगी क्योंकि उनके जिले में सैंकड़ों ऐसे विद्यालय चल रहे हैं, जिनका दान पत्र (Gift deed) सरकार के पक्ष में नहीं हुआ है और न ही उनका उनके मालिकों को किराया ही चुकाया जा रहा है। यदि इस एक भवन का किराया चुकाया जाता है तो अन्य भवनों के मालिक भी अपना अधिकार बताते हुये किराये की मांग करेंगे। इस तरह से अन्य जिलों में भी बहुत से मामले उभर सकते हैं।

मेरी भी यह राय है कि जहां दान पत्र नहीं हैं और हम सदा से किराया नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह उपहार (Gift) में ही प्राप्त है। केवल औपचारिकता की पूर्ति का अभाव रहा है ।

ह.
निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

(160)

क्रमांक शिविरा./सा.प्र./बी./2901/353/73 दिनांक 24-5-76

प्रतिलिपि:—

1. संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुनूं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ताक्षर